वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

वार्षिक रिपोर्ट
2016 - 2017

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
पोत परिवहन मंत्रालय
मुख्यालय : ए–13, सैक्टर–1, नौएडा–201 301 जिला– गौतमबुद्धनगर (उ0 प्र0)
दूरभाष सं0 : 0120–2544036, 2543972 (फैक्स सं0 0120–2543973, 2521764
ई–मेल : iwainoi@nic.in,वेबसाइट:www.iwai.nic.in

प्राधिकरण के सदस्य (2016–17 के दौरान)

		दूरभाष सं.	फैक्स सं.
अध्यक्ष	**श्री अमिताभ वर्मा,** भा. प्र. से. (04.09.2013 से 06.03.2017 तक)	0120–2543972	0120–2543973
अध्यक्ष	**श्रीमती नूतन गुहा बिश्वास, भा.प्र.से.** (07.03.2017 से अब तक)		
सदस्य	**श्री संजीव रंजन,** अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं पोत परिवहन मंत्रालय (31.08.2015 से अब तक)	011–23710140	011–23715195
सदस्य	**श्री एम. टी. कृष्णा बाबू, भा.प्र.से.** अध्यक्ष, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता (23.03.2016 से अब तक)	033–22205370	033–22208226
सदस्य	**श्री प्रवीर पाण्डेय,** भा.ले.प. एवं ले.से. सदस्य (वित्त), भा. अ.ज.प्रा. (22.02.2016 तक) उपाध्यक्ष, भा. अ.ज.प्रा. (23.02.2016 से अब तक)	0120–2544004	0120–2543976
सदस्य	**श्री रजत सच्चर, भा.आ.से.** सलाहकार, पोत परिवहन मंत्रालय (14.12.2015 से अब तक)	011–23716619	011–23350648
सदस्य	**श्री आलोक रंजन, आई.सी.ए.एस,** सदस्य (वित्त), भाअजप्रा, (01.09.2016 से अब तक)	0120–2544009	0120–2544009
सदस्य	**श्री श्रीकांत महियारिया, आई.आर.टी.एस,** सदस्य (यातायात), भाअजप्रा (07.03.2016 से अब तक)	0120–2543994	0120–2543982
सदस्य	**श्री एस. के. गंगवार,** सदस्य (तकनीकी), भाअजप्रा (31.01.2017 से अब तक)	0120–2521664	0120–2544041

अन्य विवरण

		दूरभाष सं.
सचिव	**श्री शशि भूषण शुक्ल, भा.रा.से.**	0120–2544036
अंकेक्षक	**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**	011–23235793
बैंकर्स	**सिंडीकेट बैंक** परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001	011–23717573
	सिंडीकेट बैंक सैक्टर–18, नौएडा–201301	0120–2514381
	केनरा बैंक सैक्टर–1, नौएडा–201301	0120–2529163
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सैक्टर–2, नौएडा–201 301	0120–2511426

क्षेत्रीय कार्यालय

	दूरभाष सं.	फैक्स सं.
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गायघाट, पोस्ट– गुलजारबाग, पटना–800007 (बिहार)	0612–2310026 0612–2310057 0612–2310028 0612–2310067 0612–2630100 (टर्मिनल)	0612–2310029
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण पी–78, गार्डन रीच रोड, कोलकाता– 700043(पश्चिम बंगाल)	033–24390393 033–24395577 033–24396055	033–24395570 033–24391710
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण पांडु पोर्ट काम्प्लैक्स, पांडु, गुवाहाटी– 781012 (असम)	0361–2570109 0361–2676925 0361–2676927 0361–2676929	0361–2570099 0361–2570055
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय जलमार्ग रोड, एन0 एच0 47 बाइपास, कन्नाडिकाडू मरदू, एर्नाकुलम – 682304 (केरल)	0484–2295064 0484–2389804	0484–2389445

उप–कार्यालय / ईकाई

	दूरभाष सं.	फैक्स सं.
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 360 / एफ / 44, नवाब यूसुफ रोड, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद– 211 006 (उ0 प्र0)	0532–2561151 0532–2560537	0532–2561152
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 52, द्वितीय तल, पटेल नगर, नदेसर, वाराणसी – 221 002 (उ0 प्र0)	0542–2505329	0542–2505329
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कमरा नं0– 309, द्वितीय तल, नया एसडीओ कार्यालय, सक्रोगढ़, साहिबगंज–816109 (झारखंड)	07544006484	–
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ऑफिस बिल्डिंग संख्या–1, एफबीपी ऑफिस काम्प्लैक्स, पी0 ओ0– फरक्का बैरेज, जिला–मुर्शिदाबाद–742 212 (पश्चिम बंगाल)	03485–255809	03485–255809
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण फकीरतला, पी0 ओ0–महेशगंज, स्वरूपगंज, नादिया –741 315 (पश्चिम बंगाल)	09830508079	
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण दुर्गाबाड़ी रोड टिनियाली, ए. टी. रोड, नालियापूल, डिब्रूगढ़ – 786 001 (असम)	0373–2302540	
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण धुब्री टर्मिनल, फ्री इंडिया घाट, धुब्री–786 005	0366–2298111	
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण आई.डब्लू.टी. टर्मिनल सह ऑफिस कॉम्प्लेक्स, आश्रम, नियर ईएसआई हॉस्पीटल, कोल्लम–691 002	0474–2766460	
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण परिसर सं.–191, प्रथम तल, वाया बाबा मठ लेन, यूनिट नं. 9, राधे कृष्णा मंदिर के निकट, भुवनेश्वर–751 022 (ओडिशा)	0674–2397334	
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण आईडब्लूएआई सब ऑफिस, भूतल, ब्लॉक– I, सिंचाई कार्यालय कॉम्प्लेक्स, गवर्नरपेट, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश– 520002	0866–2575123	

विषय सूची

1. अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन (अजप) क्षेत्र– सामान्य सूचना 6
2. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअजप्रा) की भूमिका 6
3. राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास 7
4. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)–1 7
5. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)–2 16
6. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)–3 21
7. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)–4 और 5 25
8. नए 106 राष्ट्रीय जलमार्ग 27
9. पारगमन और व्यापार पर भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल 28
10. भारत–म्यांमार कालादान मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना 29
11. जलीय सर्वेक्षण कार्यकलाप 32
12. राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान (निनी), पटना 40
13. वर्ष के दौरान ढुलाई का विवरण एवं अन्य मुख्य बिन्दु 43
14. जलमार्ग विकास परियोजना 49
15. वित्तीय निष्पादन : आय और व्यय 58
16. प्राधिकरण में संघ सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन 60
17. कार्मिक और प्रशासन 60
18. तुलन पत्र 62
19. आय–व्यय लेखा 63
20. प्राप्ति एवं भुगतान लेखें 64
21. तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां 68
22. स्थायी परिसम्पत्तियों की अनुसूची 70
23. आय एवं व्यय लेखा के भाग को बनाने वाली अनुसूचियां 72

24 वित्तीय विवरणियों के लेखा प्रपत्र एकीकृत भाग के लिये टिप्पणियां 76

25 कार्यालय–वार भूमि का विवरण 89

26 स्थायी परिसम्पत्तियों की अनुसूची 92

27 महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियां 100

28 भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट 103

29 भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के लिये प्रबंधन के उत्तर 106

1 अन्तर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र (अ.ज.प.)–सामान्य सूचना

(i) रेलवे, राजमार्ग, सागर और तटीय नौवहन, अन्तर्देशीय जलमार्ग, पाइपलाइन और वायु मार्ग से बना परिवहन क्षेत्र किसी देश के आर्थिक विकास के लिए अहम अवसंरचना है। नौचालनीय जलमार्ग ईंधन–बचत, पर्यावरण के अनुकूल तथा लागत किफायती परिवहन साधन हैं। जल परिवहन सुरक्षित, सस्ता तथा परिवहन का निम्नतर कार्बन छोड़ने वाला साधन भी है। एक विकसित परिवहन प्रणाली, मल्टीमॉडल नेटवर्क में, परिवहन की ईष्टतम लागत को मामला दर मामला आधार पर सभी साधनों की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संभव बनाती है। इन गलियारों में, लागत प्रभावी, पर्यानुकूल और ईंधन दक्ष परिवहन साधन विशेषकर बल्क कार्गो, खतरनाक कार्गो और बड़े आकार के कार्गो जैसे तीन श्रेणियों के कार्गो की ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए तुलनात्मक रूप से बड़े आकार के नौचालन चैनल के साथ अन्तर्देशीय जलमार्गों का विकास किया जा सकता है। कुछ विकसित देशों (जैसे अमेरिका, चीन और अनेक यूरोपीय देशों) में अन्तर्देशीय जल परिवहन (अ.ज.प.) क्षेत्र का हिस्सा भारत की तुलना में काफी अधिक है, जिससे उन देशों की अर्थव्यवस्था में पूरक परिवहन साधन से काफी फायदा हुआ है।

(ii) राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 (2016 की सं. 17), तारीख 26.03.3016 के अधिनियमन जो 12 अप्रैल, 2016 से लागू हुआ था, के माध्यम से सरकार द्वारा अन्तर्देशीय जल परिवहन (अ.ज.प.) को बड़ी गति प्रदान की गई है। इस अधिनियम ने विद्यमान पांच जलमार्ग सं0 1, 2, 3, 4 और 5 के जलमार्ग अधिनियम को निरस्त कर दिया था तथा आगे 106 नये अन्तर्देशीय जलमार्गों को शामिल किया था, इस प्रकार कुल 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया था जो देश के 24 राज्यों में फैले हुए 20,375 कि.मी. की कुल लम्बाई को कवर करते हैं। भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग देश की जीवन रेखा बनने के लिये अच्छी तरह प्रयासरत है। अंतर्देशीय जल परिवहन (अ.ज.प.) में अत्यधिक दबावग्रस्त रेलवे तथा भीड़ग्रस्त सड़क मार्ग के अनुपूरक बनने की क्षमता है। माल की ढुलाई के अलावा, राष्ट्रीय जलमार्ग वाहनों के आवागमन (इन रोल–ऑन–रोल–ऑफ मोड ऑफ क्रास फैरी) तथा ठहरने एवं मनोरंजन सहित पर्यटन जैसी गतिविधियों से संबंधित सुविधाजनक कार्य प्रदान कर सकते हैं।

(iii) भारत में अ.ज.प. क्षेत्र द्वारा वर्तमान में महसूस की जा रही परेशानियों में क्षीण मौसम के दौरान नदियों में अपर्याप्त मात्रा में बहाव होने के कारण निश्चित आकार के अ.ज.प. जलयानों के वर्ष भर प्रचालन के लिए आवश्यक गहराई और चौड़ाई वाले अपर्याप्त फेयरवे, किनारों के अपरदन के कारण प्रत्येक बाढ़ मौसम के बाद नौचालनीय चैनल का बहाव कार्गो चढ़ाने और उतारने के लिए टर्मिनल अवसंरचना और उनके सड़क/रेल अवसंरचना के साथ सम्बद्धता; दिवस और रात्रि के दौरान सुरक्षित और निर्विघ्न नौचालन हेतु नौचालन सम्बंधी सहायताएं तथा अ.ज.प. जलयानों की कमी शामिल है। भारी मात्रा में अ.ज.प. आवाजाही हासिल करने के लिए अवसंरचना के सृजन (मुख्यतः सार्वजनिक निधिकरण द्वारा) पर मुख्य रूप से जोर देने के साथ–साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से अ.ज.प. बेडे को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

2. भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भा.अ.ज.प्रा.) की भूमिका

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भा.अ.ज.प्रा.) का गठन भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत 27 अक्तूबर, 1986 को नौवहन और नौचालन के उद्देश्य से अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिए किया गया था। भा.अ.ज.प्रा. अधिनियम, 1985 की धारा 22 के अनुसार, प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट पूर्व वित्त वर्ष के दौरान इसकी गतिविधियों का पूरा विवरण देते हुए तैयार की जाती है तथा एक प्रति सरकार को प्रस्तुत की जाती है।

इसके अलावा, भा.अ.ज.प्रा. भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल के तहत एक देश के अन्तर्देशीय जलयानों को दूसरे देश होकर पारगमन और व्यापार करने के लिए भारतीय सीमा के विनिर्दिष्ट जलमार्गों का भी विकास और अनुरक्षण कर रहा है तथा म्यांमार में कालादान मल्टीमॉडल परियोजना के विकास और अनुरक्षण में विदेश मंत्रालय का सहयोग कर रहा है।

अ.ज.प. क्षेत्र के समग्र विकास में भा.अ.ज.प्रा. की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इसे पर्यानुकूल, सस्ता और व्यवहार्य परिवहन साधन के रूप में विकसित होने की पूरी संभावना है, जिससे कि व्यापार, वाणिज्य, रोजगार सृजन, पर्यटन, इत्यादि के माध्यम से समाज के असंख्य लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

3. राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास

नौवहन और नौचालन के लिए किसी जलमार्ग को व्यवहार्य बनाने हेतु तीन आधारभूत अवसंरचनाएं–(i) निश्चित आकार के अन्तर्देशीय जलयानों के प्रचालन हेतु पर्याप्त गहराई और चौड़ाई के साथ नौचालन चैनल, (ii) दिवस और रात्रि नौचालन के लिए नौचालन संबंधी सहायताएं और (iii) सड़क /रेल सम्बद्धता के साथ माल/यात्री को चढ़ाने और उतारने सहित जलयानों की बर्थिंग मुहैया करने के लिए टर्मिनल।

4. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)–1

हल्दिया (सागर) और इलाहाबाद के बीच (1620 कि.मी.) गंगा–भागीरथी–हुगली नदी प्रणाली की घोषणा राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.–1) के रूप में 1986 में की गई थी। तब से भा.अ.ज.प्रा. इसकी नाव्यता और विकास में सुधार के लिए तथा भा.अ.ज.प्रा. अधिनियम, 1985 (1985 का 82) में दी गई नौचालन सम्बंधी सहायताएं और टर्मिनल की सुविधाओं जैसे अन्य अवसंरचना के अनुरक्षण के लिए जलमार्ग पर विभिन्न प्रकार के विकासात्मक कार्य कर रहा है। वर्ष 2016–17 के दौरान रा.ज.–1 पर विकास और फेयरवे का अनुरक्षण, नौचालन सम्बंधी सहायताएं तथा टर्मिनल की सुविधाओं के लिए कराए गए महत्वपूर्ण कार्य के ब्यौरे निम्न हैं :

4.1 फेयरवे विकास :–

रा.ज.–1 पर सुगम और सुरक्षित नौचालन हेतु लक्षित गहराई और चौड़ाई के साथ फेयरवे का विकास/अनुरक्षण किया जाना है। यह कार्य केवल बंडालिंग और ड्रेजिंग जैसे नदी संरक्षण कार्य कराकर तथा रा.ज.–1 के त्रिवेणी–चुनार खण्ड (1226 कि.मी.) में नौचालन सम्बंधी सहायताएं मुहैया कराकर हासिल किया गया है। हल्दिया और त्रिवेणी के बीच का खण्ड (196 कि.मी.) ज्वारीय है तथा 3.0 मीटर से अधिक की न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) वार्षिक रूप से अनुरक्षित की जाती है। दिवस चैनल मार्किंग के अतिरिक्त भा.अ.ज.प्रा. चुनार–इलाहाबाद खण्ड में वर्तमान में फेयरवे विकास से सम्बंधित कोई कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि जल बहाव की गति निम्न होने के कारण इस खण्ड में बंडालिंग का कार्य काफी प्रभावी नहीं होता है। यातायात पर काफी दबाव पड़ने और जलमार्ग की मांग बढ़ने के कारण रा.ज.–1 के निचले खण्डों में वर्तमान में भा.अ.ज.प्रा. के रा.ज.–1 पर सीमित ड्रेजर हैं। कुछ महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य जो रा.ज.–1 पर प्रगतिपरक है, उसकी सूची निम्न है :

वर्ष 2016–17 के दौरान,रा.ज.–1 के विकास और अनुरक्षण के लिए त्रिवेणी–राजमहल (399 कि.मी.) में 3900 मीटर और राजमहल–चुनार (827 कि.मी.) में 18,300 मीटर बंडालिंग कार्य किए गए। इसके अतिरिक्त, रा.ज.–1 के त्रिवेणी–राजमहल में 1.95 लाख मी^{3} और राजमहल–वाराणसी/चुनार खंड में 3.56 मी^{3} गाद भा.अ.ज.प्रा. के ड्रेजर द्वारा निकाली गई।

राष्ट्रीय जलमार्ग–1 पर लगाए गए बंडाल

राष्ट्रीय जलमार्ग–1 पर ड्रेजिंग का कार्य प्रगति में

रा.ज.–1 के गाजीपुर–वाराणसी खण्ड में गंगा नदी से हार्ड स्ट्रैटा को हटाने का कार्यमार्च, 2017 तक किया गया था तथा अब आगे का कार्य जलमार्ग विकास परियोजना के तहत जारी रहेगा। वर्ष 2016–17 के दौरान रा.ज.–1 के

विभिन्न खण्डों में न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) का अनुरक्षण निम्न प्रकार से अनुरक्षित किया गया है :–

(क)	हल्दिया–फरक्का खण्ड	(560 कि0 मी0)	–	2.6 मी0 से 3.0 मी0
(ख)	फरक्का–बाढ़ खण्ड	(400 कि0 मी0)	–	2.1 मी0 से 2.5 मी0
(ग)	बाढ़–गाजीपुर खण्ड	(290 कि0 मी0)	–	1.6 मी0 से 2.0 मी0
(घ)	गाजीपुर–चुनार/इलाहाबाद	(3701 कि0 मी0)	–	1.1 मी0 से 1.5 मी0

* चुनार–इलाहाबाद खण्ड (198 कि.मी.) में किसी प्रकार का नदी संरक्षण कार्य नहीं किया गया।

4.2 कार्गो ढुलाई :

राष्ट्रीय जलमार्ग–1 होकर सैंड हेड्स (बंगाल की खाड़ी) से फरक्का तक एनटीपीसी के विद्युत संयंत्र हेतु कोयले की ढुलाई नवंबर, 2013 से की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान मैसर्स जिंदल आईटीएफ लि. द्वारा लगभग 1500 एमटी से 2000 एमटी क्षमता के 20 बार्जों के प्रयोग से लगभग 3.71 लाख टन आयातित कोयले की ढुलाई सफलतापूर्वक की गई है।

आयातित कोयले की ढुलाई

रा.ज.–1 होकर एनटीपीसी फरक्का के लिए कोयले की ढुलाई

रा.ज.–1 पर एनटीपीसी फरक्का में कोयले को उतारना

वर्ष 2016–17 के दौरान, राष्ट्रीय जलमार्ग–1 एवं भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्गों पर कुल कार्गो ढुलाई 46.19 लाख टन है जिसमें बड़े आकार के कार्गो (ओडीसी), भारी मात्रा में कार्गो, खाद्यान, फ्लाई एस, आयातित कोयला, उर्वरक, स्टोन चिप्स, रेत तथा भवन सामग्री आदि शामिल है।

रा.ज.–1 पर एनटीपीसी फरक्का में कोयले को उतारना

कार्गो प्रसार पहल के तहत, श्री नितिन गडकरी, माननीय पोत परिवहन मंत्री ने अगस्त, 2016 के दौरान रा.ज. –1 के जरिये वाराणसी से कोलकाता मारूति कारों की ढुलाई के ट्रायल को झंडी दिखाकर प्रारंभ किया था।

राष्ट्रीय जलमार्ग–1 के जरिये वाराणसी से कोलकाता को मारुति कारों की ट्रायल ढुलाई

इसके अलावा, रा.ज.–1 पर अगस्त, 2016 के दौरान वाराणसी से बलिया, उत्तर प्रदेश तक स्टोन चिप्स एवं सीमेंट की ढुलाई तथा कोरीगंज (बिहार) से वाराणसी (उ.प्र.) तक अपरिष्कृत रेत की ढुलाई भी की जा चुकी है।

4.3 पर्यटन विकास :

अन्तर्देशीय पर्यटक जलयान– मेसर्स हेरिटेज रिवर क्रूज प्रा. लि. के आरवी बंगाल गंगा, गंगा वोएजर–1 और गंगा वोएजर–2, मेसर्स असम बंगाल नेविगेशन कंपनी प्रा. लि. के एवीएन राजमहल तथा मेसर्स विवादा इन्लैंड वाटरवेज लि. के एमवी परमहंस अनेक वर्षों से पश्चिम बंगाल, झारखण्ड और बिहार राज्य के रा.ज.–1 पर चल रहे हैं। विदेशी पर्यटकों के साथ इन जलयानों का आवागमन वर्ष 2016–17 के दौरान जारी रहा था तथा उन्होंने अपनी ट्रिप्स अनुसूची के अनुसार सफलतापूर्वक पूरी की थी।

रा.ज.–1 पर पर्यटक जलयान आरवी बंगाल गंगा

रा.ज.–1 पर पर्यटक जलयान एवीएन राजमहल

रा.ज.–1 पर पर्यटक जलयान एम.वी. सुकाफा

रा.ज.–1 पर पर्यटक जलयान एमवी परमहंस

प्रकाश पर्व : भाअजप्रा ने जनवरी, 2017 के दौरान श्री गुरू गोविंद सिंह जी महाराज के 350वें जन्म दिवस नामक 'प्रकाश पर्व' के समारोह में भाअजप्रा के रो–रो जलयानों का प्रयोग करके राष्ट्रीय जलमार्ग–1 पर भाअजप्रा, गायघाट जेट्टी से पटना साहिब तक भक्तों को पार उतारने में योगदान किया । राज्य सरकार ने भाअजप्रा के योगदान की सराहना की तथा निदेशक, भाअजप्रा, पटना को 'प्रशस्ति पत्र' प्रदान किया ।

प्रकाश पर्व, पटना में तैनात भाअजप्रा के रो–रो जलयान

4.4 टर्मिनल सुविधाएं :

निम्नतल और उच्चतल जेट्टियाँ पटना (बिहार) में क्रमशः 2008 और 2012 से प्रचालन में हैं, जो इस टर्मिनल पर बंकरिंग और भंडारण सुविधा के साथ यांत्रिक कार्गो हैंडलिंग करने में सक्षम है।

गायघाट, पटना में निम्नतल और उच्चतल जेट्टी का दृश्य

रा.ज.–1 पर पटना टर्मिनल में पर्यटक जलयान में बर्थ किया गया

सामान्य कार्गो की हैंडलिंग के लिए नवंबर, 2013 से जीआर जेट्टी–2, कोलकाता में एक स्थाई टर्मिनल प्रचालन में है।

गोआर जेट्टी–2, कोलकाता में स्थाई टर्मिनल

इसके अलावा, रा.ज.–1 पर फरक्का और पाकुड़ में फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट (एफबीपी) की स्थायी जेट्टियां भी विद्यमान हैं, जो ट्रांसपोर्टरों/शिपरों/क्रूज जलयानों के द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे हैं।

रा.ज.–1 पर फरक्का में फ्लोटिंग टर्मिनल

इसके आगे, रा.ज.–1 पर हल्दिया–इलाहाबाद खण्ड के बीच 20 स्थलों पर फ्लोटिंग टर्मिनलें प्रचालन में हैं, जिनका उपयोग जलयानों को बर्थिंग देने, लॉजिस्टिक सपोर्ट और उपयोगकर्ताओं द्वारा जहाज पर माल चढ़ाने और उतारने के लिए किया जाता है।

इन 20 फ्लोटिंग टर्मिनलों का स्थान निम्न है :

(I) **पश्चिम बंगाल** में हल्दिया, बज–बज, बीआईएसएएन, बोटेनिकल गार्डेन (कोलकाता), शांतिपुर, स्वरूपगंज, कटवा, हजारद्वारी, डाउनस्ट्रीम (डी/एस) फरक्का और अपस्ट्रीम (यू/एस) फरक्का;

(ii) **झारखण्ड** में राजमहल (मंगलाहाट) और साहिबगंज (समदाघाट) (साहिबगंज) और **बिहार** में बटेश्वरस्थान, भागलपुर, मुंगेर, सिमरिया और बक्सर; और

(iii) **उत्तर प्रदेश** में गाजीपुर/राजघाट, रामनगर (वाराणसी) और इलाहाबाद टर्मिनल।

आवश्यकतानुसार इन फ्लोटिंग टर्मिनलों को रा.ज.–1 पर विभिन्न स्थलों पर पुनःस्थापित किए जा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, भा.अ.ज.प्रा. ने हल्दिया, साहिबगंज और वाराणसी में विश्व बैंक सहायता प्राप्त जलमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत मल्टी–मॉडल टर्मिनल विकसित करने का कार्य चल रहा है। इन परियोजनाओं के विवरण इस रिपोर्ट के पृथक सेक्शन में सम्मलित किये गये हैं।

4.5 नौचालन संबंधी सहायताएं :

वर्ष भर नौचालन की सुविधा देने के लिए हल्दिया से इलाहाबाद तक के पूरे खण्ड पर दिवस चैनल चिन्ह प्रदान किये गए हैं। 24 घंटे नौचालन की सुविधा देने के लिए प्रकाशमान देशी नौका/बांस की संरचना, एम.एस. पोल और ट्रेसल बीकन टावर से बने प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग–1 के हल्दिया–बलिया खण्ड (1140 कि.मी.) के बीच रात्रि नौचालन की सुविधाएं भी मुहैया की गई हैं।

दिवस दायां हस्त मार्क

देशी नौका पर प्रकाश

इस्पात पोल पर प्रकाश

बीकन टॉवर पर प्रकाश

भा.अ.ज.प्रा. पाक्षिक तौर पर नियमित रूप से तलस्पर्शी सर्वेक्षण भी करा रहा है तथा प्रचालकों/उपयोगकर्ताओं की जानकारी हेतु नदी सूचनाएं जारी कर रहा है। इसके अलावा, भाअजप्रा प्रचालकों को आवश्यकता के आधार पर पायलटेज प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, जलमार्ग पर 24 घंटे नौचालन की अत्याधुनिक सुविधाएं देने के लिए रा.ज. –1 पर स्वरूपगंज, भागलपुर और पटना में डिफ्रेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) स्टेशन चालू किए गए हैं तथा इनकी सुविधाएं ट्रांसपोर्टरों/शिपरों को दी जा रही है। आगे, वाराणसी में दूसरा डीजीपीएस स्टेशन स्थापित कर दिया गया है तथा शीघ्र प्रचालनीय हो जाएगा।

रा.ज.–1 पर विश्व स्तरीय नदी सूचना प्रणाली (आरआईएस) मुहैया करने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। रा.ज.–1 के हल्दिया–फरक्का खण्ड के बीच इस परियोजना के प्रथम चरण में 02 नियंत्रण स्टेशन एवं जलयान स्टेशन सहित 7 बेस स्टेशन हैं।

फरक्का में नदी सूचना प्रणाली स्टेशन

फरक्का–पटना प्रखण्ड के बीच 6 बेस स्टेशनों और 1 कंट्रोल स्टेशन से बनी नदी सूचना प्रणाली का चरण–II का कार्यान्वयन स्थापित कर दिया गया है जो शीघ्र ही प्रचालनीय हो जाएगा। पटना–वाराणसी के बीच 4 बेस स्टेशन और 1 कंट्रोल स्टेशन से बनी नदी सूचना प्रणाली का चरण–III में कार्यान्वयन चल रहा है जो वर्ष 2017–18 के दौरान पूरी की जाने हेतु अनुसूचित है।

5. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) –2

धुब्री के निकट सदिया से बांग्लादेश बॉर्डर तक उत्तर–पूर्व क्षेत्र (एनईआर) में बनने वाला रा.ज.–2 ब्रह्मपुत्र नदी (891 कि.मी.) सर्वाधिक महत्वपूर्ण अन्तर्देशीय जलमार्ग है,जो 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग के तौर पर घोषित किया गया था। इस ताकतवर नदी में अनेक नदियां मिलकर इसे मछली के हड्डी की संरचना दी है। फीडर मार्ग के रूप में विकसित होने की संभावना रखने वाले उत्तर–पूर्व क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के करीब 1687 कि.मी. खण्ड को अभिज्ञात किया गया है। रा.ज.–2 भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग (1700 कि.मी.) के माध्यम से उत्तर–पूर्व क्षेत्र में वैकल्पिक सम्बद्धता मुहैया करता है। वर्ष 2016–17 के दौरान रा.ज.–2 पर फेयरवे, नौचालन संबंधी सहायताएं और टर्मिनल की सुविधाएं देने के लिए कराए गए महत्वपूर्ण कार्य नीचे इस प्रकार हैं :–

5.1 फेयरवे विकास :

धुब्री–पांडु खण्ड (255 कि.मी.) और पांडु–नीमाति खण्ड (374 कि.मी.) में 2.5 मीटर न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) के साथ 45 मीटर की न्यूनतम चौड़ाई का नाव्य फेयरवे अनुरक्षित किया गया। निमाति–डिब्रूगढ़ खंड में 45 मी. चौड़ाई के साथ 2 मी की न्यूनतम उपलब्ध गहराई एवं डिब्रूगढ़ से ओरियमघाट खंड में 45 मी. की चौड़ाई के साथ 1.5 मी. की न्यूनतम उपलब्ध गहराई वाले फेयरवे को अनुरक्षित किया गया है। इस न्यूनतम उपलब्ध गहराई को अनुरक्षित करने के लिए, वित्त वर्ष के दौरान 54 स्थानों पर 21,000 मीटर बंडाल खड़े किए गए। इसके अतिरिक्त, दो विभागीय सीएसडी,

सीएसडी मंडोवी और सीएसडी ब्राह्मणी का उपयोग करते हुए 08 स्थानों पर 1,44,333 मीटर3 निकर्षण कार्य किया गया था। फेयरवे में गहराई बढ़ाने के लिए एक जलीय सर्वेक्षण ड्रेजर (एच.एस.डी.) एच.एस.डी. धनसीरी को निकर्षण के लिए तैनात किया गया था।

बुड़ाबडी में बहुसंख्यक चैनल हैं जो धुब्री टर्मिनल से जुड़े नौचालनात्मक चैनल को अनुरक्षित करने में कठिनाई प्रदान करता है। इस समस्या से निपटने के लिये बुड़ाबडी में (धुब्री के तहत प्रखंड)में नदी का चैनलीकरण के लिये रू0 21.69 करोड़ की लागत की एक परियोजना जल संसाधन विभाग, असम सरकार के माध्यम से धुब्री टर्मिनल के जरिये नौचालनात्मक चैनल धारा में लाने के लिये कार्य चल रहा है।

बंडाल का प्रारूपी चित्र

सीएसडी मंडोवी द्वारा पांडु में निकर्षण

रा.ज.–2 पर अभिलक्षित गहराई एवं चौड़ाई के साथ फेयरवे

रा.ज.–2 पर कार्गो प्रबन्धन यंत्रों के साथ टर्मिनल

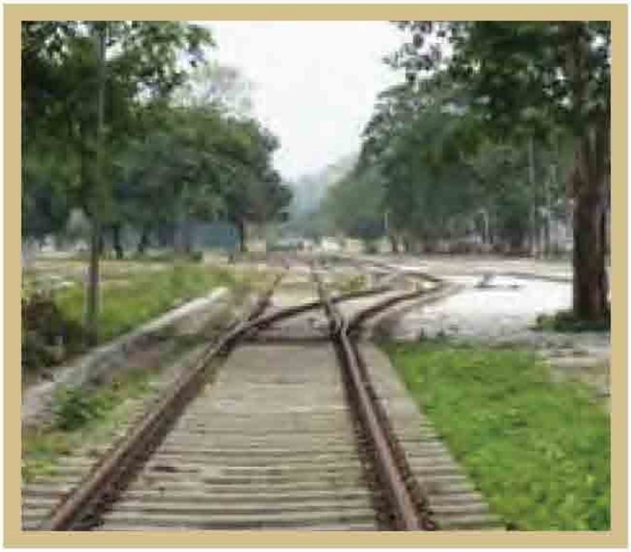

पांडू टर्मिनल पर रोड–रेल लिंकेज

जोगीघोपा में तट रक्षण कार्य

5.2 टर्मिनल :

मल्टीमॉडल नदी पत्तन के विकास के लिए रा.ज.–2 पर पांडु (गुवाहाटी) सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल है। पांडु में चरणबद्ध ढंग से टर्मिनल का विकास करने के लिए एक मास्टर प्लान इसीलिए तैयार किया गया था, जिसका विकास चरणबद्ध ढंग से किया गया। निम्नतल जेट्टी 2009 में चालू किया गया था। कंटेनर सहित यांत्रिक हैंडलिंग सुविधा का प्रचालन वर्ष भर करने के लिए वर्ष 2014–15 के दौरान 43.85 करोड़ रुपए की लागत पर एक उच्चतल जेट्टी को भी चालू किया गया था।

पांडु पोर्ट को कामख्या रेलवे स्टेशन (गुवाहाटी) से जोड़ने वाली बड़ी रेलवे लाइन का निर्माण एनएफ रेलवे के माध्यम से 16.84 करोड़ रुपए की लागत पर करके एनएफ रेलवे द्वारा वर्ष 2013 में वाणिज्यिक प्रचालन हेतु खोल दिया गया है। बीजी साइडिंग के उपयोग से कार्गो की ढुलाई तीसरी पार्टी द्वारा कराने के लिए भा.अ.ज.प्रा. ने एनएफ रेलवे के साथ उपबंध पर हस्ताक्षर किया है।

धुब्री में सभी सुविधाओं के साथ एक रो–रो टर्मिनल प्रदान किया गया है। इससे जोगीघोपा होकर 220 कि.मी. के घुमावदार सड़क मार्ग से बचने के लिए धुब्री से मेघालय तक (नदी मार्ग द्वारा 29 कि.मी.) सीधी अ.ज.प. सम्बद्धता मुहैया करायी है। सीपीडब्ल्यूडी ने हतसिंगीमरी में कार्य प्रारंभ किया था, हालांकि, हतसिंगीमरी में टर्मिनल के निर्माण के लिए चयनित भूमि के नदी द्वारा करीब–करीब अपरदन हो जाने के कारण वर्तमान परिस्थिति में किसी भी तरह की स्थाई संरचना का निर्माण करना कठिन है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने इस स्थल पर लगभग 5 कि.मी. के क्षेत्र में तट के बचाव के लिए एक योजना तैयार किया है। हालांकि, इस योजना के कार्यान्वयन और तदुपरांत तटरक्षण के कार्य करने में कुछ समय लगेगा। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए भा.अ.ज.प्रा. ने नदी तट के स्थिर हो जाने तक के लिए हतसिंहीमरी में अस्थाई रो–रो सुविधा विकसित किया है।

धुब्री एवं हतसिंगीमरी के बीच एक अत्याधुनिक रो–रो जलयान (एम जी गोपीनाथ बोरदोलोई) प्रचालन हेतु तैयार है। यह जलयान भार से लदे 08 ट्रकों एवं 100 यात्रियों को एक बार में यात्रा करा सकता है। माननीय पोत परिवहन मंत्री द्वारा 29.01.2017 को गुवाहाटी से इस जलयान को झंडी दिखाकर प्रारंभ किया था।

रा.ज.–2 में रो–रो जलयान गोपीनाथ बोरदोलोई

कार्गो ढुलाई की सुविधा देने के लिए नौ (09) स्थलों –हतसिनगिमरी, जोगीघोपा, तेजपुर, सिलघाट, विश्वनाथघाट, नीमाति, बोगीबील/डिब्रूगढ़, सेंगाजन/पनबाड़ी और ओरियमघाट में फ्लोटिंग टर्मिनलें मुहैया और अनुरक्षित किए गए हैं। हतसिनगिमरी, धुब्री, सिलघाट, विश्वनाथघाट, नीमाति, डिब्रूगढ़ और ओरियमघाट में टर्मिनलों के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

जोगीघोपा में 16.47 हेक्टेयर भूमि में से लगभग 8.93 हेक्टेयर भूमि पानी में बह गयी। निरंतर हो रहे बहाव से आस–पास के बासिंदों को खतरा उत्पन्न हो गया है। भा. अ. ज. प्रा. 27 करोड़ रु. की लागत पर दो चरणों में तटरक्षण संबंधी कार्यों का कार्यान्वयन करके जल संसाधन विभाग, असम सरकार के सहयोग से शेष बचे टर्मिनल भूमि को बचा लिया है।

चरण–I : गाद पूर्व कार्य प्रारंभ करने के लिए जोगीघोपा के नदी चैनल के अपस्ट्रीम में आरसीसी पोरकुपाइन स्क्रीन लगाना।

चरण–II में :बोल्डर,मृदा डोवन बंड के साथ लांचिंग एपरन और तट निर्माण सहित तट संरक्षण कार्य। यह परियोजना नवंबर, 2015 में पूर्ण की गई थी। इस परियोजना से 18.63 एकड़ भूमि का बचाव होगा, जो अन्यथा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। वर्तमान तौर पर, कार्यान्वित कार्यों को सुदृढ़ करने के लिये, रू0 11.80 करोड़ की लागत पर जमा कार्य आधार पर असम सरकार (एनआरडी) के जरिये नवीनीकरण किया गया है।

5.3 नौचालन संबंधी सहायताएं :

संपूर्ण जलमार्ग में दिवस नौचालन हेतु चैनल चिन्ह लगाए और अनुरक्षित किए गए। धुब्री और सिलघाट (440 किमी.) के बीच रात्रि नौचालन सुविधाएं भी मुहैया करके अनुरक्षित की जा रही है। संपूर्ण जलमार्ग में पाक्षिक/मासिक तलस्पर्शी सर्वेक्षण करवाकर अ.ज.प. प्रचालकों को फेयरवे संबंधी सूचना देने के लिए नदी संबंधी सूचनाएं दी गई हैं। इसके अलावा संपूर्ण रा.ज.–2 में डीजीपीएस सम्बद्धता की सुविधा देने के लिए धुब्री, जोगीघोपा, सिलघाट और डिब्रूगढ़ में अत्याधुनिक डीजीपीएस स्टेशन चालू किए गए हैं। सिलघाट पर अत्यधिक अपरदन के कारण डीजीपीएस स्टेशन को विश्वनाथ घाट स्थानांतरित कर दिया गया है।

5.4 नदी पर्यटन :

काजीरंगा एवं ओरंग में वन्य जीव अभ्यारण एवं अन्य पर्यटन स्थलों यथा ब्रह्मपुत्र नदी (रा.ज.–2) के तट पर स्थित सुआलकुची, शिवसागर एवं कमलाबाडी की उपस्थिति ने इस शक्तिशाली नदी में नदी पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने में सहायता प्रदान की है। प्रतिवर्ष विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या के साथ धुब्री / पांडु एवं नीमाति के मध्य दो पर्यटक जलयान निरंतर यात्राएं कर रही हैं। विपत्ती में पड़े जलयानों को सहायता देने के अलावा नौचालन सम्बंधी सहायता और टर्मिनल की सुविधा सहित उपयुक्त नौचालन सम्बंधी अवसंरचना मुहैया करने की भा.अ.ज.प्रा. की वचनबद्धता से नदी पर्यटन के लिए मजबूत पारिस्थिति तंत्र तैयार हुआ है। यह शक्तिशाली नदी ब्रह्मपुत्र में सफल जलयात्रा करने में प्रतिबिंबित होता है जिसमें प्रचालकों ने वर्ष 2016–17 के दौरान सफलतापूर्वक 34 खेपें पूरे करवाए हैं।

रा.ज.–2 पर क्रूज जलयान

6. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) – 3

कोट्टापुरम एवं कोल्लम (168 कि.मी.), उद्योगमंडल कैनल (23 कि.मी.) एवं चंपाकारा कैनल (14 कि.मी.) के मध्य पश्चिमी तट कैनल से बने रा.ज.–3 को अप्रैल, 2016 के दौरान कोट्टापुरम से उत्तर कोझीकोड़ तक के अन्य 165 कि.मी. तक फैला दिया गया है। वर्ष 2016–17 के दौरान विस्तारित प्रखंड के विकास के लिये द्विस्तरीय डीपीआर की तैयारी पर्याप्त रूप से चल रही थी। रा.ज.–3 पर फेयरवे, टर्मिनल और नौचालन सम्बंधी सहायता के विकास और अनुरक्षण हेतु वर्ष के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्य के विवरण नीचे हैं :

6.1 फेयरवे विकास :

विनिर्दिष्ट आयामों सहित नौचालन चैनल को विकसित करने के लिये, कायमकुलम कायल में 01 कि.मी. तथा एडप्पल्लीकोटा–कोल्लम प्रखंड में 1.80 कि.मी.लम्बे छिछला स्थान के अलावा सभी प्रखंडों में अब तक अनुमानित 39 लाख निष्कर्शण पूरा किया जा चुका है। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार, एडप्पल्लीकोटा–कोल्लम प्रखंड में संविदा के जरिये कार्य चल रहा है। कायमकुलम कायल में रा.ज.–3 चैनल से चीन के मछली के जालों को हटाने का कार्य राज्य सरकार द्वारा अभी पूरा किया जाना है। मछली जालों के हटाये जाने के बाद निकर्षण कार्य किया जा सकता है।

रा.ज.–3 में सुरक्षित नौचालन के लिये अपरदन से कैनाल तट का बचाव एक अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि है। भाअजप्रा ने चम्पाकारा और उद्योगमंडल नहरों के अब तक 15.67 कि.मी. कैनाल तट पर तटरक्षण प्रदान किया है। अलापुझा और कोल्लम के बीच कैनाल के संकरे क्षेत्रों में जहां चौड़ा करने का कार्य किया गया था, वहां 31.03.2017 तक 10.83 कि.मी. लंबाई में तटरक्षण किया गया है। ऐसे कार्य चावड़ा में चल रहा है।

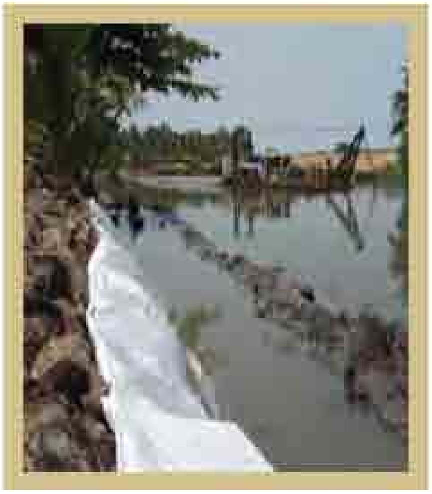

रा.ज.–3 के चावड़ा में चौड़ा करने एवं रक्षण कार्यों का चित्र

रा.ज.–3 पर निकर्षण और संकरे कैनालों को चौड़ा करने के कार्य की प्रगति में वर्षों से विलंब अनेक स्थानीय कारणों जैसे–निकर्षित सामग्री का निस्तारण, अतिरिक्त तट रक्षण की मांग, कार्यों में बारंबार रूकावट और स्थानीय लोगों द्वारा मुकदमेबाजी करने और मछुआरों की ओर से उठायी गई आपत्तियों से अनुभव किया गया है। गीली भूमियों के संरक्षण से संबंधित नए विनियमनों इत्यादि के कारण रा.ज. से निकर्शित सामग्री हेतु निस्तारण स्थल की पहचान करना अत्यंत कठिन हो गया है। ऐसी समस्याओं का समाधान करने और काम को आगे बढ़ाने के लिए भाअजप्रा राज्य सरकारों के साथ लगातार विचार–विमर्श कर रहा है, लेकिन अभी तक, निस्तारण स्थलों के आवंटन में होने वाली देरी रा.ज.–3 पर भाअजप्रा की निकर्शण क्षमता के कम उपयोग का पर्याप्त कारण रही है।

रा.ज.–3 पर निकर्षण गतिविधि

6.2 अ.ज.प. टर्मिनल :

8 स्थानों (कोट्टापुरम, अलुवा, मरदु, वैकुम, तनेरमुखम, त्रिकुणापुझा, कायमकुलम और कोल्लम) में कार्गो टर्मिनल बनाए गए हैं। अलाप्पुझा में 01 टर्मिनल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, एवं अग्निशमन विभाग एवं नगर पालिका से अनुमति की प्रतीक्षा हो रही है। परेषकों व परेषितियों की ओर से मुख्य रूप से मोडल शिफ्ट को स्वीकार करने में अरूचि के कारण अब तक ये टर्मिनल आशानुरूप कार्गो की ढुलाई नहीं कर पा रहे हैं। कोट्टापुरम टर्मिनल तक एक नयी तथा चौड़ी पहुंच मार्ग का निर्माण 31.03.2017 तक पर्याप्त रूप से पूरा कर लिया गया था।

रा.ज.–3 पर कार्गो लोडिंग

5.3 रो–रो टर्मिनल्स एवं कार्गो ढुलाई :

कोचीन पत्तन क्षेत्र के अधीन दो रॉल ऑन रॉल ऑफ टर्मिनल पहला बोलगट्टी में और दूसरा विलिंगटन आईलैंड में आईसीटीटी वल्लारपदम से सम्पर्क स्थापित करने के लिए कोचिन पत्तन न्यास के माध्यम से भाअजप्रा द्वारा तैयार किया गया है। इस सुविधा के उपयोग से वल्लारपदम की ओर जाने वाले ट्रकों/ट्रेलरों को कोची शहर की भीड़भाड़ वाले सड़कों होकर गुजरने की जरूरत नहीं होती है। ये टर्मिनल फरवरी, 2011 से प्रचालन में है। 31 मार्च, 2017 के अंत तक कुल 2.50 लाख समतुल्य यूनिट (टीईयू) का परिवहन इन टर्मिनलों के बीच निजी प्रचालक के साथ संविदा पर रो–रो जलयान द्वारा किया गया है। वर्ष के दौरान बार्जेज द्वारा संगठित रूप में रा.ज.–3 पर कुल कार्गो की ढुलाई, टनों के अनुसार, 10.33 लाख टन की गई थी जो मुख्य रूप से सल्फर, फास्फोरिक एसिड, लिक्विफाइड अमोनिया गैस, पीओएल आदि के कंटेनरों के अलावा थी।

5.4 नौचालन संबंधी सहायताएं :

24 घंटे सुरक्षित नौचालन की सुविधा देने के लिए रा.ज.–3 पर भा.अ.ज.प्रा. द्वारा सौर ऊर्जा से प्रकाशमान कुल 312 बोया और 17 बीकन लाईट अनुरक्षित किए गए थे। वर्ष के दौरान आर.ओ. कोच्चि में नौचालन यंत्रों तथा सर्वेक्षण उपकरणों के भंडारण तथा रख–रखाव के लिये एक अलग से भंडार बनाया गया था।

रा.ज.–3 पर नौचालन संबंधी सहायताओं का भंडार का चित्र

5.5 <u>केरल में नये राष्ट्रीय जलमार्ग :</u>

अप्रैल, 2016 के दौरान केरल में निम्नलिखित 03 नये राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किये गये हैं :–

- क) अलपुझा–चंगनशेरी जलमार्ग (रा.ज.–8)– 28 कि.मी.
- ख) अलपुझा–कोट्टयम–अथिरामपुझा जलमार्ग(रा.ज.–9) – 38 कि.मी.
- ग) कोट्टयम–वैयक्कम जलमार्ग (रा.ज.–59)– 28 कि.मी.

उपर्युक्त सभी नये जलमार्ग वर्तमान रा.ज.–3 से सीधे जुड़े हुए हैं। 2016–17 के दौरान उपर्युक्त नये रा.ज. हेतु द्वितीय डीपीआर की तैयारी पर्याप्त रूप से चल रही है। कोट्टयम पोर्ट तथा वैलारपदम आईसीटीटी, कोच्चि के बीच कंटेनरकृत कार्गों के शीघ्र परिवहन हेतु संभावना प्रदान करने के कारण 2017–18 के दौरान रा.ज.–9 को प्राथमिकता के आधार पर विकास के लिये विचार करने का प्रस्ताव है।

5.6 अन्य

जनवरी, 2017 में, क्षेत्रीय कार्यालय भाअजप्रा, कोच्चि को हरित ऊर्जा के उपयोग हेतु भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में, शत–प्रतिशत सौर विद्युतयुक्त एलईडी लाइटयुक्त कार्यालय बनाया गया है।

सौर विद्युत प्रणाली तथा आर.ओ. कोच्चि में प्रदर्शन का चित्र

7. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)–4 और 5

नवम्बर, 2008 में इन जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। इसके बाद दोनों राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) तैयार की गई। इसके बाद, योजना आयोग की सलाह पर, आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की आर्थिक सलाह के साथ लेनदेन सलाहकार (परामर्शदाता) को नियुक्त कर पीपीपी माध्यम से आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य खंडों का विकास किया गया। तथापि, दोनों जलमार्गों को पीपीपी माध्यम में विकसित करने हेतु व्यवहार्य नहीं पाया गया। अतः एडीबी अथवा विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय संसाधनों द्वारा सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)/बाह्य सहायता के माध्यम से दोनों जलमार्गों को विकसित करने का निर्णय लिया गया था।

7.1 राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.–4):

आन्ध्रप्रदेश क्षेत्र में जलमार्ग का विकास करने के लिए, 14 अप्रैल, 2016 को आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया । चरण–। में कृष्णा नदी के विजयवाड़ा से मुक्तयाला (82 कि.मी.) के प्रखंड के विकास के लिये रू0 96.00 करोड़ की एक परियोजना स्वीकृत की गई है। चरण–। के विकास के भाग के तौर पर कृष्णा नदी के मुक्तयाला–हरिश्चंद्रपुर (विजयवाड़ा प्रखंड के तहत) प्रखंड में जटिल छिछले स्थान के निकर्षण करने के लिये संविदा पर हस्ताक्षर किये गये। गोदावरी के काकीनाड़ा से विजयवाड़ा (काकीनाड़ा एवं एलूरू कैनाल) तथा राजामुंद्री से पोलावरम प्रखंड तक सिंचाई कैनालों को चरण–।। में विकसित करने हेतु योजना बनायी गई है। गोदावरी तथा कृष्णा नदी के कोम्मामुर कैनाल, वकिंघम कैनाल तथा शेष प्रखंडों को बाद के चरणों में विकसित किये जाने की योजना है। इसी दौरान, रा.ज.–4 की समूची लम्बाई में नवीनतम आकृतिमूलक स्थितियों का निर्धारण करने के लिये, विस्तृत जलीय विज्ञानीय सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। चरण–। परियोजना के विकास कार्य को कार्यान्वित करने तथा राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने के लिये विजयवाड़ा में भाअजप्रा का एक उप–कार्यालय स्थापित किया गया है।

7.2 राष्ट्रीय जलमार्ग(रा.ज. –5) :

1. रा.ज.–5 पर तलचर एवं पारादीप/धामरा के बीच 332 कि.मी. प्रखंड को दो चरणों में विकसित करने के लिये, भाअजप्रा द्वारा ओडिशा सरकार, पारादीप पोर्ट एवं धामरा पोर्ट कंपनी लि0 के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) 30.06.2014 को हस्ताक्षरित किया गया था। पंखपल एवं पारादीप/धामरा के बीच 211 कि.मी. के प्रखंड का चरण–I का विकास पहले से ही चल रहा है। तलचर एवं पंखपल तथा पूर्वी तटीय कैनाल (धामरा–चरबतिया–गैओन्खली) के बीच 131 कि.मी. के प्रखंड को दूसरे चरण में लिया जायेगा । रा.ज.–5 पर चरण–I के विकास हेतु 26.09.2016 को पारादीप पोर्ट के साथ एक अन्य समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया था जिसमें सभी परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी)सेवा शामिल है।

पोत परिवहन मंत्रालय में भाअजप्रा एवं पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के बीच एमओयू हस्ताक्षर होते हुए

2. पदनीपाल तथा धामरा/पारादीप के बीच प्रखंड के चरण–I के विकास के संबंध में, पर्यावरण, सीआरजेड, वन्य जीव तथा वन अनुमति प्राप्त करने के लिये ईआईए एवं ईएमपी अध्ययन हेतु, मैसर्स चोलमंडलम ने ईआईए अध्ययन रिपोर्ट का प्रारूप प्रस्तुत कर दिया है तथा पूर्वोक्त अनुमति प्राप्त करने का कार्य चल रहा है। आईआईटी गुवाहाटी ने ब्राह्मणी नदी डेल्टा प्रणाली हेतु गणितीय मॉडल पूरा कर दिया है तथा 15 जुलाई, 2016 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

3. फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन (एफईईडी) तथा इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) द्वारा अनुसरित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)की तैयारी के लिये एवं नौचालन लॉक्स सहित 03 बांधों सह बैराजों, एक बांध सह बैराज, नौचालन लॉक सहित दो चैक बांध तथा एक रबड़ बांध के निर्माण हेतु निविदा दस्तावेजों हेतु परामर्शदाता के रूप में मैसर्स ट्रेक्टबैल इंजीनियरिंग प्रा0 लि0 को नियुक्त किया गया है। परामर्श कार्य 14.02.2017 को प्रदान किया गया तथा यह मई, 2018 तक पूरा होने की संभावना है।

8. नए 106 राष्ट्रीय जलमार्ग :

देश में वर्तमान 05 राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) सं.– 1,2,3,4 एवं 5 के अतिरिक्त 106 नये राष्ट्रीय जलमार्गों इस प्रकार कुल 111 की सूची के साथ–साथ राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 (2016 की सं. 17) तारीख 26 मार्च, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–2 तथा खंड–1 में प्रकाशित हुआ था। उनकी अनुमानित लम्बाई सहित सभी रा.ज. की सूची अनुबंध–1 में दी गई है। वर्ष 2016–17 के दौरान पहचाने गये नये राष्ट्रीय जलमार्गों में चरणबद्ध ढंग से, सुरक्षित फेयरवे चैनल प्रदान करने तथा अवसंरचना एवं अवसंरचनाएं सृजित करने के लिये विकासात्मक गतिविधियों को पूरा करने की दिशा में उपाय प्रारंभ किये गये।

भाअजप्रा की गतिविधियों में वृद्धि के कारण, कार्य कई गुना बढ़ गया है। तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासकीय प्रभाग हेतु अतिरिक्त जनशक्ति का प्रस्ताव किया गया। ऐसे अतिरिक्त पदों से स्थिति का सामना करने का प्रस्ताव था। भाअजप्रा की पुनर्संरचना करने, अतिरिक्त पदों का सृजन करने तथा सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिये कार्रवाई प्रारंभ करने की आवश्यकता अनुभव की गई है।

तदनुसार, तात्कालिक आधार पर पुनर्संरचना प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिये एक पुनर्संरचना समिति का गठन किया गया है।

8.1 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की स्थिति :

1. 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए कराए गए प्रारंभिक कार्य के रूप में भा.अ.ज.प्रा. ने उनको तीन श्रेणियों में नीचे इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया है :–

(क) श्रेणी– I : 8 जलमार्गों को सर्वाधिक व्यवहार्य मानकर चरण– I में विकास किया जाना है।

1. नदी बराक (रा.ज.–16)
2. नदी गंडक (रा.ज.–37)
3. सुंदरबन (प्रोटोकॉल मार्ग) जलमार्ग (रा.ज.–97),

गोवा के 03 रा.ज.

4. कम्बरजुआ नदी (रा.ज.–27)
5. मंडोवी नदी (रा.ज.–68)
6. जुआरी नदी (रा.ज.–111)
7. अलप्पुझा–कोट्टयम–अथीरामपुझा कैनाल (रा.ज.–09) तथा
8. रूपनारायण नदी (पश्चिम बंगाल) (रा.ज.–86)

तदनुसार, इन जलमार्गों के लिए ईपीसी संविदा कागजात और पर्यावर्णिक अध्ययन तैयार करने के लिए परामर्श सम्बंधी कार्य चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है। बराक नदी में फेयरवे विकास कार्य दे दिया गया है।

(ख) श्रेणी– II : 46 रा.ज.– करके जो जलमार्ग तटीय क्षेत्र में है तथा जिनमें कुछ ज्वारीय खण्ड हैं उनको इस श्रेणी में विकास करने पर विचार किया जा रहा है। ऐसे तटीय नदियों और कैनालों की संख्या 60 (सुंदरबन के 14 नदियों को एक जलमार्ग के रूप में विचार किया गया है और पश्चिम तट कैनाल का विस्तार रा.ज.–3 में करने पर विचार किया गया है, इस प्रकार नए जलमार्गों की कुल संख्या 46 हो जाती है) है। भौगोलिक रूप से इन 60 नदियों को 8 क्लस्टर में

विभाजित किया गया है।

(i) सभी नदियों के लिए दो स्तरीय डीपीआर अध्ययन (स्तर–। पर व्यवहार्यता अध्ययन और स्तर–।। व्यवहार्यता के आधार पर डीपीआर अध्ययन) पहले ही कराए गए हैं। भाअजप्रा द्वारा 46 रा. की स्तर–। की व्यवहार्यता रिपोर्ट के परिणाम के आधार पर, 24 रा.ज. हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी का कार्य दे दिया गया है। नवम्बर, 2017 तक डीपीआर को अंतिम रूप दिये जाने की आशा है तथा तद्नुसार, विकास कार्य प्रारंभ किया जाएगा। 02 रा.ज. की डीपीआर तैयार करने का कार्य थाणे नगर निगम तथा नागालैंड सरकार द्वारा ले लिया गया है।

(ग) **श्रेणी–।।।** :52 रा.ज.–शेष जलमार्ग जो दूर–दराज, दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में हैं उन्हें इन श्रेणियों में रखा गया है। इन 52 नदियों/कैनालों (कृष्णा और गोदावरी नदियों को रा.ज.–4 के विस्तार के रूप में शामिल किया गया है, इस प्रकार 106 जलमार्गों की सूची में 52 नए जलमार्ग प्रभावी हैं) को भी विभिन्न क्लस्टरों में उपविभाजित किया गया है। प्रारंभ में केवल व्यवहार्यता अध्ययन इन सभी जलमार्गों के कराने के लिए काम दिए गए हैं। 46 रा.ज. में क्षेत्रीय सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है तथा 02 रा.ज. में कार्य चल रहा है। 04 रा.ज. की सुरक्षा अनुमति की प्रतीक्षा है। 40 जलमार्गों की व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। व्यवहार्यता अध्ययनों के परिणाम के आधार पर, आगे टीईएफ/डीपीआर जैसे अध्ययन बाद में कराये जाएंगे।

9. पारगमन और व्यापार पर भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल

भारत और बांग्लादेश के बीच एक अन्तर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल है जिसके तहत भारतीय भूमि (कोलकाता) से उत्तर–पूर्व क्षेत्र तक कार्गो के पारगमन के लिए और दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए अपने–अपने जलमार्गों के प्रयोग दोनों देशों की सरकारें परस्पर रूप से लाभकारी व्यवस्था के लिए करने हेतु सहमत हो गई है।
इसमें एक देश में दो स्थानों के बीच मालों की आवाजाही दूसरे देश के भू–भाग से होकर उस देश के कानूनों के अनुसार होगी।

विद्यमान प्रोटोकॉल मार्ग हैं (i) कोलकाता–सिलघाट–कोलकाता; (ii) कोलकाता–करीमगंज–कोलकाता, (iii) राजशाही–धुलिया–राजशाही, (iv) सिलघाट–करीमगंज–सिलघाट। अंतरदेशीय व्यापार हेतु विनिर्दिष्ट पांच पोर्ट ऑफ कॉल भारत में हल्दिया, कोलकाता, पांडु, सिलघाट और करीमगंज में हैं और बांग्लादेश में नारायणगंज, खुलना, मोंगला, सिराजगंज और आशुगंज हैं। यह प्रोटोकॉल 1972 में अस्तित्व में आया और समय–समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। यह प्रोटोकॉल मार्च, 2020 तक वैध हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान इस प्रोटोकॉल के तहत कोलकाता/हल्दिया और बांग्लादेश/भारत के उत्तर पूर्व भागों के बीच 25 लाख टन आयात–निर्यात और पारगमन कार्गो की ढुलाई हुई।

भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग

10. भारत–म्यांमार कालादान मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना

इस परियोजना का कार्यान्वयन म्यांमार के कालादान नदी एवं सिटवे पत्तन के जरिये उत्तर पूर्व हेतु वैकल्पिक संबद्धता प्रदान करने के लिये किया गया है। इस परियोजना में मिजोरम से पलेतवा (म्यांमार) तक सड़क संबद्धता, तदोपरांत पलेतवा से सिटवे (म्यांमार) तक जलमार्ग संबद्धता एवं सिटवे से भारत में किसी भी पत्तन एवं इसके विलोमतः तटीय संबद्धता संन्निहित है।

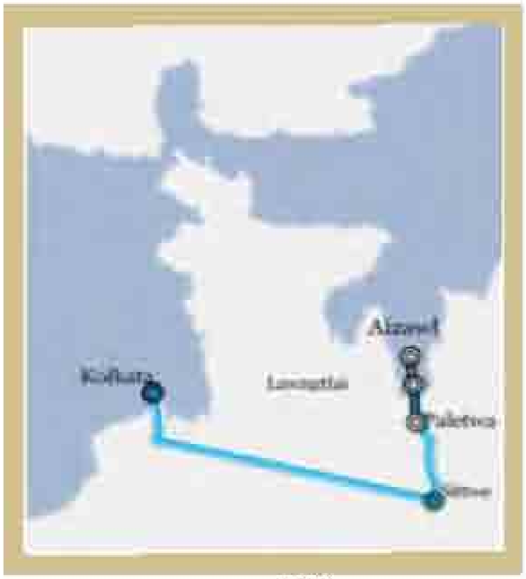

कालादान परियोजना

म्यांमार में कालादान मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना के पोर्ट एवं अजप घटकों के कार्यान्वयन हेतु, भाअजप्रा विदेश मंत्रालय का परियोजना विकास परामर्शदाता (पीडीसी) है। विदेश मंत्रालय द्वारा परियोजना का प्रारंभ तथा वित्त–पोषण किया जाता है। इस संबंध में विदेश मंत्रालय तथा भाअजप्रा के बीच एक करार 19 मार्च, 2009 को हस्ताक्षरित किया गया था।

मैसर्स एस्सार प्रोजेक्ट्स इंडिया लि. को भा.अ.ज.प्रा. की देखरेख में म्यांमार में कार्यान्वित होने वाले कार्यों के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा मुख्य संविदाकार नियुक्त किया गया है। इस परियोजना के लिए मैसर्स यूआरएस एस्कॉट विल्सन इंडिया प्रा. लि., गुड़गांव को भाअजप्रा का पर्यवेक्षण परामर्शदाता बनाया गया है।

परियोजना के चरण–I का कार्य पूरा हो चुका है तथा कार्य सौंपने की स्थिति में है। चरण–I के कार्य की विशेषताएं निम्नानुसार हैं :–

क. चरण–I के कार्य

1. सिटवे :

- बैकअप सुविधा के लिए भूमि सुधार
- रबरयुक्त डाइक का निर्माण
- पत्तन और अ.ज.प. जेट्टी दोनों के लिए संपर्क जेट्टी
- सिटवे में पोर्ट का निर्माण
- सिटवे में अजप टर्मिनल का निर्माण
- सिटवे पोर्ट में निकर्षण पहुंच चैनल तथा पोर्ट बेसिन
- बैकअप सुविधा ढांचा (डाक खाना, अजप कार्यालय, आच्छादित भंडार, विद्युत एवं जैनरेटर कक्ष, केंटीन/आराम कक्ष आदि) का निर्माण
- पोर्ट जेट्टी में 10 टी लेवल लफिंग क्रेन की स्थापना तथा सिटवे एवं पलेतवा के लिये अन्य कार्गो को संभालने हेतु उपकरणों की आपूर्ति।

2. पलेतवा :

- अजप टर्मिनल
- अजप कार्यालय, आच्छादित भंडार, विद्युत एवं जैनरेटर कक्ष, केंटीन/आराम कक्ष आदि जैसी बैकअप सुविधा कार्य

3. नदी निकर्षण कार्य।

4. 300 टन क्षमता के 06 बार्जेज का निर्माण।

5. नौचालन यंत्रों का संस्थापन।

उपर्युक्त के अलावा, सिटवे एवं पलेतवा में चरण–I के कार्य के तहत कुछ अतिरिक्त कार्य ईपीआईएल को दिया गया है जो प्रगति पर है तथा जिसके अप्रैल, 2018 तक पूरा होने की आशा है।

ख. चरण–II के कार्य

भाअजप्रा चरण–II के कार्य के कार्यान्वयन हेतु भी परियोजना विकास परामर्शदाता है। भाअजप्रा ने तारीख 01 जून, 2016 को इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लि0 (आईपीजीएल) के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किये हैं। चरण–II के कार्यों हेतु आईपीजीएल भाअजप्रा के लिये परामर्शदाता होगी। चरण–II में शामिल कार्य निम्नानुसार हैं :

(i) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को तैयार करने सहित सिटवे/पलेतवा में कंटेनर हैंडलिंग फेसिलिटी का निर्माण– डीपीआर की तैयारी हेतु परामर्शदाता के चयन का कार्य अंतिम दौर में है।

(ii) सिटवे पोर्ट बेसिन क्षेत्र से क्षतिग्रस्त पोत को हटाना : ठेकेदार के चयन हेतु निविदा आमंत्रित की गई है।

(iii) 05 वर्ष की अवधि हेतु पूर्ण परियोजना घटकों का प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) : प्रलेखन, टीओआर आदि अंतिम दौर में हैं तथा विदेश मंत्रालय द्वारा म्यांमार सरकार के साथ प्रचालन के साधन को अंतिम रूप देने के लिये चर्चा चल रही है।

भाअजप्रा ने पीडीसी की भूमिका में विदेश मंत्रालय, भारत–यैंगोन दूतावास, पोत परिवहन मंत्रालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर), म्यांमार सरकार, परियोजना के कार्यान्वयन हेतु ठेकेदारों तथा परामर्शदाताओं जैसे– सभी संगत हितधारकों के साथ नियमित समन्वय बनाये रखा है।

सिटवे में पोर्ट का निर्माण एवं बैकअप सुविधाएं

पलेतवा में अजप जेट्टी का निर्माण

11. जलीय सर्वेक्षण कार्यकलाप

जलीय सर्वेक्षण मापतोल तथा विशेषताओं का वर्णन करने वाला विज्ञान है जो नौचालन मेरिन निर्माण, निकर्षण, सेंड चार, जलमग्न विनाश तथा अन्य विशेषता सीमांकन तथा संबंधित गतिविधियों को प्रभावित करती है। जलीय सर्वेक्षण निर्णय लेने के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होता है, चाहे यह नियोजन और विकासात्मक और अनुरक्षण सम्बंधी गतिविधियों का कार्यान्वयन हो। यह नाविकों/समुद्र का उपयोग करने वालों, सामुद्रिक मानचित्र का प्रकाशन करने वालों, इत्यादि को सूचना मुहैया करता है। साउण्डिंग, शोर लाइन, ज्वार, लहर, नदी संरचना और पानी में डूबे हुए अवरोधों पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, जो कि पूर्व में उल्लिखित गतिविधियों से सम्बद्ध है। जलीय प्रक्रिया के अंतिम स्तर पर सूचना के भीतर जलीय सर्वेक्षण के जरिये संग्रहित कच्चा डाटा से विश्लेषण तथा सुरक्षित नौचालन करने के लिये समुद्र का उपयोग करने वाले लोगों को मदद मिलती है। जलीय पक्ष नाविकों को अतिरिक्त जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग से सम्बंधित पायलट और नौचालन मानचित्र का प्रकाशन भी करता है।

11.1 राष्ट्रीय जलमार्ग –1 (हल्दिया–इलाहाबाद) :

तलस्पर्शी सर्वेक्षण

कम बरसात के दिनों में पाक्षिक एवं बाढ़ के दौरान मासिक तौर पर विभागीय रूप से तलस्पर्शी (देशान्तरीय) सर्वेक्षण कराए गए थे एवं अजप उपयोगकर्ताओं को नदी सूचनाऐं (हिंदी व अंग्रेजी दोनों में) जारी की गयी थी। एलएडी और नदी सूचना भा.अ.ज.प्रा. की वेबसाइट पर नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। वर्ष 2016–17 के दौरान कुल 27307 लाइन कि.मी. तलस्पर्शी सर्वेक्षण कराए गए।

विस्तृत/निकर्षण सर्वेक्षण :

विभागीय पूर्व/उत्तर बंडालिंग और निकर्षण सर्वेक्षण एवं अन्य सर्वेक्षण 138 स्थानों पर कराए गए थे, जिसका विवरण नीचे है :–

टर्मिनल सर्वेक्षण :

16 विद्यमान टर्मिनलों/प्रस्तावित टर्मिनलों पर टर्मिनल सर्वेक्षण किया गया था।

पैमाइशी सर्वेक्षण :

वर्ष 2016–17 के दौरान भाअजप्रा ने 20 स्थानों पर पैमाइशी सर्वेक्षण आयोजित किये हैं।

इस वर्ष के दौरान रूपनारायण नदी में नौचालनीयता का मूल्यांकन करने के लिये भी एक देशांतरीय सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त हल्दिया–बैलारी चैनल का भी सर्वेक्षण किया गया था ।

नौचालनात्मक चैनल की पूर्ण चौड़ाई के लिये नदी बैड प्रोफाइल प्राप्त करने हेतु बहुल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिये पटना–मुंगेर प्रखंड में मल्टी बीम इको साउंडर का प्रयोग करते हुए मासिक विस्तृत सर्वेक्षण आयोजित किया गया है।

रा.ज.–1 में विभिन्न सर्वेक्षण गतिविधियों को चित्रित करने वाला ग्राफ निम्नानुसार दर्शाया गया है :

रा.ज.–1 की सर्वेक्षण गतिविधियां

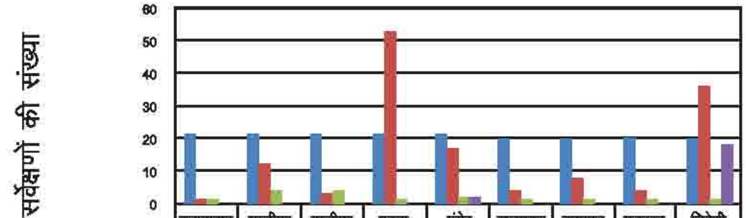

	इलाहाबाद चुनार	गाजीपुर चुनार	गाजीपुर पटना	पटना मुंगेर	मुंगेर राजमहल	राजमहल फरक्का	ब्रह्मपुत्र फरक्का	फरक्का राजमहल	त्रिवेणी बेहरामपुर
तलस्पर्शी सर्वेक्षण	21	21	21	21	21	20	20	20	20
विस्तृत सर्वेक्षण	1	12	3	53	17	4	8	4	36
टर्मिनल सर्वेक्षण	1	4	4	1	2	1	1	1	1
पैमाइशी सर्वेक्षण					2				18

11.2 भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग (सुंदरबन)

भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग में सिल्वर ट्री प्वाईंट से बेहारीखल (बांग्लादेश बॉर्डर) तक मासिक तलस्पर्शी सर्वेक्षण कराए गए। कुल 2,412 लाइन कि.मी. तलस्पर्शी सर्वेक्षण कराकर नदी संबंधी सूचनाएं भा.अ.ज.प्रा. की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई। इसके अलावा, भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग (सुंदरबन) में 03 विस्तृत सर्वेक्षण भी आयोजित किये गये थे।

सुंदर बन प्रोटोकॉल मार्ग में विभिन्न सर्वेक्षण गतिविधियों को चित्रित करने वाला ग्राफ निम्नानुसार दर्शाया गया है :

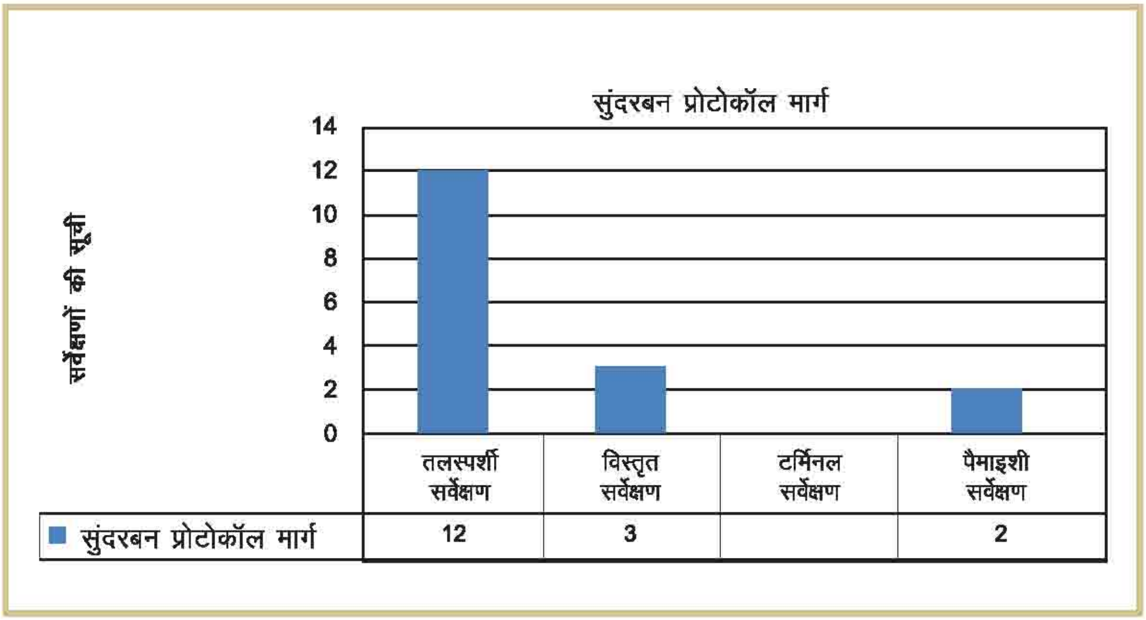

11.3 राष्ट्रीय जलमार्ग –2 (ब्रह्मपुत्र नदी)

तलस्पर्शी सर्वेक्षण

कम वर्षा के मौसम के दौरान विभागीय तलस्पर्शी सर्वेक्षण पाक्षिक रूप से बाढ़ के मौसम के दौरान मासिक रूप से कराकर नदी संबंधी सूचनाएं (अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में) जारी किए गए।वर्ष 2016–17 के दौरान कुल 15,480 लाइन कि.मी. तलस्पर्शी सर्वेक्षण कराए गए थे।

विस्तृत सर्वेक्षण

आर.सी. कार्यों को करने तथा सुचारू नौचालन सुनिश्चित करने के लिये विभागीय पूर्व और उत्तर बंडलिंग, ड्रेजिंग सर्वेक्षण, टर्मिनल और क्रॉस सेक्शन सर्वेक्षण 131 छिछले स्थानों पर कराए गए।

टर्मिनल सर्वेक्षण

वर्ष 2016–17 के दौरान वर्तमान/प्रस्तावित टर्मिनलों के स्थलों पर 07 टर्मिनल सर्वेक्षण आयोजित किये गये थे।

अन्य सर्वेक्षण

अप्रैल, 2016 के दौरान चेलाखुरा प्रखंड से बुडाबुडी के बीच 08 कि.मी. लम्बाई के लिये बैंक से बैंक सर्वेक्षण किये गये थे।

रा.ज.–2 में विभिन्न सर्वेक्षण गतिविधियों को चित्रित करने वाला ग्राफ निम्नानुसार दर्शाया गया है :

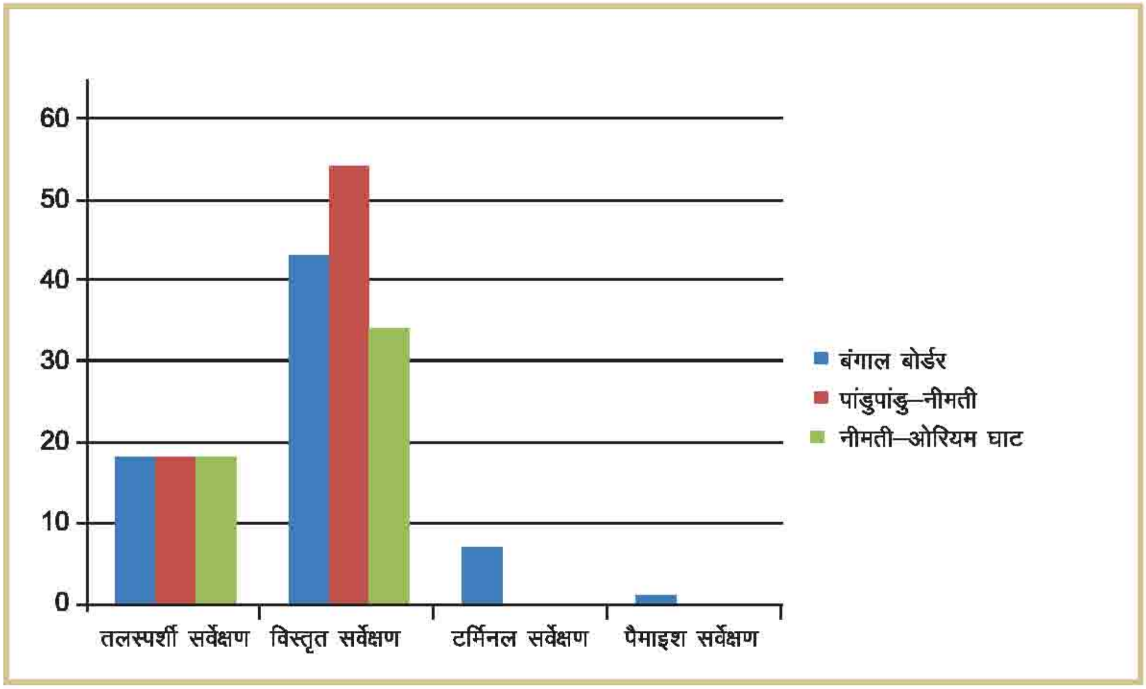

11.4 डीजीपीएस आधारित नौचालन प्रणाली :

भअजप्रा ने रा.ज.–1 और 2 में विश्वसनीय और सुरक्षित अंतर्देशीय नौचालन उपायों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए डीजीपीएस (डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) तकनीक के साथ नौचालन प्रारंभ किया है। इस परियोजना के अंतर्गत रा.ज. –1 में डीजीपीएस स्टेशन, स्वरूपगंज, भागलपुर, पटना और वाराणसी तथा रा.ज.–2 में धुब्री, जोगीघोपा और डिब्रूगढ़ में पहले ही स्थापित किये गए और ये कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में, डीजीपीएस संपर्क रा.ज.–1 के 1620 किमी. में से सागर–बक्सर खंड (1124 किमी.) तथा संपूर्ण रा.ज. –2 (891 किमी.) में उपलब्ध है।

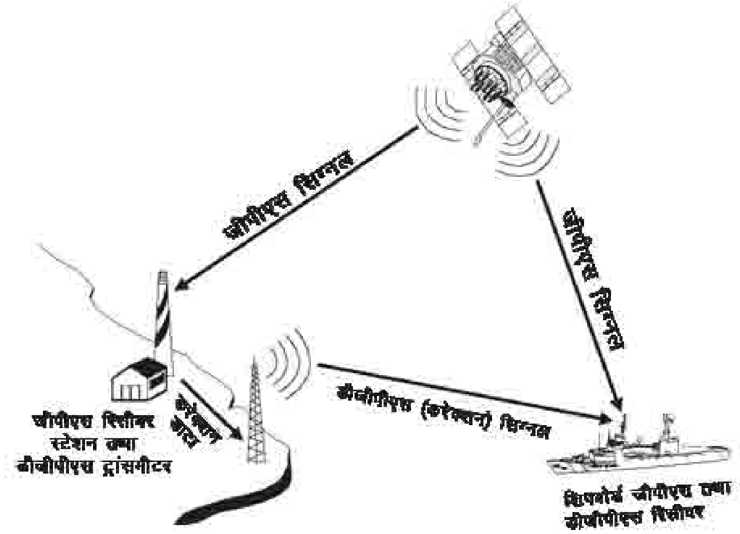

डीजीपीएस स्टेशन के कार्य सिद्धांत

राष्ट्रीय जलमार्ग–1 (हल्दिया और इलाहाबाद के बीच गंगा–भागीरथी–हुगली नदी प्रणाली) और राष्ट्रीय जलमार्ग–2 (सदिया और धुब्री के बीच ब्रह्मपुत्र नदी) में जलयानों की सफल यात्रा में डीजीपीएस नेटवर्क सुविधा प्रदान कर रहा है। भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्गों में सुरक्षित और प्रभावी नौचालन धुब्री स्थित अतिरिक्त स्टेशन की मदद से किया जा रहा है। इन स्थानों का नियोजन इस तरह से किया गया है कि सब–मीटर में परिशुद्धता के साथ 150 कि.मी. के परिधि क्षेत्र में कवरेज दिया जा सके।

11.5 राष्ट्रीय जलमार्ग रा.ज. –3 (पश्चिम तटीय कैनाल, उद्योगमंडल एवं चम्पाकारा कैनाल)

तलस्पर्शी सर्वेक्षण

विभागीय तलस्पर्शी सर्वेक्षण कोट्टापुरम–कोची–कोल्लम खण्ड (उद्योगमंडल और चंपाकारा कैनाल सहित पश्चिम तट कैनाल) में मासिक आधार पर कराकर नदी संबंधी सूचनाएं (अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में) जारी किए गए। वर्ष 2016–17 के दौरान कुल 2706 लाइन कि.मी. तलस्पर्शी सर्वेक्षण कराए गए।

विस्तृत सर्वेक्षण

पूर्व और उत्तर निकर्षण सर्वेक्षण 14 स्थानों पर किये गये थे। वर्श 2016–17 के दौरान 79899.8 मी.^{3} की कुल मात्रा का निकर्षण किया गया था।

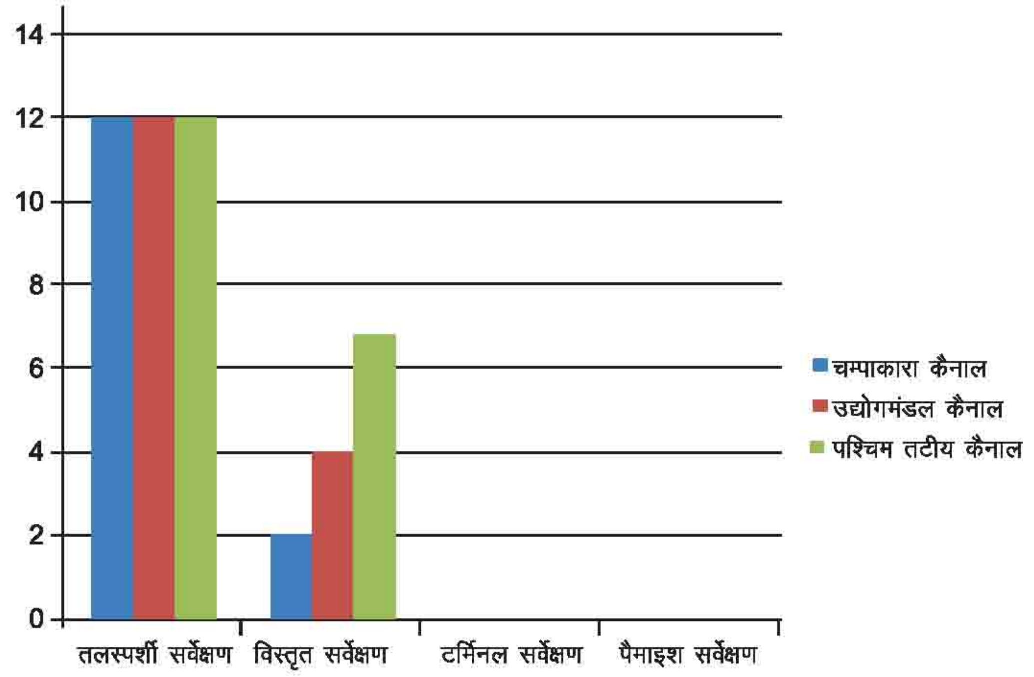

11.6 राष्ट्रीय जलमार्ग– 5 (ब्रम्हाणी एवं महानदी डेल्टा के साथ–साथ पूर्वी तटीय कैनाल)

रा.ज.–5 पर तलस्पर्शी सर्वेक्षण

क. सं.	कार्य का वर्णन	लम्बाई (लाइन कि.मी.)
1.	i) धामरा एवं खरसुआन नदियों (134.50 कि.मी.) से होकर धामरा से जोकाडिया बैराज (पंकपल) ii) टम्टीगाही / दुधी / कानी नदियों (45.50 कि.मी.) से होकर पदानीपल से सुजानपुर तथा iii) अंसुआ एस्टूअरी / खरनासी नदियों (50.00 कि.मी.) से हाकर मंगलगाडी से पारादीप पोर्ट तथा (मतई नदी से होकर धामरा से चारबटिया)।	2760

रा.ज.–5 पर पूर्व तथा उत्तर निकर्षण सर्वेक्षण

क्र. सं.	स्थान	पूर्व / उत्तर	चैंनेज		लम्बाई (मी.)
			से	तक	
1.	इराडा से अंगेशपुर	पूर्व	9830	6830	3000
2.		उत्तर	9830	7670	2160
3.	अंगेशपुर से बादामान्तिया	पूर्व	00	500	500
4.		पूर्व	870	1870	1000
5		उत्तर	0	270	270
6		उत्तर	870	1370	500
7.	बादामान्तिया से पदानीपल	पूर्व	2150	10720	8570
8.		उत्तर	2150	9260	7110
				योग =	**23110**

11.7 सर्वेक्षण जलयान :

भाअजप्रा ने आंकड़ा के संग्रह, तैयार और प्रिंट करने के लिए स्वचालित जलीय सर्वेक्षण डिजिटल इको साउंडर के साथ एकीकृत सर्वेक्षण प्रणाली, डीजीपीएस रिसीवर, लैपटॉप / डेस्कटॉप और करेंट मीटर सेट अत्याधुनिक सर्वेक्षण उपकरण के साथ 18 सर्वेक्षण जलयान लगाये गये हैं।

विभिन्न जलमार्गों में निम्नलिखित सर्वेक्षण जलयान प्रचालन में हैं, जो सर्वेक्षण कार्य के लिए तैनात हैं :–

रा.ज.–1		रा.ज.–2	रा.ज.–3
1. एस.एल. कोयल	7. एस.एल. मंदाकनी	1. एस.एल. लोहित	1. एस.एल. पम्बा
2. एस.एल. द्वारकेश्वर	8. एस.एल. गंडक	2. एस.एल. सुबानसिरि	
3. एस.एल. मेगना	9. एस.एल. पुनपुन	3. एस.एल. बराक	
4. एस.एल. अनुपल्लव	10. एस.एल. कोसी	4. एस.एल. बूढ़ी दिहिंग	
5. एस.एल. कमला	11. एस.एल. रिहंद	5. एस.एल. दिबांग	
6. एस.एल. घाघरा	12. एस.एल. दिहांग		

11.8 हल्दिया–फरक्का खंड में नदी सूचना प्रणाली (आरआईएस) की स्थापना

नदी सूचना प्रणाली (आरआईएस) अंतर्देशीय नौचालन में यातायात और परिवहन की प्रक्रियाओं को अधिकतम करने के लिए सम्बंधित हार्डवेयर और साफ्टवेयर के मेल से बना आधुनिक ट्रैकिंग उपकरण है। प्रणाली मोबाइल जलयानों और किनारे (बेस स्टेशनों) पर स्थित जलयानों के मध्य सरलता से इलेक्ट्रोनिक डाटा अंतरण को सूचना के अग्रिम और वास्तविक समय विनियम के आधार पर सुनिश्चित करती है। आरआईएस जलमार्ग प्रचालकों और प्रयोक्ताओं के मध्य सूचना विनिमय को सुकर बनाता है।

भा.अ.ज.प्रा. ने भारत में पहली बार राष्ट्रीय जलमार्ग–1 (गंगा) पर नदी सूचना सेवा प्रणाली की स्थापना की तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण परियोजना को लिया है। यह परियोजना तीन चरणों में नीचे इस प्रकार कार्यान्वित की जा रही है :–

	चरण–I : हल्दिया–फरक्का	चरण–II : फरक्का–पटना	चरण–III : पटना–वाराणासी
आच्छादित	545 कि.मी.	410 कि.मी.	353 कि.मी.
अवसंरचना	7 बेस स्टेशन 2 कंट्रोल स्टेशन 30 जलयान स्टेशन 27.4.14 को कार्य आवंटित	6 बेस स्टेशन 1 कंट्रोल स्टेशन 05.06.2015 को कार्य दिया गया	4 बेस स्टेशन 1 कंट्रोल स्टेशन 03.03.2016 को कार्य दिया गया
स्थिति	06.01.2016 को अधिकृत	संस्थापन चल रहा है	संस्थापन चल रहा है।

ऑन बोर्ड नदी सूचना प्रणाली उपकरण

11.9 मानचित्रक प्रकोष्ठ :

भ.अ.ज.प्रा., मुख्यालय नोएडा का मानचित्रक प्रकोष्ठ भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और सीएआरआईएस, ईआरडीएएस इमेजिंग, आटो सीएडी, इत्यादि जैसे ईमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर द्वारा डिजिटल चार्ट को तैयार करने के लिए आधुनिक उपकरण और साफ्टवेयर से सुसज्जित है। भ.अ.ज.प्रा. के मानचित्र का जीआईएस, साफ्टवेयर और ईमेज प्रोसेसिंग साफ्टवेयर इत्यादि के प्रयोग करने पर प्रशिक्षित है।

मानचित्र प्रकोष्ठ में नए पहचान किए गए 106 जलमार्गों को खोजा गया और योजना की तैयारी एवं निविदा आमंत्रित करने के लिये मानचित्र प्रयोगशाला में आधुनिक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर नदी मार्गों को डिजिटलीकृत किया गया।

वर्ष 2016–17 के दौरान सभी जलमार्गों के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, हैदराबाद के सेटेलाइट डाटा तैयार करके उसको केरिश जीआईएस साफ्टवेयर द्वारा डिजिटल बना दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ट को तैयार करने के लिए लैंडमार्क, सर्वे ऑफ इंडिया (एसओआई) की स्थलाकृति विशेषता वाले डिजिटल आंकड़े का संग्रह फिल्ड सर्वे डाटा (हाईपैक से) के साथ–साथ एनआरएससी डाटा के साथ किया गया था।

11.9.1 वर्ष 2016–17 में नक्शा, एटलस और नौचालन उत्पाद की बिक्री :

वर्ष 2016–17 में नक्शा, एटलस और नौचालन उत्पाद की बिक्री से भा.अ.ज.प्रा. के प्रचालकों, उपयोगकर्ताओं, निजी और सरकारी विभाग को अब तक रू. 26,300 की रकम एकत्र हुई है, जिसका विवरण नीचे इस प्रकार है :–

क्र. सं.	विवरण नक्शा/एटलस/पायलट	खरीदार का नाम	राशि (रू. में)
1	111 राष्ट्रीय जलमार्गों का इंडेक्स नक्शा	कंटेनर कोऑपरेशन, नोएडा	1000.00
2	उत्तर पूर्वी नक्शा	कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, सिकंदराबाद	2000.00
3	रा.ज.–2 एटलस	कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सैनिकपुरी, सिकंदराबाद	10000.00
4	रा.ज.–2 नदी पायलट	कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सैनिकपुरी, सिकंदराबाद	700.00
5	सुंदरबन नदी एटलस	फीडबैक इन्फ्रा प्रा0 लि0, गुड़गांव	6000.00
6	सुंदरबन नदी एटलस	मैसर्स विराज क्लीन सी इंटरप्राइजेज प्रा0 लि0, मुम्बई	6000.00
7	सुंदरबन नदी पायलट	फीडबैक इन्फ्रा प्रा0 लि0, गुड़गांव	300.00
8	सुंदरबन नदी पायलट	मैसर्स विराज क्लीन सी इंटरप्राइजेज प्रा0 लि0, मुम्बई	300.00
कुल राशि रू. (केवल छब्बीस हजार तीन सौ)			26,300.00

12. राष्ट्रीय अन्तर्देशीय नौवहन संस्थान (निनी), पटना

राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान (निनी) की स्थापना भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भ.अ.ज.प्रा.) द्वारा फरवरी, 2004 में पटना, बिहार में अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र हेतु मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। निनी, पटना का प्रबंधन और प्रशासन भ.अ.ज.प्रा. की प्रोग्राम सलाहकार समिति के परामर्श से मैसर्स एआरआई प्रा. लि. नई दिल्ली के अधीन है। वर्ष 2016–17 के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:–

क. <u>गतिविधियां :</u>

निम्नलिखित गतिविधियां की गई–

(I) प्रारंभिक प्रशिक्षण जीपी रेटिंग कोर्स (25वां और 26वां बैच)

- जेनरल परपस रेटिंग इंडक्शन पाठ्यक्रम के लिए आंतरिक अंतिम परीक्षा (लिखित एवं मौखिक) का संचालन जुलाई, 2016 और जनवरी, 2017 के महीनों में किया गया।
- प्रशिक्षण जलयान सर्वेक्षक और अन्तर्देशीय जलयान प्रशिक्षण सिमुलेटर पर जीपी रेटिंग (आईवी) प्रशिक्षु को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।
- तैयारी तथा प्राथमिक सुरक्षा हेतु सीआरपीएफ जलीय विंग कार्मिकों हेतु एक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था।

◆ निम्नलिखित चार डीजी द्वारा अनुमोदित प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था :
- प्रारंभिक प्राथमिक उपचार (ईएफए)
- अग्निशमन और अग्निशामक (ईपीएफएफ)
- व्यक्तिगत उत्तरजीविता तकनीक (पीएसटी)
- व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी (पीएसएसआर)

अग्निशमन तथा पीएसटी छात्रों का व्यावहारिक प्रशिक्षण

(ii) अन्तर्देशीय जलयान सक्षमता प्रमाणपत्र हेतु प्रारंभिक पाठ्यक्रम

◆ अन्तर्देशीय जलयान परीक्षा हेतु निम्नलिखित प्रारंभिक पाठ्यक्रम संचालित किए गए :–

- सेरांग
- मास्टर क्लास– II
- मास्टर क्लास– I
- सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर
- फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर

(iii) बिहार सरकार की ओर से अन्तर्देशीय जलयान परीक्षा का संचालन

◆ बिहार सरकार के अन्तर्देशीय जलयान नियम के अनुसार सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों

हेतु निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों की परीक्षाएं ली गयी :

- सेरांग
- मास्टर क्लास– II
- मास्टर क्लास– I
- सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर
- फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर
- अन्तर्देशीय अभियंता

	सेरांग	मास्टर क्लास– II	मास्टर क्लास– I	इंजन ड्राइवर क्लास– II	इंजन ड्राइवर क्लास– I	अभियंता– II
कुल उत्तीर्ण	41	0	27	39	09	0

ख. <u>प्रशिक्षण</u>

निनी नियमित आधार पर प्रशिक्षण देकर सामुद्रिक पत्रिका और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में पाठ्यक्रमों का विज्ञापन देता है।

- डेक और इंजन पर कराए गए प्रारंभिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले प्रशिक्षुओं को निजी बार्ज ऑपरेटरों की मदद से नियोजन।
- विभिन्न जलयानों पर प्रशिक्षण के लिए भेजे गए प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण रिकॉर्ड पुस्तिका जारी की गई।
- निनी जलयानों पर काम करने वाले सभी प्रशिक्षुओं की छुट्टी, भुगतान और प्रशिक्षण से सम्बंधित रिकॉर्ड एक अलग से नियोजन प्रकोष्ठ के माध्यम से रखता है।
- सीओसी परीक्षा का डाटा और प्रमाणपत्र अनुरक्षित किया जा रहा है।

ग. मानव संसाधन

संस्थान ने संस्थान के प्रबंधन हेतु संकाय सदस्य और अनुदेशकों का एक पूल विकसित किया है। संस्थान ने संकाय सदस्यों को तीन श्रेणियों यथा–नियमित परामर्श संकाय, नियमित विजिटिंग संकाय और आवश्यकता आधारित विजिटिंग संकाय में तैनात किया है।

निनी, पटना में माननीय पोत परिवहन मंत्री (राज्य) का दौरा

निनी, पटना में सीआरपीएफ जलीय विंग कार्मिकों का समूह चित्र

घ. अंगीभूत और सम्बद्ध

- आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणपत्र एबीएस द्वारा, जिसे संस्थान के निरीक्षण के उपरांत नवीकृत किया गया
- निनी अ.ज.प. बिहार सरकार के लिए निनी कैम्पस में सक्षमता प्रमाणपत्र (सीओसी) का संचालन करता है।

ङ. मेरिन सिमुलेटर केन्द्र, निनी

निनी कैम्पस में मेरिन सिमुलेटर केन्द्र की स्थापना मेसर्स एआरआई प्रा. लि. के साथ संयुक्त उद्यम उपबंध के माध्यम से हुई थी, जिसमें मर्चेन्ट मेरिन अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया।

मर्चेन्ट मेरिन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण

◆ शिड्यूल के अनुसार निम्नलिखित पाठ्यक्रम कराए गए :
- रडार ऑब्जर्वर सिमुलेटर कोर्स (आरओएससी)
- ऑटोमेटिक रडार प्लॉटिंग एड (एआरपीए)
- शिप मैन्यूवेयरिंग सिमुलेटर (एसएमएस)
- इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले एण्ड इन्फॉरमेशन सिस्टम (ईसीडीआईएस)
- ब्रीज टीम मैनेजमेंट (बीटीएम)

उपर्युक्त पाठ्यक्रम में 153 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

13. वर्ष के दौरान कार्गो की ढुलाई का विवरण एवं अन्य मुख्य बिन्दु

- कारोबार प्रोन्नत उपाय के रूप में तथा अजप व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से, भाअजप्रा ने वर्ष 2016–17 के दौरान राष्ट्रीय जलमार्गों पर कुछ ट्रायल ढुलाई का कार्य किया। अगस्त, 2016 में वाराणसी से कोलकाता तक मारूति सुजुकी की ढुलाई के लिये ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। माननीय सड़क परिवहन, राजमार्ग तथा पोत परिवहन मंत्री द्वारा तारीख 12 अगस्त, 2016 को 24 मारूति कारों को ले जाने वाले भाअजप्रा के जलयान एमवी वीवी गिरी को वाराणसी से झंडी दिखाकर शुभारंभ किया था। जलयान जीआर जेट्टी कोलकाता तारीख 18 अगस्त, 2016 को पहुंचा। अगस्त, 2016 में वाराणसी से कोलकाता तक मारूति कारों के सफलतापूर्वक परिवहन पर, लॉजिस्टिक सेक्टर में अजप साधन हेतु बहुत ही अधिक रूचि पैदा हुई थी। प्रमुख कार निर्माताओं जैसे – होंडा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अंतर्देशीय जलमार्गों के जरिये मोटर वाहन की ढुलाई में अत्यधिक रूचि प्रकट की है।

रा.ज.–1 पर मारूति कार की ढुलाई की रवानगी

- अगस्त, 2016 माह में साहेबगंज से पटना तक 900 मीट्रिक टन स्टोन चिप्स तथा वाराणसी से मनिहारी तक 1010 मीट्रिक टन निर्माण सामग्री के साथ एक समानांतरण ट्रायल रन को भी झंडी दिखाई गई थी।

- मैसर्स डालमिया सीमेंट ने रा.ज.–1 पर हल्दिया से विभिन्न स्थानों को प्रत्येक माह 10,000 मीट्रिक टन की मांगे

गये सीमेंट प्रदान करने का प्रस्ताव दिया था। प्रारंभिक ढुलाई के तौर पर, मैसर्स डालमिया सीमेंट का मांगा गया 350 टन सीमेंट हल्दिया से पटना परिवहन किया गया था जो फरवरी, 2017 में एमवी जाकिर हुसैन के जरिये सफलापूर्वक पूरा किया गया था।

- 13 अक्तूबर, 2016 को भारत सरकार ने अंतर्देशीय जल परिवहन (अजप) साधन / मल्टीमॉडल के जरिये उर्वरकों के परिवहन के लिये भाड़ा प्रतिपूर्ति नीति का विस्तार किया था।

- रा.ज.–2 (ब्रह्मपुत्र) पर रो–रो परिवहन की बड़ी मांग को पूरा करने के लिये, भाअजप्रा ने एक रो–रो जलयान, 300 टन ले जाने सहित एम वी गोपीनाथ बोरदोलोई (प्रति ट्रक 25 टन तथा 100 यात्रियों की क्षमता वाले 08 ट्रक) प्राप्त किये हैं। 29 जनवरी, 2017 को गोवाहाटी में महान समारोह में एम.वी. गोपीनाथ बोरदोलोई को माननीय पोत परिवहन मंत्री द्वारा झंडी दिखाकर प्रारंभ किया गया था। जलयान को धुब्री तथा हतसिंहीमारी के बीच रो–रो सेवा प्रदान करने के लिये रा.ज.–2 पर लगाया गया है।

- टीपीए के तहत (भाअजप्रा, एनटीपीसी तथा जिंदल आईटीएफ के बीच त्रिपक्षीय करार) मैसर्स जिंदल आईटीएफ द्वारा कोलकाता क्षेत्र के अंतर्गत, रा.ज.–1 पर सेंड हैड्स / कनिका सेंड्स से एनटीपीसी फरक्का को 370,739.06 मी0 टन आयातित कोयले का परिवहन किया गया था। टीपीए ऊंचे समुद्र से एनटीपीसी, एसटीपीसी, फरक्का तक 7 वर्षों की अवधि के लिये 03 एमएमटीपीए आयातित कोयले के परिवहन के लिये है। भारत में अजप में जिंदल बार्जेज में ऊंचे समुद्र से फरक्का एसटीपीपी तक आयातित कोयले का परिवहन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

- बांग्लादेश के लिये हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में भाअजप्रा पोंटून जेट्टीज तथा जीआर जेट्टी से फ्लाई एस की लोडिंग एक नियमित गतिविधि है। वर्ष 2016–17 के दौरान प्रोटोकॉल मार्ग के जरिये बांग्लादेश को कुल 2,552,196.00 मी0 टन फ्लाई एस का परिवहन किया गया था । फ्लाई एस के अलावा अन्य कार्गो (एक्ससेसिरीज / गेंट्री क्रेन सहित स्टैंड जैक, स्टील सामग्री / जीसी शीट / क्वाइल्स / प्लेट्स, कंटेनर, खाद्यान (चावल), स्टोन चिप्स / पेब्लस, जूट कारपेट बैकिंग क्लोथ, स्टील शीट, कोलम्स बीम्स, एंगल्स, गिरडर, टायर्स तथा ओडीसी) का अर्थात् कुल 2,583,754.007 मी0 टन का आवागमन आईबीपी मार्ग पर हुआ था ।

- वर्ष 2016–17 के दौरान रा.ज.–3 पर कंटेनरों का नियमित आवागमन जारी रहा। राष्ट्रीय जलमार्ग–3 पर 20' (बीस फीट) के कंटेनरों की कुल संख्या 11946 तथा 40' (चालीस फीट) के कंटेनरों की कुल संख्या 13,619 सौंपी गई थी। 805 मी0 टन प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स वस्तु सौंपी गयी 20' टीईयू कंटेनर की संख्या 35 का भी आईबीपी मार्ग पर आवागमन हुआ था।

- बड़े आकार के कार्गो (ओडीसी) का आवागमन राष्ट्रीय जलमार्गों पर किया गया क्योंकि सामान्य तौर पर रेलवे तथा सड़क से ऐसे कार्गो का आवागमन व्यवहार्य नहीं है। राष्ट्रीय जलमार्ग–1, 2 एवं भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग पर वर्ष 2017 के दौरान, ओडीसी के कुल परेषण संख्या का आवागमन हुआ है जिसके द्वारा मुख्य रूप से विद्युत परियोजनाओं हेतु उपकरण जैसे ओडीसी का कुल 2841 मी0 टन / 2,146,878.02 टन कि.मी. ले जाया गया है।

- कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट (केओपीटी) ने राष्ट्रीय जलमार्ग–1 पर 1,024,260.40 मी0 टन विभिन्न प्रकार के कार्गो (दालें, लौहा एवं स्टील, सल्फर, लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क, कोयला, खाद्यान, उर्वरक, सुगर, रॉक फास्फेट, लकड़ी, चूना पत्थर आदि) का परिवहन किया गया था । यह वर्ष 2015–16 में 2,960,883.70 मी0 टन से 1936623.30 मी0 टन कम है।

- राष्ट्रीय जलमार्ग–1 पर 284,475.00 मी0 टन एफओ, एचएफ, एचएसडी, ल्यूब, एचएफ तथा एचएसडी कार्गो का भी आवागमन हुआ है।

➢ **अन्य मुख्य बिन्दु**

- समय–समय पर भाअजप्रा के अधिकारीगण परिवहन के व्यवहार्य, लागत किफायती तथा पर्यावरण अनुकूल साधन के रूप में अजप को प्रोन्नत करने के लिये विभिन्न प्रदर्शनियों, सम्मेलनों तथा सम्मिटों में भाग लेते आ रहे हैं। भाअजप्रा ने अप्रैल, 2016 में मुम्बई में आयोजित मेरीटाइम इंडिया सम्मिट में भी भाग लिया था। भाअजप्रा का एक पवैलियन भी उस सम्मिट में विधिवत रूप से स्थापित किया गया था। एमआईएस के दौरान, भाअजप्रा ने निम्न के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये थे :
- मारूति सुजुकी इंडिया लि0
- इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि0
- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0
- पैट्रोनेट एलएनजी लि0
- शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि0

अप्रैल, 2016 में आयोजित मेरीटाइम इंडिया समिट

- अपेक्षित अवसंरचना तथा नौचालन यंत्रों सहित नौवहन तथा 1500 टन और किसी व्यवहार्य क्षमता के कार्गो जलयानों के नौचालन के प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय जलमार्ग–5 के विकास तथा रख–रखाव के लिये 14.04.2016 को भाअजप्रा एवं ओडिशा सरकार, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट तथा धामरा पोर्ट कंपनी लि0 के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था।

मेरिटाइम इंडिया समिट 2016 के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होते हुए

- ओडिशा सरकार, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट एवं धामरा कंपनी लि0 द्वारा इन्लैंड वाटरवेज कंसोर्टियम ऑफ ओडिशा लि0 (आईडब्ल्यूसीओएल), पंकपल में मल्टी मॉडल टर्मिनल के विकास के लिये एक एसपीवी गठित की गई हैं। 19.11.2016 को आयोजित आईडब्ल्यूसीओएल के बोर्ड निदेशकों की दूसरी बैठक में, पंकपल टर्मिनल हेतु डीपीआर, विस्तृत इंजीनियरिंग अध्ययन तथा बोली दस्तावेज तैयार करने के लिये परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु निविदा प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। यह भी निर्णय किया गया था कि आईडब्ल्यूसीओएल पंकपल टर्मिनल के लिये भूमि (115.41 एकड़) प्राप्त करेगी, इसलिए भूमि प्राप्त करने तथा पंकपल में स्थायी टर्मिनल के निर्माण की लागत वर्जित लागत है।
- भाअजप्रा ने अजप को राष्ट्रव्यापी व्यवहार्य बनाने के लिये महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड, मडगांव पोर्ट ट्रस्ट गोवा तथा गुजरात मेरीटाइम बोर्ड से संपर्क किया है। यह समझौता ज्ञापन पोत परिवहन मंत्रालय के अनुमोदन के अधीन है।
- मैनलैंड से सागर आइसलैंड को सैंकड़ों सरकारी तथा गैर–सरकारी वाहनों के साथ–साथ लाखों की संख्या में धार्मिक यात्रियों के आवागमन हेतु पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर, भाअजप्रा ने एमवी राजगोपालचारी, एमवी जाकिर हुसैन तथा एमवी वीवी गिरि जलयानों को गंगा सागर मेले में सहायता के लिये लगाया था।
- नवम्बर, 2016 में मैसर्स अर्नेस्ट तथा यंग को उत्तर पूर्वी तथा पड़ोसी देशों (अर्थात् बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा चीन) पहुंचने हेतु सिलीगुड़ी कोरिडोर (चिकन नेक) के जरिये अंतर्देशीय जल परिवहन (अजप) की ओर कार्गो के गुजरने के मॉडल परिवर्तन पर अध्ययन प्रदान किया गया था तथा उन्होंने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।
- भाअजप्रा ने मानकीकृत अजप जलयानों का डिजाइन तैयार करने के लिये जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी)के तहत डीएसटी जर्मनी को लगाया। भाअजप्रा ने फीडबैक, विनिर्देशनों को प्राप्त करने तथा जलयान प्रचालनों, जलयान निर्माता शिपयार्डों तथा अन्य हितधारकों से वाणिज्यिक पहलुओं का पता लगाने के लिये

कोलकाता में 04 नवम्बर, 2016 को तथा 23 जनवरी, 2017 को मुम्बई में आयोजित कार्यशालाओं में भाग लिया था। डीएसटी जर्मनी ने तद्नुसार, उनके डिजाइन तैयार किये हैं।

- भाअजप्रा ने एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में 'फ्राइट विपेज' विकसित करने के लिये संभावना का पता लगाने हेतु वाराणसी में 22 मार्च, 2017 को विश्व बैंक द्वारा आयोजित हितधारक कार्यशाला में सहयोगी तौर पर भाग लिया था।

➢ पुरस्कार

- भाअजप्रा ने 'स्वायत्त निकायों में उत्कृष्ट' श्रेणी के तहत सम्मानित दैनिक भास्कर का भारत गर्व पुरस्कार वर्ष 2016–17 प्राप्त किया था। माननीय संचार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं रेल राज्य मंत्री, श्री मनोज सिन्हा द्वारा तारीख 27 मार्च को नई दिल्ली में पुरस्कार प्रदान किया गया था। अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ–साथ भाअजप्रा अध्यक्ष तथा भाअजप्रा उपाध्यक्ष ने पुरस्कार प्राप्त किया था।

माननीय संचार मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) एवं माननीय रेल राज्य मंत्री, श्री मनोज सिन्हा के द्वारा अध्यक्ष, भाअजप्रा दैनिक भास्कर के भारत गौरव सम्मान 2016–17 को प्राप्त करती हुई।

- 'कोलकाता में गार्डन रीच टर्मिनल तथा पटना में कालूघाट टर्मिनल में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन को सज्जित करने, प्रचालित करने तथा प्रबंध करने' के लिये एसओएम मोड के तहत एक पीपीपी परियोजना मैसर्स सुमित एलायंस पोर्ट लि0 तथा मैसर्स सुमित पावर लि0 की संकाय को राजस्व साझा मॉडल के तहत प्रदान की गई थी जिसमें सुमित संकाय से भाअजप्रा को राजस्व भाग 38.30 प्रतिशत होगा । कार्य 30 वर्षों की अवधि के लिये प्रदान किया गया है।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

राष्ट्रीय जलमार्ग–1, 2 एवं 3, गोवा तथा महाराष्ट्र जलमार्ग हेतु कार्गो ढुलाई (2012–13 से 2016–17 तक)

प्रखंड	मीट्रिक टनों में	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	मार्च, 2017 तक 2016-17	कार्गो ढुलाई का प्रकार
राष्ट्रीय जलमार्ग–1 गंगा एवं आईबीपी	एमटी	2716436	3349138	5050209	6237124	4617783.49	सीमेंट, फ्लाई एस, लौह अयस्क, चूरा, कोयला, इस्पात शेड, टायर्स, लौह चूरा, लौह इन्गोट्स, जस्ती इस्पात प्लेन शीट, स्टोन चिप्स, फ्रनेश ऑयल, एचएफ एचएसडी, लूब ऑयल, बोल्डर, दाले, एल्युनियिम ब्लॉक, रेत, किल्पस, शिप ब्लॉक लोग, मैगनीज अयस्क, पेट्रोलियम कोड, कुकिंग कोयला, रॉक फास्फेट, लकड़ी, पीस, स्लेग ऑयल, गैर–कुकिंग कोयला, ओडीसी।
	लाख टन में	27.16	33.49	50.50	62.37	46.18	
	टीकेएम	1511961380	1851232081	2263611062	2690156638	2459837281	
	बीटीकेएम	1.512	1.851	2.26	2.690	2.460	
राष्ट्रीय जलमार्ग–2 ब्रह्मपुत्र	एमटी	2426804	2475349	519722	602371	608819.29	बांस उत्पाद, सीमेंट, भवन सामग्री, उर्वरक, खाद्यान, दुध एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं।
	लाख टन में	24.27	24.75	5.20	6.02	6.09	
	टीकेएम	58047828	59489247	50800000	12114556	11852255.61	
	बीटीकेएम	0.058	0.059	0.0508	0.012	0.012	
राष्ट्रीय जलमार्ग–3 पश्चिमी तटीय कैनाल	एमटी	1236403	1066006	965246	1061041	1032838.5	फास्फोरिक एसिड, सल्फर जिंक, फ्रनेश ऑयल, रॉक फास्फेट, कंटेनरों में विभिन्न वस्तुएं, फ्यूमेश ऑयल–बंकरिंग, पोल (जहाजों को बंकरिंग) पोटेबल वाटर, कले सहित लाइम सैल तथा अन्य इम्प्यूरिफाइस, तरल पदार्थ।
	लाख टन में	12.36	10.66	9.65	10.61	10.33	
	टीकेएम	13990516	11606503	9200000	10472868	10926878.75	
	बीटीकेएम	0.014	0.012	0.0092	0.0105	0.0109	
राष्ट्रीय जलमार्ग का उप–जोड़	**एमटी**	**6379642**	**6890493**	**6535177**	**7900536**	**6259441.277**	
	लाख टन में	**63.80**	**68.80**	**65.35**	**79.01**	**62.59**	
	टीकेएम	**1583999724**	**1922327831**	**2323611062**	**2712744062**	**2482616415**	
	बीटीकेएम	**1.584**	**1.922**	**2.32**	**2.71**	**2.48**	
गोवा जलमार्ग	एमटी	7582266	1003364	976987	4544537	15651400	लौह अयस्क, पिग आयरन/स्लेग, कुकिंग कोयला, थर्मल कोयला, लाइम स्टोन, रॉ पैट, कोक।
	लाख टन में	75.82	10.03	9.77	45.45	156.51	
	टीकेएम	379113300	50168200	48849350	227226850	782570000	
	बीटीकेएम	0.379	0.05	0.04884935	0.22722685	0.783	
महाराष्ट्र जलमार्ग	एमटी	9722819	10178956	22544335	28849378.47	33293253.51	कोयला, कंवर्टर ट्रांसफार्मर, प्रोजेक्ट कार्गो, बैनटोनाइट, सीमेंट (लूज), सीमेंट क्लिंकर, कोयला आमथरेसाइट, कोक, कुकिंग कोयला, क्रेन, डोटोमाइट, आई.ओ. फाइन्स, लौह अयस्क पैलेट, लाइम स्टोन, मैट कोक, पीसीआई कोयला, पैट कोक, पाइरोक्सेनाइट, क्वार्टजाइट, स्टील कॉयल, टीएमटी बार, एच.आर. कॉयल, बोक्साइट, भारी मात्रा में कोयला, भारी मात्रा में कॉयल, मुरैट पोटाश, केलीब्रेटिड लम्प लौह अयस्क, हॉट ब्रिक्यूटिड आयरन, रॉक फास्फेट, रेत, एच.आर.एस. प्लेट, एल.एन.जी., फ्लाई एस, जिप्सम, लौह अयस्क, मैज, मैक्स/प्रोजेक्ट कार्गो, मोलेसिस, स्टीम कोयला, चीनी, सल्फर, गेंहू, भारी मात्रा में बोक्साइट, ई.डी.सी., एथिलीन, वी.सी.एम. एवं अन्य।
	लाख टन में	97.23	101.79	225.44	288.49	332.93	
	टीकेएम	525032249	549663601	1217394090	1557866437	1797835690	
	बीटीकेएम	0.525	0.55	1.217	1.558	1.798	
सकल योग	**मीट्रिक टन**	**23684727**	**18072813**	**30056499**	**41294451**	**55204095**	
	लाख टन में	**236.85**	**180.73**	**300.56**	**412.84**	**552.04**	
	मिलियन टन	**23.68**	**18.07**	**30.06**	**41.29**	**55.20**	
	टीकेएम	**2488145273**	**2522159632**	**3589854502**	**4497837349**	**5063022105**	टीकेएम : किलोमीटर टन
	बीटीकेएम	**2.488**	**2.522**	**3.590**	**4.498**	**5.063**	बीटीकेएम : बिलियन टन किलोमीटर

नोटः

1. ये आंकड़े अजप प्रचालकों से भाअजप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संग्रहित किये जाते हैं।
2. गोवा में 50 कि.मी. तथा मुम्बई जलमार्ग में 54 कि.मी. की औसत दूरी मानी गई।
3. आईडब्ल्यूटीडी, असम सरकार से प्राप्त अंतिम रिपोर्ट के अधीन अनंतिम आंकड़े। पूर्व 03 वर्षों की औसत पर विचार करते हुए बहिर्वेशनीत आंकड़े।

14. जलमार्ग विकास परियोजना

14.1 जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये विश्व बैंक से तकनीकी सहायता तथा निवेश सहायता से राष्ट्रीय जलमार्ग–1 (रा.ज.–1) के हल्दिया–वाराणसी प्रखंड पर कार्यान्वित की गई है:

I. राष्ट्रीय जलमार्ग–1 की नाव्यता में सुधार करके 1500–2000 डेड वेट टनेज (डीडब्ल्यूटी) के बड़े जलयानों का नौचालन वर्ष में कम से कम 330 दिनों के लिए पूरे कॉरिडोर में कम से कम 3 मीटर गहराई सुनिश्चित करने के लिए फेयरवे का विकास;

ii. इस परियोजना के लिए आवश्यक सिविल संरचना, लॉजिस्टिक तथा संचार उपकरण सृजित करें जिसमें टर्मिनलों का निर्माण/प्रावधान, जेट्टियों, नौचालन लॉक, चैनल चिन्हित प्रणाली, डीजीपीएस का स्वचालित सूचना तकनीक, नदी सूचना प्रणाली (आरआईएस), रात्रि नौचालन सुविधाएं, स्लिपवेज, बंकरिंग सुविधा, नदी सम्बंधी प्रशिक्षण और नदी संरक्षण कार्य आदि के जरिये फेयरवे का विकास शामिल है।

iii. भू–तल परिवहन के अन्य माध्यमों जैसे–सड़क और रेल को जोड़ने/सुधार करने से सम्बंधित अवसर का सृजन लॉजिस्टिक चेन की समग्र दक्षता में सुधार के लिए करना। इससे जल परिवहन प्रबंधन की क्षमता में विस्तार संस्थागत मजबूती, क्षमता निर्माण तथा विनिवेश में सुधार के लिए होगा।

14.2 रा.ज.–1 की क्षमता का विस्तार करने के लिए विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन और इसके आनुषांगिक कार्यों के लिए विस्तृत अभियांत्रिकी अध्ययन मेसर्स होवे इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) प्रा. लि., मेसर्स वालिंग फोर्ड लि. और मेसर्स रोडिक कन्सल्टेंट्स प्रा. लि. द्वारा; मेसर्स ई.क्यू.एम.एस. इंडिया प्रा0 लि0, मेसर्स अबनाकी इन्फ्रास्ट्रक्चर एप्लिकेशन एंड इंटेगरेटिड डेवलेप्मेंट प्रा0 लि0, तथा आई.आर.जी. सिस्टम्स साउथ एशिया प्रा0 लि0 के संयुक्त उद्यम द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तथा पुनः निपटारा कार्य योजना (आरएपी) सहित पर्यावरणात्मक तथा सामाजिक प्रभाव निर्धारण अध्ययन (ईएसआईए) द्वारा; तथा रा.ज.–1 की क्षमता वृद्धि के लिये अजप क्षेत्र विकास रणनीति तथा बाजार विकास अध्ययन मेसर्स हम्बर्ग पोर्ट कन्सल्टिंग मेसर्स यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट कंसल्टिंग, मेसर्स आईएमएस ईमेजिनरियर्स, सेल चार्ट जीएमबीएच तथा मेसर्स राजबोल इंडिया के संयुक्त उद्यम द्वारा कराया जाना है, जेएमवीपी की परियोजना रूपरेखा तथा हस्तक्षेपों का मूल्यांकन करने के लिये वर्ष 2014–15 में कार्य दिया गया था जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान पूरा कर लिया गया था। इन अध्ययनों के आधार पर परियोजना के घटकों को समग्र परियोजना लागत रू0 5,369.18 करोड़ पर अंतिम रूप दिया गया जो निम्न प्रकार है :–

i. 03 स्थानों : वाराणसी, साहिबगंज तथा हल्दिया में मल्टीमॉडल टर्मिनलों का निर्माण।

ii. 02 स्थानों : गाजीपुर तथा कालूघाट में इंटरमॉडल टर्मिनलों का निर्माण।

iii. विद्यमान लॉक के समान्तर, फरक्का में नये नौचालन लॉक का निर्माण।

iv. निकर्षण, नदी प्रशिक्षण कार्यों, बैंक संरक्षण कार्यों तथा नदी चैनल बेंडों पुनः इंजीनियरिंग के जरिये निम्नलिखित एलएडी प्रदान करने के लिये फेयरवे विकास :

क) हल्दिया–बाढ़ प्रखंड पर 03 मी0 की एलएडी तथा 45 मी0 चौड़ी बॉटम चैनल;

ख) बाढ़–गाजीपुर प्रखंड पर 2.5 मी0 की एलएडी तथा 45 मी0 चौड़ी बॉटम चैनल;

ग) गाजीपुर–वाराणसी प्रखंड पर 2.2 मी0 की एलएडी तथा 45 मी0 चौड़ी बॉटम चैनल।

v. नौचालनात्मक सुविधाओं जैसे चैनल मार्किंग, रात्रि नौचालनात्मक सुविधाओं, जिसमें नौचालन हेतु ओपीएस की तैनाती तथा नदी मानचित्र एवं चार्ट भाामिल है, का प्रावधान।

vi. नदी सूचना प्रणाली (आरआईएस) तथा जलयान ट्रैकिंग एवं मॉनिटरिंग प्रणाली (वीटीएमएस) का प्रावधान।

vii. 10 स्थानों में रो–रो जेट्टी के 05 जोड़ों का निर्माण ।

viii. 02 स्थानों में एकीकृत जहाज मरम्मत तथा अनुरक्षण परिसरों का निर्माण।

14.3 व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में पब्लिक निवेश बोर्ड ने मार्च, 2017 में प्रस्ताव का मूल्यांकन किया तथा यूएस डॉलर 375 मिलियन के आईबीआरडी ऋण घटक सहित रू0 5369.18 करोड़ की अनुमानित लागत पर परियोजना के कार्यान्वयन के लिये मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन हेतु अनुशंसा की ।

14.4 मार्च, 2017 में भारत सरकार तथा विश्व बैंक के बीच यूएस डॉलर 375 मिलियन के आईबीआरडी ऋण हेतु बातचीत हुई थी तथा ऋण करार तथा परियोजना करार की शर्तों पर सहमति हुई थी।

14.5 उसी समय, जलमार्ग विकास परियोजना की 04 उप–परियोजनाएं रिपोर्ट अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु ली गई थी। रिपोर्ट अवधि के दौरान इन उप–परियोजना के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई थी :

(i) <u>रामनगर, वाराणसी में मल्टीमॉडल टर्मिनल :</u>

- 13 मई, 2016 को टर्मिनल के चरण–1(क) की संविदा रू0 169.59 करोड़ की लागत पर मैसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. को प्रदान किया गया था ।
- माननीय पोत परिवहन, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री ने 12 अगस्त, 2016 को टर्मिनल की आधारशिला रखी।
- ठेकेदार ने निर्माण कार्य का 35 प्रतिशत पूरा किया ।
- रा.रा.–7 से टर्मिनल की सड़क संबद्धता हेतु अपेक्षित 1.415 हेक्टेयर भूमि में से 0.436 हेक्टेयर भूमि भाअजप्रा के नाम में पंजीकृत की गई थी।
- टर्मिनल के दूसरे चरण हेतु अपेक्षित 27.754 हेक्टेयर भूमि में से 1.415 हेक्टेयर भूमि भाअजप्रा के नाम में पंजीकृत थी तथा भू–स्वामियों से 8.934 हेक्टेयर अन्य भूमि के संबंध में बिक्री हेतु सहमति प्राप्त हो गई थी।
- परामर्शदाताओं द्वारा पस्तावित टर्मिनल तथा ज्योनाथपुर रेलवे स्टेशन के बीच रेल सुयोजन हेतु तैयार

किये गये इस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) प्रस्ताव का उत्तर केंद्रीय रेलवे, इलाहाबाद द्वारा 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन कर दिया गया था।

- 'सिद्धांत रूप में' उत्तर प्रदेश वनजीव राज्य बोर्ड से काशी कच्छप शरणस्थल के ऊपर जलयानों के नौचालन हेतु अनुमोदन प्राप्त हो गया था।

(ii) <u>साहिबगंज में मल्टीमॉडल टर्मिनल :</u>

- जिला प्रशासन, साहिबगंज द्वारा मुख्य टर्मिनल हेतु अपेक्षित 191.13 एकड़ भूमि में से सड़क संबद्धता के लिये 176.425 एकड़ भूमि भाअजप्रा को अंतरित की गई थी।
- 27.10.2016 को मेसर्स एल एंड टी लि. को रू0 280.90 करोड़ की लागत पर टर्मिनल पर चरण–1 के निर्माण के लिये ठेका दिया गया था तथा ठेकेदार ने निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया था।

(iii) <u>हल्दिया में मल्टीमॉडल टर्मिनल :</u>

- कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से 30 वर्ष के पट्टे पर हल्दिया डॉक परिसर में 61 एकड़ भूमि पर टर्मिनल निर्मित किया जा रहा है।
- टर्मिनल के चरण–1 हेतु निविदा प्रक्रिया पूरी हो गई थी तथा 27.12.2016 को सफल बोलीदाता को एलओए जारी कर दी गई थी।
- परियोजना स्थल से होकर जाने वाली मेसर्स टाटा केमिकल्स की अमोनिया पाइप लाइन स्थानांतरित कर दी गई थी।
- ईएफ एवं सीसी मंत्रालय को विचार हेतु 17.01.2017 को पश्चिम बंगाल राज्य समुद्र तटीय अंचल प्रबंधन प्राधिकरण (डब्ल्यूबीसीजेडएमए) ने टर्मिनल के लिये सीआरजेड अनुमति की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की।

(iv) <u>फरक्का में नया नौचालनात्मक लॉक :</u>

- फरक्का में नया नौचालनात्मक लॉक फरक्का बैराज परियोजना से भाअजप्रा द्वारा प्राप्त फरक्का में 39 कि.मी. फीडर कैनाल पर 14.86 हेक्टेयर भूमि पर निर्मित किया जा रहा है।
- 24 नवम्बर, 2016 में सफल बोलीदाता को रू. 359.19 करोड़ के मूल्य पर नये नौचालनात्मक लॉक के निर्माण हेतु संविदा प्रदान की गई थी। ठेकेदार ने निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है।

14.6 शेष हस्ताक्षेपों के कार्यान्वयन के लिये रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्न विवरण के अनुसार कार्रवाई प्रारंभ की गई थी :

i **फेयरवे विकास :** रा.ज.–1 हेतु निकर्षण प्रबंधन योजना तथा रणनीति को संशोधित करने की कार्रवाई

प्रारंभ कर दी गई थी। फेयरवे के विभिन्न प्रखंडों हेतु निष्पादन आधारित अनुरक्षण संविदा के लिये डीपीआर की तैयारी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी।

ii. **नौचालन हेतु सुविधाएं** : डीपीआर की तैयारी हेतु अध्ययन तथा अन्वेषण कर लिये गये थे।

iii. **कालूघाट में इंटर मॉडल टर्मिनल** : अत्यधिक कंटेनर यातायात को संभालने के लिये टर्मिनल की योजना बनाई गई है। टर्मिनल हेतु 5.159 हेक्टेयर भूमि की पहचान कर ली गई है। भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी। डीपीआर की तैयारी हेतु अध्ययन तथा अन्वेषण कर लिये गये थे।

iv. **गाजीपुर में इंटर मॉडल टर्मिनल** : एलएनजी बंकरिंग हेतु टर्मिनल की योजना बनाई गई है। टर्मिनल के लिये 8.917 हेक्टेयर भूमि की पहचान कर ली गई थी तथा 31.03.2017 को जिला प्रशासन, गाजीपुर में इसके अधिग्रहण हेतु मांग दाखिल की गई थी। डीपीआर की तैयारी हेतु अध्ययन एवं अन्वेषण कर लिये गये थे।

v. **रो–रो टर्मिनल** : रो–रो टर्मिनल के 05 जोड़ों हेतु स्थान की पहचान कर ली गई थी। ये हैं : राजमहल तथा मानिकचाक; समदाघाट तथा मनिहारी; कहलगांव तथा टिनटांगा; महनार तथा बख्तियारपुर तथा बक्सर और सरायकोटा। डीपीआर की तैयारी हेतु अध्ययन एवं अन्वेषण कर लिये गये थे। भूमि के अधिग्रहण हेतु मांग दाखिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी।

(vi) **एकीकृत जलयान मरम्मत एवं अनुरक्षण परिसर** : व्यवहार्यता अध्ययन कर लिये गये थे।

14.7 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान जेएमवीपी के तहत निम्नलिखित परामर्श/अध्ययन भी चालू कर दिये गये थे :

i. 19.08.2016 को अंतर्देशीय जलयानों के डिजाइन हेतु सहायता सेवाओं के लिये परामर्शी चालू की गई थी।

ii. 31.01.2017 को रा.ज.–1 पर वाणिज्यीकरण की योजना तथा कार्यान्वयन हेतु परामर्शी सेवाएं चालू की गई थी।

iii.) 21.12.2016 को नौका सेवाओं के विकास हेतु परियोजना तैयारी तथा परिभाषा अध्ययन चालू किया गया था। भाअजप्रा उस समय तकनीकी सहायता प्रदान करेगा जिस समय राज्य सरकारें नौका क्रॉसिंग का निर्माण करेंगी।

iv. 05.01.2017 को राष्ट्रीय जलमार्ग–1 पर नौचालनात्मक अवसंरचना की क्षमता वृद्धि हेतु जलमार्ग विकास परियोजना के लिये मूल्यांकन अध्ययन सम्प्रेषण हेतु आवश्यक है।

अनुलग्नक–1

111 – राष्ट्रीय जलमार्ग सूची

राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या	राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	राज्य
1	गंगा–भागीरथी–हुगली	1620	उ.प्र., बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल
2	ब्रह्मपुत्र	891	असम
3	चंपाकारा और उद्योगमंडल कैनाल सहित पश्चिम तट कैनाल	365	केरल
4	गोदावरी और कृष्णा नदी सहित काकीनाडा पुदुचेरी कैनाल	2890	तमिल नाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
5	ब्रह्माणी और महानदी डेल्टा सहित पूर्व तट कैनाल	588	ओडिशा, पश्चिम बंगाल
6	आई	71	असम
7	अजॉय (अजय)	96	पश्चिम बंगाल
8	अलापुझा–चंगानेशरी कैनाल	28	केरल
9	अलापुझा–कोट्टायम–अथिरमपुझा कैनाल	38	केरल
10	अम्बा नदी	45	महाराष्ट्र
11	अरूणावति / अरण नदी	98	महाराष्ट्र
12	असि	5.5	उ.प्र.
13	एवीएम कैनाल (कन्याकुमारी से कोल्लम)	11	तमिल नाडु
14	बैतरणी नदी	49	ओडिशा
15	बक्रेश्वर / मयूराक्षी नदी	137	पश्चिम बंगाल
16	बराक	121	असम
17	ब्यास	191	हिमाचल प्रदेश और पंजाब
18	बेकी	73	असम
19	बेतवा	68	उ.प्र.

राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या	राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	राज्य
20	मवानी नदी	94	तमिल नाडु
21	भीमा	139	तेलंगाना और कर्नाटक
22	बिरूपा / बड़ी गेंगुटी / ब्रह्मणी नदी प्रणाली	156	ओडिशा
23	बूढ़ा बलंगा	56	ओडिशा
24	चंबल	60	उ.प्र.
25	चपोरा	33	गोव
26	चेनाब	53	जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब
27	कुम्बरजुआ	17	गोवा
28	दाभोल क्रीक / वशिष्टी नदी	45	महाराष्ट्र
29	दामोदर	135	पश्चिम बंगाल
30	देहिंग	114	असम
31	धनसिरि / कैथी	110	असम
32	दिखु	63	असम
33	दोयांस	61	असम
34	डीवीसी कैनाल	130	पश्चिम बंगाल
35	द्वारकेश्वर	113	पश्चिम बंगाल
36	द्वारका	121	पश्चिम बंगाल
37	गंडक	300	बिहार और उ.प्र.
38	गंगाधर	62	असम और पश्चिम बंगाल
39	गैनोल नदी	49	मेघालय
40	घाघरा नदी	340	बिहार और उ
41	घाटप्रभा	112	कर्नाटक
42	गोमती	518	उ.प्र.
43	गुरूपुर	10	कर्नाटक
44	इचामती	64	पश्चिम बंगाल
45	इंदिरा गाँधी कैनाल	650	हरियाणा, पंजाब और राजस्थान
46	इंडस	35	जम्मू और कश्मीर
47	जलंगी	131	पश्चिम बंगाल
48	ज्वाई – लूनी नदी और कच्छ का रण	590	राजस्थान और गुजरात

राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या	राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	राज्य
49	झेलम		जम्मू और कश्मीर
50	जिंजीराम नदी	43	मेघालय और असम
51	काबिनी	23	कर्नाटक
52	काली	54	कर्नाटक
53	कल्याण–थाणे–मुम्बई जलमार्ग, वसाई क्रीक और उल्हास नदी	145	महाराष्ट्र
54	करमनासा	86	उ.प्र. और बिहार
55	कावेरी /कोल्लीडैम नदी	364	तमिल नाडु
56	खेरकई	23	झारखण्ड
57	कोपिली नदी	46	असम
58	कोसी	236	बिहार
59	कोट्टयम–वयकॉम कैनाल	28	केरल
60	कुमारी	77	पश्चिम बंगाल
61	किंशी नदी	28	मेघालय
62	लोहित	100	असम
63	लूनी	327	राजस्थान
64	महानदी	425	ओडिसा
65	महानन्दा	81	पश्चिम बंगाल
66	महि	248	गुजरात
67	मालप्रभा	94	कर्नाटक
68	मंडोवी	41	गोवा
69	मणिमुथरू	5	तमिल नाडु
70	मंजरा	242	महाराष्ट्र और तेलंगाना
71	मपुसा / मोईद नदी	27	गोवा
72	नाग	60	महाराष्ट्र
73	नर्मदा	227	गुजरात
74	नेत्रवती	78	कर्नाटक
75	पलार	141	तमिल नाडु

राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या	राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	राज्य
76	पंचागंगावलि (पंचागंगोली)	23	कर्नाटक
77	पझयार	20	तमिल नाडु
78	पेन गंगा / वर्धा	265	महाराष्ट्र और तेलंगाना
79	पेन्नार	29	आंध्र प्रदेश
80	पोन्नियार	125	तमिल नाडु
81	पुनपुन	35	बिहार
82	पुथीमारी	72	असम
83	राजपुरी क्रीक	31	महाराष्ट्र
84	रावी	42	हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर
85	रेवदंदा क्रीक/कुदालिका नदी	31	महाराष्ट्र
86	रूपनारायण नदी	72	पश्चिम बंगाल
87	साबरमति	212	गुजरात
88	साल	14	गोवा
89	सावित्री नदी (बैंकट क्रीक)	46	महाराष्ट्र
90	शरावती नदी	29	कर्नाटक
91	शास्त्री नदी / जयगाद क्रीक	52	महाराष्ट्र
92	सिलाबटी	26	पश्चिम बंगाल
93	सिमसैंग नदी	62	मेघालय
94	सोन	160	बिहार
95	सुबंसिरि	111	असम
96	सुवर्णरेखा नदी	314	झारखण्ड, पश्चिम बंगाल और ओडिसा
97	सुंदरबन जलमार्ग	654	पश्चिम बंगाल
	बिद्या नदी		पश्चिम बंगाल
	छोटा कालागाछी (छोटो कालेरगाची) नदी		पश्चिम बंगाल
	गोमर		पश्चिम बंगाल
	हरिभंगा नदी		पश्चिम बंगाल
	हुगला (होगल) – पठानखली नदी		पश्चिम बंगाल

राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या	राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	राज्य
	कालिंदी (कालंदी) नदी		पश्चिम बंगाल
	कटाखली नदी		पश्चिम बंगाल
	मत्ला नदी		पश्चिम बंगाल
	मूरी गंगा (बराताला) नदी		पश्चिम बंगाल
	रायमंगल नदी		पश्चिम बंगाल
	साहिबखली (साहेबखली) नदी		पश्चिम बंगाल
	सप्तमुखी नदी		पश्चिम बंगाल
	थाकुरन नदी		पश्चिम बंगाल
98	सतलज	377	पंजाब और हिमाचल प्रदेश
99	टमरापरानी	64	तमिल नाडु
100	तापी	436	महाराष्ट्र और गुजरात
101	तिझु/जुंगकी नदी	42	नागालैंड
102	त्वांग (धलेश्वरी)	86	मिजोरम
103	टोन्स	73	उ.प्र.
104	तुंगभद्रा	230	तेलंगाना, कर्नाटक और उ.प्र.
105	उदयवारा	16	कर्नाटक
106	उमंगॉट (दाउकी) नदी	20	मेघालय
107	वैगई	45	तमिल नाडु
108	वरूणा नदी	53	उ.प्र.
109	वेनगंगा /प्रणहिता नदी	164	महाराष्ट्र और तेलंगाना
110	यमुना	1089	हरियाणा, उ.प्र. और दिल्ली
111	जुआरी	50	गोवा

15. वित्तीय निष्पादन

क. आय और व्यय

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार से रू0 35,841.00 लाख की राशि प्राप्त हुई थी और रू0 34,000.00 लाख की राशि अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) के जरिये जुटायी गयी थी तथा रू. 1647.75 लाख प्राधिकरण द्वारा अल्पावधि जमा पर ब्याज, टेंडर फर्मों की बिक्री, वृहत आकार के कार्गो/सामान्य कार्गो की ढुलाई, बर्थिंग/पायलटेज प्रभार आदि से अर्जित की गई थी। बड़ी योजना–वार व्यय नीचे दिया गया है :–

(लाख रू0 में)

क्र. सं	योजना का नाम	व्यय	
		पूर्व वर्ष 2015–16	वर्तमान वर्ष 2016–17
1	तकनीकी अध्ययन	98.50	-
2	**राष्ट्रीय जलमार्ग सं.–1**		
(i)	नदी संरक्षण कार्य	3519.70	3857.63
(ii)	कार्गो बर्थ/टर्मिनलों का निर्माण	99.73	6537.45
(iii)	स्टील पंटून का प्रापण	28.04	-
(iv)	डीजीपीएस स्टेशन का संस्थापन	61.83	-
(v)	आरआईएस प्रणाली का संस्थापन	664.27	680.50
(vi)	निनी	236.67	228.80
(vii)	अजप प्रोन्नत गतिविधियां		217.95
	उप–जोड़	**4610.24**	**11522.33**
3	**राष्ट्रीय जलमार्ग सं.–2**		
(i)	नदी संरक्षण कार्य	1436.31	1652.24
(ii)	टर्मिनलों का निर्माण एवं रखरखाव	467.49	36.95
(iii)	रो–रो टर्मिनल का निर्माण	2182.00	48.48
(iv)	रो–रो जलयानों का निर्माण	327.12	877.08
(v)	कार्गो जलयानों का निर्माण	-	1226.70
(vi)	तट संरक्षण कार्य	546.20	2168.99
(vii)	कार्य नौका का निर्माण	2595.54	10.89
(viii)	पांडु में स्लिप वे का निर्माण	253.79	255.86
(ix)	प्रोटोकॉल मार्ग का विकास	130.83	151.50
(x)	टर्मिनल हेतु भूमि	-	779.68
(xi)	कार्गो जलयानों का ओ एंड एम तथा अजप प्रोन्नत गतिविधियां	-	179.10
(xii)	रा.ज. (एनईआर) हेतु टीईएफ/डीपीआर/सीआरजेड/अध्ययन	-	79.73
	उप–जोड़	**7939.28**	**7467.20**
4	**राष्ट्रीय जलमार्ग सं.–3**		
(i)	नदी संरक्षण कार्य	740.88	701.00
(ii)	टर्मिनलों का निर्माण एवं रखरखाव	90.13	132.04
(iii)	सर्वेक्षण उपकरण का प्रापण	0.72	-
	उप–जोड़	**831.73**	**833.04**
5	**राष्ट्रीय जलमार्ग सं.–4**		
(i)	विकास कार्य	256.97	95.78
	उप–जोड़	**256.97**	**95.78**
6	**राष्ट्रीय जलमार्ग सं.–5**		
(i)	विकास कार्य	385.14	2592.32
(ii)	स्टील पंटून का प्रापण	-	102.83
	उप–जोड़	**385.14**	**2695.15**

(लाख रू0 में)

क्र. सं	योजना का नाम	व्यय	
		पूर्व वर्ष 2015–16	वर्तमान वर्ष 2016–17
7	**जलमार्ग विकास परियोजना**		
(i)	पट्टा भूमि हल्दिया	3962.00	-
(ii)	परामर्शी व्यय तथा पीएमयू व्यय	1640.95	2412.47
(iii)	टर्मिनल सुविधा खर्च	70.78	150.46
(iv)	भूमि अधिग्रहण–साहिबगंज	7699.87	8558.21
(v)	मल्टी मॉडल का निर्माण– साहिबगंज	-	3540.64
(vi)	मल्टी मॉडल का निर्माण– वाराणसी	-	3130.26
(vi)	नया नौचालनात्मक लॉक फरक्का का निर्माण	-	4281.76
(vii)	भूमि अधिग्रहण–वाराणसी	224.40	7578.90
(viii)	सर्वेक्षण सह–निरीक्षण जलयानों का प्रापण– टर्नकी	546.07	546.07
	उप–जोड़	**14144.07**	**30198.77**
8	आई.टी. गतिविधियों का खर्च	23.09	42.36
9	अजप विकास निधि	178.85	-
10	स्थापना	3389.65	5315.94
11	परियोजना प्रबंधन परामर्शी	226.39	383.87
12	पीपीपी परियोजना खर्च	183.05	-
13	नये राष्ट्रीय जलमार्ग	145.74	965.23
	उप–जोड़	**4146.77**	**6707.40**
	सकल–जोड़	**32412.70**	**59519.67**

16. प्राधिकरण में संघ सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयनः 2016–17

प्राधिकरण अपने सभी कार्यकलापों में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु प्रगामी रूप में कार्य करने के लिए कटिबद्ध है। प्राधिकरण के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में समय–समय पर हिन्दी कार्यशालाएं और अन्य संबंधित कार्यकलाप आयोजित किए गए। प्राधिकरण के मुख्यालय एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी कार्यालयों में विभिन्न प्रकार की हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा भा. अ. ज. प्रा. को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) नौएडा के सभी सदस्य कार्यालयों में भारत सरकार की राजभाषा नीति को कार्यान्वित कराने का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा गया है। भा0 अ0 ज0 प्रा0 के अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष हैं। नराकास, नौएडा के विभिन्न सदस्य कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं पर विचार–विमर्श करने के लिए अर्द्धवार्षिक बैठक नियमित रूप से आयोजित की गई। सदस्य कार्यालयों के कार्मिकों को राजभाषा हिन्दी में अधिक से अधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु समय–समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, कार्यशालाएं और अन्य संबंधित गतिविधियाँ न0 रा0 का0 स0, नौएडा के तत्वावधान में आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक लाने वाले सदस्य कार्यालयों के कार्मिकों के बच्चों को प्रत्येक वर्ष 'हिन्दी प्रतिभा पुरस्कार' से सम्मानित किया जाता है।

17. कार्मिक और प्रशासन

यथा दिनांक 31.03.2017 को मुख्यालय में 30 अधिकारी एवं 60 स्टाफ तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में 51 अधिकारी एवं 162 स्टाफ कार्यरत थे।

आभारोक्ति

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर दिए गए अमूल्य सहयोग और योगदान के लिए कृतज्ञता सहित आभार व्यक्त करता है।

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत के लेखा नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक और अन्य सरकारी विभागों/अभिकरणों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करता है।

कृते

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के निमित्त

(नूतन गुहा बिश्वास)

अध्यक्ष

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
I. निधि के स्रोत			
(i) संग्रह/पूंजी	1		
(क) धारा 11(i)(सी) के तहत पूंजी		9,437,244	9,437,244
(ख) धारा 19 के तहत भाअजप्रा निधि		9,034,956,204	7,882,246,328
(ii) आरक्षित एवं अधिशेष	2	931,900	7,587,701
(iii) उधार	3		
(क) सुरक्षित ऋण			
(ख) असुरक्षित ऋण		3,400,000,000	-
(iv) चालू देयताएं एवं प्रावधान			
(क) फुटकर जमाकर्ता	4	-	
(ख) अन्य चालू देयताएं	5	1,328,185,581	745,654,762
(ग) प्रावधान	6	246,124,526	483,237,198
		-	
जोड़		**14,019,635,455**	**9,128,163,233**
II. निधि का प्रयोग			
(i) स्थायी परिसंपत्तियां	7		
(क) मूर्त परिसंपत्तियां सकल ब्लॉक		10,467,131,923	8,256,717,086
घटाएं : मूल्यह्रास		2,368,874,892	2,153,406,174
		8,098,257,031	**6,103,310,912**
(ख) अमूर्त परिसंपत्तियां सकल ब्लॉक	7	15,744,171	12,679,734
घटाएं : मूल्यह्रास		11,198,158	7,037,979
		4,546,013	**5,641,755**
(ग) पूंजी कार्य प्रगति पर है		1,279,224,451	592,790,739
(घ) विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां		-	-
(ii) निवेश	8	75,009,494	75,009,494
(iii) वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम			
(क) माल सूचियां	9	42,934,790	45,345,796
(ख) प्राप्त योग्य ट्रेड	10	38,622,827	30,492,298
(ग) नगर तथा नगर समकक्ष	11	1,806,358,717	454,072,856
(घ) ऋण तथा अग्रिम	12	2,516,479,166	1,674,472,760
(ङ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	13	158,202,966	147,026,623
जोड़		**14,019,635,455**	**9,128,163,233**
टिप्पणी : (क) वित्तीय विवरणियों के एकीकृत भाग से लेखों हेतु टिप्पणियां (ख) महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीति	17 18	-	-

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(ए.के. गुप्ता)	(आलोक रंजन)	(प्रवीर पाण्डेय)	(नूतन गुहा बिश्वास)
मुख्य लेखा अधिकारी	सदस्य (वित्त)	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार आय–व्यय लेखा

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
I. आय			
(क) राजस्व अनुदान/सहायता			
– केंद्रीय सरकार से		760,100,000	263,900,000
–राज्य सरकारों से			
– अंतर्राष्ट्रीय संगठन			
– अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
(ख) पूंजीगत अनुदानों से अंतरित		212,330,638	221,221,311
(ग) भाअजप्रा निधि से अंतरित			
(घ) अन्य आय (प्रकृति : विनिर्दिष्ट करें)			
कुल आय (क)		**972,430,638**	**485,121,311**
II. व्यय			
(क) प्रचालनात्मक एवं रखरखाव खर्च	14	1,675,675,869	970,142,217
(ख) कार्मिक एवं प्रशासनिक खर्च	15	527,943,753	376,702,283
(ग) वित्तीय खर्च	16	145,942	88,659
(घ) मूल्यह्रास	7	218,986,439	221,970,108
(ङ) पूर्व अवधि वस्तुएं		14,651,463	2,484,646
(च) सहायता			
कुल व्यय (ख)		**2,437,403,466**	**1,571,387,913**
व्यय से अधिक आय (क–ख)		**(1,464,972,828)**	**(1,086,266,602)**
घटाएं/जोड़ें : पूंजीगत रिजर्व को/से अंतरण		6,655,801	748,797
घटाएं/जोड़ें : पूंजीगत रिजर्व को/से अंतरण			
भाअजप्रा निधि में निवल अधिशेष एवं घाटा अंतरित			
		(1,458,317,027)	**(1,085,517,805)**
टिप्पणी : (क) वित्तीय विवरणियों के एकीकृत भाग से लेखों हेतु टिप्पणियां (ख) महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीति	17 18		

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(ए.के. गुप्ता) मुख्य लेखा अधिकारी	(आलोक रंजन) सदस्य (वित्त)	(प्रवीर पाण्डेय) उपाध्यक्ष	(नूतन गुहा बिश्वास) अध्यक्ष

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्ति तथा भुगतान लेखें

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
प्राप्तियां		
(I) प्रारंभिक शेष		
(i) उपलब्ध नकद	-	
–आईएनआर	38,710	49,254
–विदेशी मुद्रा	-	-
(ii) बैंक में जमा नकद	(130,807,179)	(28,543,355)
(iii) बैंक में लघु अवधि जमा	584,841,326	364,861,000
(II) प्राप्त अनुदान		
(i) भारत सरकार से अनुदान	3,584,100,000	3,222,903,000
(ii) अन्य प्रकार के दान विनिर्दिष्ट करने हेतु	-	
(III) उधारी से प्राप्त आय		
(i) बॉड/सिक्योरिटी से प्राप्तियां	3,400,000,000	
(ii) ऋण से प्राप्ति	-	
(iii) अन्य	-	
(IV) आंतरिक आय		
(i) प्राप्त किराया	25,601,649	26,145,951
(ii) अन्य आंतरिक आय	-	
–एसटीडी पर ब्याज	79,234,502	50,762,525
–स्टाफ अग्रिम पर ब्याज	190,290	205,000
–मोबाइल अग्रिम पर ब्याज	-	-
–अन्य प्राप्त ब्याज	-	-
– निवेशों से आय	-	116,264
–परामर्शी खर्च	-	-
–जलमार्ग उपयोगकर्ता प्रभार	599,744	1,016,899
–बर्थिंग प्रभार	50,315	4,989,336
– नौकर्षण खर्च	-	-
–पायलेटेज प्रभार	440,492	14,390
–टर्मिनल प्रभार	37,322	3,202
–ट्रांजिट शेड प्रभार	-	873,110
–बड़े आकार के सामान की ढुलाई (ओडीसी)	1,322,645	3,690,323
–क्रेन (पोंटून क्रेन सहित)किराया प्रभार	247,981	215,460
–कंटेनर क्रेन प्रभार	-	-
–फोर्क लिफ्ट प्रभार	100,000	-
–जलयानों को विद्युत आपूर्ति	-	10,463
–वारफेज	-	29,146
–डिमरेज	-	-
–निविदा प्रपत्र की बिक्री	1,113,663	1,101,500
–नौचालन चार्ट की बिक्री	122,660	95,938
–स्थायी परिसंपतितयों की बिक्री से आय	-	798,135
–विविध प्राप्तियां	788,255	1,712,869
प्रोटोकॉल फीस	1,200	1,055,155
–जलयान भाड़ा प्रभार	1,391,186	7,317,670
–वर्दी	-	486,400
–हॉस्टल आदि	1,202,850	482,100
–ट्यूशन फीस	5,676,700	5,569,200
–अन्य आय (प्रकृति : विनिर्दिष्ट की जानी है)	-	-

(V) अन्य प्राप्ति	-	
(i) सुरक्षा जमा प्राप्त	13,593,530	17,492,285
(ii) बयाना राशि प्राप्त	107,161,925	157,710,393
(iii) अग्रिमों की वसूली	695,943	425,330
(iv) अन्य	-	-
दावों की वसूली	11,503,371	10,569,166
शाखा एवं प्रभाग से प्राप्तियां	3,108,802,991	1,233,249,918
उसका योगदान	346,000	243,000
एलआईसी से प्राप्त	266,509	170,557
आयकर वापसी	-	6,295,680
एनपीएस न्यास से प्राप्त हुआ	2,262,062	
अन्य वसूली	4,355	31,315
जीपीएफ अंशदान	9,435,455	13,833,106
ग्राहक से अग्रिम प्राप्ति	50,098,246	4,047,781
कर्जदारों से प्राप्तियां		25,817,593
जोड़	**10,860,464,697**	**5,135,847,059**
भुगतान		
(I) व्यय		
(i) प्रचालनात्मक तथा रखरखाव खर्च	48,622,360	49,636,510
(ii) कार्मिक खर्च	137,963,048	117,252,258
(iii) वित्तीय प्रभार	763,636	99,980
(iv) पूर्व अवधि खर्च	296,796	945,922
(II) उधारी का पुनर्भुगतान		
(i) बॉड/सिक्योरिटी का पुनर्भुगतान	-	
(ii) ऋण का पुनर्भुगतान	-	
(III) निवेश एवं जमा किये गये	-	
(IV) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	162,240,520	35,465,284
(V) ऋण एवं अग्रिम का भुगतान		
(i) गृह निर्माण अग्रिम	224,379	393,368
(ii) विभागीय अग्रिम	5,071,271	6,265,959
(iii) यात्रा अग्रिम	3,895,824	3,473,953
(iv) एलटीसी अग्रिम	863,688	1,770,353
(v) स्टाफ को मेडिकल अग्रिम	1,403,568	341,820
(vi) पीसी अग्रिम	260,000	-
(vii) स्टाफ को अन्य अग्रिम	753,475	726,250
(viii) आपूर्तिकर्ताओं एवं ठेकेदारों को अग्रिम	250,838,906	581,465,336
(ix) पूर्व प्रदत्त खर्च	606,863	2,341,247
(VI) अन्य भुगतान		
(i) सिक्योरिटी जमा की वापसी	116,914,326	5,926,253
(ii) बयाना राशि की वापसी	77,796,418	189,836,049
(iii) सिक्योरिटी जमा अदा किया	790,506	561,558
(iv) शुल्क तथा कर अदा किये	167,869,426	51,190,965
(v) शाखा एवं प्रभार को भुगतान	4,831,011,462	2,337,817,181
(vi) पोत परिवहन मंत्रालय को भुगतान (आंतरिक प्राप्तियां)	124,912,196	91,387,222
(vii) अग्रिम की वसूली के लिये पश्चिम केंद्रीय रेलवे को भुगतान	-	-
(viii) पेंशन अंशदान का भुगतान	480,901,436	17,642,113
(ix) तीसरे पक्ष की ओर से भुगतान	5,731,875	23,727,481
(x) जीपीएफ अंशदान– भाअजप्रा	40,363,533	40,239,395
(xi) जीपीएफ अग्रिम वसूली	1,143,550	721,200
(xii) रूके हुए करों का भुगतान	71,704,885	14,676,724
(xiii) ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता को भुगतान	2,512,647,578	1,102,750,340
(xiv) बॉड से संबंधित खर्चों का भुगतान	2,526,068	
(xv) विभागों से संबंधित विभिन्न वसूलियों का भुगतान	5,988,387	5,119,482

(VII) अंतिम शेष		
(i) उपलब्ध नकद		
–आईएनआर	37,692	38,710
–विदेशी मुद्रा	-	-
(ii) बैंक में नकद	120,200,460	(130,807,179)
(iii) बैंक में लघु अवधि जमा	1,581,120,565	584,841,326
(iv) ट्रांजिट में धन प्रेषण	105,000,000	
जोड़	**10,860,464,697**	**5,135,847,059**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(ए.के. गुप्ता)	(आलोक रंजन)	(प्रवीर पाण्डेय)	(नूतन गुहा बिश्वास)
मुख्य लेखा अधिकारी	सदस्य (वित्त)	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

अन्य अनुसूचियाँ
एवं
अंकेक्षण रिपोर्ट

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

यथा दिनांक 31.03.2017 के अनुसार तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

विवरण		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुसची–1 "पूंजी"			
1	धारा ।।(I)(सी) के तहत पूंजी	9,437,244	9,437,244
2	धारा–19 के तहत भाअजप्रा निधि		
	निधि का प्रारंभिक शेष	7,882,246,328	8,584,869,135
जोड़े	भारत सरकार से प्राप्त पूंजी अनुदान	2,824,000,000	2,955,200,000
जोड़े	भारत सरकार से प्राप्त ऋण		
जोड़े	आंतरिक प्राप्तियां (सूची के अनुसार)	164,775,141	124,912,196
जोड़े	अन्य अनुदान प्राप्त हुए		
घटाएं	भारत सरकार को देय राशि	(164,775,141)	(124,912,196)
घटाएं	पूर्व घाटा	-	(413,417,748)
घटाएं	आय एवं व्यय लेखों में अंतरित	(212,330,638)	(221,221,311)
जोड़े/घटाएं	आय एवं व्यय लेखों से अंतरित अधिशेष/घाटा	(1,458,317,027)	(1,085,517,805)
जोड़े/घटाएं	मूल्यह्रास का समायोजन	(642,459)	
घटाएं	प्रारंभिक पुनर्स्थापन रिजर्व		(1,937,665,943)
	भाअजप्रा निधि का अंतिम शेष	9,034,956,204	7,882,246,328
	योग	**9,044,393,448**	**7,891,683,572**
अनुसची–2 "आरक्षित एवं अधिशेष"			
1	पूंजीगत रिजर्व		
	प्रारंभिक शेष	7,587,701	8,225,858
	जोड़े : वर्ष के दौरान वृद्धि	-	110,640
	घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	(6,655,801)	(748,797)
		931,900	**7,587,701**
2	सामान्य रिजर्व		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	जोड़े/घटाएं : वर्ष के दौरान वृद्धि/कटौती	-	-
3	अन्य कोई रिजर्व/निधि (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	-	-
	प्रारंभिक शेष	-	-
	जोड़े/घटाएं : वर्ष के दौरान वृद्धि/कटौती		
	योग	**931,900**	**7,587,701**
अनुसची–3 "उधार"			
क	**सुरक्षित**		
1	भारत सरकार से ऋण	-	-
2	बैंक/वित्तीय संस्थानों से ऋण	-	-
3	बॉड/डिबेंचर्स	-	-
4	अन्य ऋण	-	-
ख	**असुरक्षित**		
1	भारत सरकार से ऋण	-	-
2	बैंक/वित्तीय संस्थानों से ऋण	-	-
3	बॉड/डिबेंचर्स	3,400,000,000	-
4	अन्य ऋण	-	-
	योग	**3,400,000,000**	-
अनुसची–4 "फुटकर जमाकर्ता"			
1	आपूर्तिकर्ता एवं ठेकेदार	-	-
2	पेशेवर	-	-
3	अन्य	-	-
	योग	-	-
अनुसची–5 "अन्य चालू देयताएं"			
1	सुरक्षित जमा प्राप्त हुई	188,546,065	133,096,462
2	बयाना राशि प्राप्त हुई	14,926,809	5,664,476
3	अंतर धनराशि प्राप्त हुई	-	-
4	सेवा कर एवं अन्य कर रोके गए	76,971,903	
5	व्यय हेतु देयताएं	819,952,906	446,503,803
6	देय शुल्क तथा कर	15,405,432	9,562,550
7	भारत सरकार को देय आंतरिक प्राप्तियां	164,775,141	124,912,197
8	ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	21,698,314	25,577,128
9	धरोहर धनराशि		
10	अन्य	25,909,011	338,146
	योग	**1,328,185,581**	**745,654,762**

विवरण		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुसूची–6 "प्रावधानं"			
1	ग्रेच्युटी हेतु प्रावधान	27,025,525	498,564
2	छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान हेतु प्रावधान (प्रतिनियुक्ति पर कार्मिकों हेतु)	3,883,295	978,215
3	पेंशन अंशदान हेतु प्रावधान	182,471,816	480,866,088
4	छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	19,752,608	-
5	नयी पेंशन योजना हेतु प्रावधान	-	-
6	बोनस हेतु प्रावधान	1,666,587	894,331
7	शुल्क तथा कर हेतु प्रावधान	-	-
8	बॉडों/डिबेंचरों पर ब्याज हेतु प्रावधान	-	-
9	अन्य प्रावधान	11,324,695	-
	योग	**246,124,526**	**483,237,198**
अनुसूची–8 "निवेश"			
(क)	**दीर्घावधि निवेश**		
1	सहायता तथा संयुक्त उद्यम	-	-
2(i)	अन्य निवेश– सरकारी सुरक्षा	74,709,494	74,709,494
2(ii)	सरकारी सुरक्षा के अलावा अन्य निवेश	300,000	300,000
	योग (क)	**75,009,494**	**75,009,494**
(ख)	**लघु अवधि निवेश**		
1	सहायता तथा संयुक्त उद्यम	-	-
2	अन्य निवेश	-	-
	योग (ख)		
	सकल योग (क+ख)	**75,009,494**	**75,009,494**
अनुसूची–9 "सामान सूचियां"			
1	मेरिन स्पेयर पार्ट्स	29,111,898	30,843,944
2	स्थायी भंडार	289,149	289,149
3	उपभोगीय एवं स्टेशनरी	600,873	844,605
4	पीओएल स्टॉक	12,635,730	12,772,687
5	अन्य	297,140	595,411
	योग	**42,934,790**	**45,345,796**
अनुसूची–10 "प्राप्य योग्य ट्रेडं"			
1	06 माह से अधिक	19,015,409	6,431,082
2	अन्य (अर्थात 06 माह से कम)	19,607,418	24,061,216
	योग	**38,622,827**	**30,492,298**
अनुसूची–11 "नकद तथा नकद तुल्यं"			
1	उपलब्ध नकद		
	–आईएनआर	37,692	38,710
	–विदेशी मुद्रा	-	-
2	उपलब्ध स्टाम्प	-	-
3	अनुसूचित बैंकों में नकद	120,200,460	(130,807,180)
4	बैंकों में लघु अवधि जमा	1,581,120,565	584,841,326
5	ट्रांजिस्ट में धनराशि	105,000,000	-
	योग	**1,806,358,717**	**454,072,856**
अनुसूची–12 "ऋण तथा अग्रिम"			
1	ठेकेदारो एवं आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	-	-
	–पूंजीगत अग्रिम	2,433,419,831	1,612,315,820
	–राजस्व अग्रिम	24,586,385	15,381,103
2	स्टाफ को अग्रिम	4,801,330	5,534,852
3	विभागीय अग्रिम	542,098	273,665
4	प्रदत्त सुरक्षा जमाएं	35,125,635	35,072,182
5	प्रदत्त अग्रिम शुल्क तथा कर	11,749,533	3,591,880
6	प्रौद्भूत देय एवं ब्याज	6,254,354	2,303,258
7	अन्य	-	-
	योग	**2,516,479,166**	**1,674,472,760**
अनुसूची–13 "अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां"			
1	पूर्व प्रदत्त खर्चें	34,357,046	33,049,338
2	वसूली योग्य दावें	123,845,920	113,977,285
3	अन्य	-	
	योग	**158,202,966**	**147,026,623**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(ए.के. गुप्ता)	(आलोक रंजन)	(प्रवीर पाण्डेय)	(नूतन गुहा बिश्वास)
मुख्य लेखा अधिकारी	सदस्य (वित्त)	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

अनुसूची–7

भारतीय अंतर्देशीय
31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

विवरण	सकल ब्लॉक			
	01.04.2016 की स्थिति के अनुसार	वृद्धि	कटौती	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार
(क) मूर्त परिसंपत्तियां				
भूमि एवं भवन				
भवन	1,212,787,758	36,237,326	(372,040)	1,248,653,044
कार पार्किंग	23,392,491	-		23,392,491
भूमि (अन्य)	265,626,705	1,929,826,034	-	2,195,452,739
भूमि (चौड़ा करना)	45,767,583	-	(9,284,593)	36,482,990
पट्टाधारित भूमि	426,228,909		(25,492,661)	400,736,248
आवासीय क्वाटर	30,732,753	124,250		30,857,003
अस्थायी संरचना	11,237,914	170,854	-	11,408,768
योग (i)	2,015,774,113	1,966,358,464	(35,149,294)	3,946,983,283
	-	0	-	
टर्मिनल				
सिविल संरचना	1,755,594,732	86,872,733	-	1,842,467,465
भूमि	192,334,530	3,040,593	-	195,375,123
योग (ii)	1,947,929,262	89,913,326	-	2,037,842,588
पुल, पुलियां/बंकर आदि				
प्लव	54,467			54,467
फुट ओवर ब्रिज थोटापल्ली	2,188,615	-	-	2,188,615
टावर	15,895,321	-		15,895,321
योग (iii)	18,138,403	-	-	18,138,403
प्लांट एवं मशीनरी				
एयर कंडीशनर	24,689,694	373,300	(27,395)	25,035,599
सिविल संरचना सहित डीजीपी स्टेशन	64,781,168	9,536,935	-	74,318,103
अग्नि शोकअप उपकरण	5,237,144	-		5,237,144
फोरक लिफ्ट्स	6,370,925	-		6,370,925
जेनेरेटर सेट	9,281,504	27,460	-	9,308,964
जलीय क्रेन	160,241,797	-		160,241,797
रात्रि नौवाहन उपकरण	109,318,077	3,964,853	(817,220)	112,465,710
यात्री लिफ्ट	4,612,400	-		4,612,400
सिविल संरचना सहित आरआईएस स्टेशन	160,368,112	39,751,027		200,119,139
सर्वेक्षण उपकरण/औजार	89,564,887	14,355,422	605,290	104,525,599
कार्यशाला उपकरण	402,778	-		402,778
योग (iv)	634,868,486	68,008,997	(239,325)	702,638,158
फर्नीचर एवं फिक्सर्स				
फर्नीचर एवं फिक्सर्स	23,074,464	1,656,453	-	24,730,917
हॉस्टल एवं रसोई	606,957	8,720		615,677
योग (v)	23,681,421	1,665,173	-	25,346,594
मोटर वाहन				
साइकिल	7,356	-		7,356
मोटर वाहन	5,605,228	834,019	-	6,439,247
योग (vi)	5,612,584	834,019	-	6,446,603
जहाज एवं जलयान				
बार्जेज तथा पंटून	339,035,298	-		339,035,298
गतिवान नाव	12,286,496	-	-	12,286,496
जलयान निकर्षण इकाई	2,653,680,064	1,088,960	-	2,654,769,024
सामान्य जलयान	512,762,983	101,863,352	-	614,626,335
योग (vii)	3,517,764,841	102,952,312	-	3,620,717,153
कार्यालय उपकरण				
पंखे एवं एयर कूलर	1,510,295	11,225	(12,275)	1,509,245
कार्यालय उपकरण	10,220,503	500,807	(298,538)	10,422,772
वाटर कूलर एवं फ्रिज	655,274	-	-	655,274
योग (viii)	12,386,072	512,032	(310,813)	12,587,291
कंप्यूटर तथा डाटा प्रोसेसिंग यूनिट				
संचार उपकरण/औजार	5,724,470	-	(605,290)	5,119,180
कंप्यूटर	35,006,511	4,016,564	(535,169)	38,487,906
सिमुलेटर्स	31,731,375	-	-	31,731,375
योग (ix)	72,462,356	4,016,564	(1,140,459)	75,338,461
विद्युत संस्थापन				
विद्युत संस्थापन	14,647,606	2,660,656	-	17,308,262
योग (x)	14,647,606	2,660,656	-	17,308,262
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं				
पाठ्यक्रम सामग्री एवं उपकरण	529,999	-		529,999
पुस्कालय पुस्तकें	2,782,672	472,456		3,255,128
योग (xi)	3,312,671	472,456		3,785,127
योग–क (i+ii+iii+iv+v+vi+vii+viii+ix+x+xi)	8,266,577,815	2,237,393,999	(36,839,891)	10,467,131,923
अमूर्त परिसंपत्तियां				
सोल विश्लेषण	3,335,236	682,720	208,360	4,226,316
सॉफ्टवेयर	11,312,109	205,746		11,517,855
योग (ख)	14,647,345	888,466	208,360	15,744,171
योग (क+ख)	8,281,225,160	2,238,282,465	(36,631,531)	10,482,876,094
पूर्व वर्ष	6,784,036,815.00	1,200,438,217.00	(129,116,631.00)	7,855,358,401.00

(ए.के. गुप्ता)
मुख्य लेखा अधिकारी

Alok Ranjan
(आलोक रंजन)
सदस्य (वित्त)

भाअजप्रा IWAI

जलमार्ग प्राधिकरण
स्थायी परिसंपत्तियों की अनुसूची

मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	निवल ब्लॉक
01.04.2016 को स्थिति के अनुसार	वर्ष के दौरान	वृद्धि/कटौती	31.03.2017 को स्थिति के अनुसार	31.03.2017 को स्थिति के अनुसार	31.03.2016 को स्थिति के अनुसार
319,614,048	28,438,995	1,895,579	349,948,622	898,704,422	893,173,710.00
2,561,263	344,974	-	2,906,237	20,486,254	20,831,228.00
-			-	2,195,452,739	242,046,545.00
-	-		-	36,482,990	45,767,583.00
			-	400,736,248	
6,984,906	473,106	-	7,458,012	23,398,991	23,747,847.00
11,237,914	170,854	-	11,408,768	-	
340,398,131	29,427,929	1,895,579	371,721,639	3,575,261,644	1,225,566,913
-	-	-	-		
267,597,572	49,301,004	-	316,898,576	1,525,568,889	1,448,477,331
-	-		-	195,375,123	255,434,519
267,597,572	49,301,004	-	316,898,576	1,720,944,012	1,703,911,850
52,612	-	(868)	51,744	2,723	1,855
975,250	54,743		1,029,993	1,158,622	1,213,365
4,804,720	1,029,866		5,834,586	10,060,735	11,090,601
5,832,582	1,084,609	(868)	6,916,323	11,222,080	12,305,821
6,719,506	2,164,565	(26,027)	8,858,044	16,177,555	17,970,188
18,846,670	3,374,217	-	22,220,887	52,097,216	45,934,498
3,698,066	546,502		4,244,568	992,576	1,539,078
3,953,251	349,855		4,303,106	2,067,819	2,417,674
2,828,095	647,877	-	3,475,972	5,832,992	6,453,409
83,094,122	13,407,818	-	96,501,940	63,739,857	77,147,675
46,244,393	8,060,796	(112,049)	54,193,140	58,272,570	63,073,684
505,016	68,020	-	573,036	4,039,364	4,107,384
9,212,858	3,267,310		12,480,168	187,638,971	151,155,254
56,987,701	4,910,254	534,012	62,431,967	42,093,632	32,577,186
124,286	26,579		150,865	251,913	278,492
232,213,964	36,823,793	395,936	269,433,693	433,204,465	402,654,522
11,299,955	1,426,948	(6,790)	12,720,113	12,010,804	11,774,509
472,983	102,409		575,392	40,285	133,974
11,772,938	1,529,357	(6,790)	13,295,505	12,051,089	11,908,483
5,356	230	(16)	5,570	1,786	1,947
2,923,419	503,340	(6,751)	3,420,008	3,019,239	2,681,862
2,928,775	503,570	(6,767)	3,425,578	3,021,025	2,683,809
114,596,051	7,865,955	(21,218)	122,440,788	216,594,510	224,439,247
8,597,131	395,170	-	8,992,301	3,294,195	3,689,365
906,961,280	60,451,974	-	967,413,254	1,687,355,770	1,746,718,784
191,966,867	14,778,461	-	206,745,328	407,881,007	320,796,116
1,222,121,329	83,491,560	(21,218)	1,305,591,671	2,315,125,482	2,295,643,512
1,263,478	34,433	(11,761)	1,286,150	223,095	246,817
6,265,633	1,268,334	(286,226)	7,247,741	3,175,031	3,954,869
518,822	37,382	-	556,204	99,070	136,452
8,047,933	1,340,149	(297,987)	9,090,095	3,497,196	4,338,138
4,714,025	230,264	(587,309)	4,356,980	762,200	1,010,445
29,871,071	2,402,088	(518,969)	31,754,190	6,733,716	5,167,701
19,326,426	8,624,880	-	27,951,306	3,780,069	12,404,949
53,911,522	11,257,232	(1,106,278)	64,062,476	11,275,985	18,583,095
3,333,406	1,321,591	502	4,655,499	12,652,763	11,314,200
3,333,406	1,321,591	502	4,655,499	12,652,763	11,314,200
529,999	-		529,999	-	-
2,782,672	472,456	(1,290)	3,253,838	1,290	-
3,312,671	472,456	(1,290)	3,783,837	1,290	-
2,151,470,823	216,553,250	850,819	2,368,874,892	8,098,257,031	5,688,910,343
1,056,269	1,355,778	(208,360)	2,203,687	2,022,629	2,278,967
7,917,060	1,077,411	-	8,994,471	2,523,384	3,362,788
8,973,329	2,433,189	(208,360)	11,198,158	4,546,013	5,641,755
2,160,444,152	218,986,439	642,459	2,380,073,050	8,102,803,044	5,694,552,098
1,941,219,177.00	221,984,444.00	(2,475,726.00)	2,160,727,895.00	5,694,552,098.00	4,842,817,638

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(प्रवीर पाण्डेय)
उपाध्यक्ष

(नूतन गुहा बिस्वास)
अध्यक्ष

भारतीय अंतर्देशीय

31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा

विवरण	मुख्यालय	रा.ज.–1	रा.ज.–2	रा.ज.–3
अनुसूची–14 "प्रचालनात्मक तथा अनुरक्षण खर्च"				
(i) सर्वेक्षण करना		34,953,288	31,278,884	2,903,366
(ii) निकर्षण करना		159,222,427	22,890,111	56,723,962
(iii) बंडाल करना		42,501,883	38,198,407	
(iv) नौचालन एवं चैनल मार्किंग हेतु यंत्र		12,471,340	10,153,649	493,773
(v) टर्मिनल सुविधाएं		144,224,989	30,168,112	12,220,356
(vi) जलयानों की मरम्मत तथा रखरखाव		67,213,653	19,824,321	
(vii) रात्रि नौचालन		41,390,981	39,754,209	6,528,864
(vii) प्रोटोकॉल खर्चे			15,150,227	
(viii) नदी तट संरक्षण			312,783,301	4,605,454
(ix) प्रशिक्षण खर्च				
(x) परामर्शी खर्चे		-	7,973,248	983,500
(xi) परियोजना प्रबंधन परामर्शी खर्चे	38,387,482			
(xii) पीपीपी खर्चे				
(xiii) आईटी से संबंधित खर्चे	1,429,885			
(xiv) अजप प्रोन्नति	16,759,800	21,329,455	1,616,529	
(xv) वेतन, मजदूरी तथा अन्य प्रशासनिक खर्चे				
(xiv) अन्य	-			
योग	**56,577,167**	**523,308,016**	**529,790,998**	**84,459,275**

(ए.के. गुप्ता)
मुख्य लेखा अधिकारी

(आलोक रंजन)
सदस्य (वित्त)

जलमार्ग प्राधिकरण
के भाग को बनाने वाली अनुसूचियां

रा.ज.–4	रा.ज.–5	नये जलमार्ग	पटना–निनी	जलमार्ग विकास परियोजना	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
856,090	2,836,001			-	72,827,629	58,601,313
	74,560,290				313,396,790	318,825,144
					80,700,290	76,185,313
					23,118,762	21,471,259
	273,168			15,046,466	201,933,091	115,270,537
					87,037,974	53,849,509
-	-				87,674,054	77,362,657
					15,150,227	13,083,031
					317,388,755	
			24,305,347		24,305,347	23,667,313
8,722,498	4,522,956	96,465,322		216,429,058	335,096,582	142,541,956
			-		38,387,482	16,198,758
					-	18,305,000
					1,429,885	2,321,913
					39,705,784	17,884,709
				34,023,677	34,023,677	
				3,499,540	3,499,540	14,573,805
					-	
9,578,588	**82,192,415**	**96,465,322**	**24,305,347**	**268,998,741**	**1,675,675,869**	**970,142,217**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(प्रवीर पाण्डेय)
उपाध्यक्ष

(नूतन गुहा बिश्वास)
अध्यक्ष

भारतीय अंतर्देशीय

31.03.2017 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा

विवरण	मुख्यालय	रा.ज.–1	रा.ज.–2	रा.ज.–3
अनुसूची–15"कार्मिक एवं प्रशासनिक खर्चें"				
(क) कार्मिक खर्चें				
(i) वेतन एवे भत्ते	87,128,970	94,799,405	18,277,364	14,450,047
(ii) मानदेय	42,000			
(iii) चिकित्सा सुविधाएं	15,738,914	2,995,109	487,016	1,054,424
(iv) दैनिक मजदूरी				
(v) समोपरि भत्ता	110,095	68,955	1,643	
(vi) बोनस	674,969	1,345,941	186,516	165,792
(vii) प्रतिनियुक्ति पर कार्मिकों हेतु छुट्टी वेतन तथा पेंशन अंशदान	3,883,295			
(viii) कार्मिकों को प्रदत्त आवास हेतु किराया	1,306,284	48,513	14,345	
(ix) वर्दियां	75,755	97,485	26,013	3,366
(x) ट्यूशन फीस	693,819	618,510	-	227,008
(xi) पैंशन अंशदान	63,230,113	91,977,789	17,381,640	10,139,290
(xii) ग्रेच्युटी अंशदान	8,820,866	13,888,065	2,627,492	1,689,102
(xiii) छुट्टी नकदीकरण	7,074,302	10,167,850	1,943,500	1,234,530
(xiv) एनपीएस हेतु नियोक्ता का अंशदान	224,278	405,170	159,570	141,565
(xv) एलटीसी खर्चें	833,925	177,030	91,853	25,752
(xvi) कर्मचारी कल्याण खर्चें	1,030,862	234,897	60,594	51,652
(xvi) कर्मचारी भर्ती खर्चे	3,059,658			
(xvii) सेमिनार तथा प्रशिक्षण खर्चे	-			
(xviii) अन्य खर्चें				
योग	**193,928,105**	**216,824,719**	**41,257,546**	**29,182,528**
(ख) प्रशासनिक खर्चें				
(i) मरम्मत एवं रखरखाव	14,192,142	397,800	22,660	36,522
(ii) संचार खर्चें	1,321,765	512,027	157,517	118,521
(iii) मुद्रण एवं स्टेशनरी	2,635,294	428,209	96,818	-
(iv) वाहनों का चलाना एवं रखरखाव	2,800,739	513,567	75,461	-
(v) विज्ञापन एवं प्रचार				
(vi) सवारी खर्च की प्रतिपूर्ति	415,930	160,215	17,344	7,800
(vii) यात्रा करना				
–अंतर्देशीय	6,623,710	674,997	78,011	-
–विदेशीय	434,355			
(viii) समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	148,165	32,782	16,833	14,521
(ix) उपभोगीय वस्तुएं	144,485	96,841	31,311	-
(x) विद्युत एवं जल	3,151,769	621,532	2,616	-
(xi) विधिक तथा पेशेवर प्रभार	505,270	55,426	-	
(xii) परिसंपत्तियों की बिक्री संबंधी हानि				
(xiii) हिंदी की प्रोन्नति	-	131,969	34,995	24,450
(xiv) लेखापरीक्षा फीस एवं खर्चें	2,649,331			
(xv) प्राधिकरण की बैठकों के खर्चें	139,140			
(xvi) बीमा				
(xvii) किराया, दरें एवं कर	271,655	1,686,347	158,005	-
(xviii) बट्टे खाते में डाला				
(xix) अशोधित ऋण				
(xx) विविध खर्चे	39,165	185,960	2,942	87,006
(xxi) अन्य				
योग	**35,472,915**	**5,497,672**	**694,513**	**288,820**
अनुसूची– 16 "वित्तीय प्रभार"				
(i) बैंक प्रभार	23,668	18,836	25,732	6,508
(ii) प्रदत्त ब्याज				
– बॉड/डिबेंचर पर	-			
–अन्य पर				
(iii) कमीशन/दलाली				
	-			
योग	**23,668**	**18,836**	**25,732**	**6,508**

(ए.के. गुप्ता)
मुख्य लेखा अधिकारी

Alok Ranjan

(आलोक रंजन)
सदस्य (वित्त)

जलमार्ग प्राधिकरण
के भाग को बनाने वाली अनुसूचियां

रा.ज.–4	रा.ज.–5	नये जलमार्ग	पटना–निनी	जलमार्ग विकास परियोजना	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	2,363,124			-	217,018,910	197,976,965
					42,000	185,000
					20,275,463	6,023,471
					-	58,127
					180,693	202,473
					2,373,218	894,331
					3,883,295	978,215
					1,369,142	1,699,176
					202,619	63,981
					1,539,337	1,706,742
					182,728,832	108,625,088
					27,025,525	498,564
					20,420,182	794,792
					930,583	1,142,633
					1,128,560	1,660,723
14,466	5,620				1,398,091	1,492,288
					3,059,658	349,489
					-	496,139
					-	
14,466	**2,368,744**		**-**	**-**	**483,576,108**	**324,848,197**
133,349	151,941				14,934,414	10,264,105
22,410	36,855				2,169,095	2,298,382
46,927	33,512				3,240,760	2,976,254
68,697	674,682				4,133,146	5,267,219
					-	6,943,186
1,612	-				602,901	498,295
					-	
537,255	-				7,913,973	8,349,918
					434,355	1,825,321
	-				212,301	194,146
	-				272,637	436,277
487,545	12,499				4,275,961	3,748,183
					560,696	947,282
					-	
					191,414	349,377
					2,649,331	2,659,688
					139,140	740,595
					-	
50,000	149,256				2,315,263	2,645,062
					-	
					-	
	7,185				322,258	216,829
					-	1,493,967
1,347,795	**1,065,930**	**-**	**-**	**-**	**44,367,645**	**51,854,086**
				71,198	145,942	88,659
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
-	**-**	**-**	**-**	**71,198**	**145,942**	**88,659**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(प्रवीर पाण्डेय)
उपाध्यक्ष

(नूतन गुहा बिश्वास)
अध्यक्ष

अनुसूची–17

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणियों के लेखा प्रपत्र
एकीकृत भाग के लिये टिप्पणियां

1. **रू. 12792.25 लाख** (पूर्व वर्ष में रू. 5927.91 लाख) की राशि द्वारा चल रहे पूंजीगत कार्यों में निम्नलिखित शामिल है :–

(लाख रू. में)

क्र. सं.	पार्टी का नाम	प्रयोजन	राशि
I	रा.ज.–1		
1.	मैसर्स नालंदा इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज	हल्दिया टर्मिनल में गैंगवे का निर्माण	63.67
2.	मैसर्स दिनेश प्रसाद शर्मा, भागलपुर	मुंगेर में आरआईएस स्टेशन	22.03
3.	मैसर्स अभय कुमार सिंह	हाथीदाह, बाढ़, गोविंदपुर खास में आरआईएस	111.82
4.	मैसर्स रेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसिस एंड सिस्टम, पुणे	नदी सूचना प्रणाली– फरक्का पटना	176.17
5.	मैसर्स एलकम इनटेग्रेट्रिड सिस्टम	वाराणसी में आरआईएस उपकरण	160.75
	योग– रा.ज.–1		**534.44**
II	**जलमार्ग विकास परियोजना**		
1.	मैसर्स टर्नकी वाटरवेज ज्वाइंट वेंचर गोवा	प्रापण सर्वेक्षण –सह–निरीक्षण जलयान	1092.14
2.	मैसर्स एफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0	वाराणसी में मल्टीमॉडल टर्मिनल का निर्माण	1999.63
3.	मैसर्स लारशन एंड टूब्रो लि0	साहिबगंज में मल्टीमॉडल टर्मिनल का निर्माण	836.16
		फरक्का में नये नौचालनात्मक लॉक का निर्माण	989.18
	योग– जेएमवीपी		**4917.11**
III	रा.ज.–2		
1.	सीपीडब्ल्यूडी–गुवाहाटी	धुब्री में रो–रो टर्मिनल का निर्माण	4245.39
2.	मैसर्स टेबमा शिपयार्डस	रो–रो जलयानों का निर्माण	184.95
3.	मैसर्स योजाका इंडिया प्रा0 लि0	स्लिपवे का निर्माण	255.86
4.	मैसर्स एसी रॉय एंड कंपनी	2000 टन के टग बार्ज फ्लोटिल्ला की 02 यूनिट का निर्माण एवं की आपूर्ति	927.90
5.	मैसर्स सॉफ्ट शिपयार्डस प्रा0 लि0	सैल्फ प्रोपेल्ड कार्गो जलयान 2000 टन की 02 यूनिटों का निर्माण एवं आपूर्ति	298.80
	योग– रा.ज.–2		**5912.90**
IV	रा.ज.–3		
1.	सीपीडब्ल्यूडी	रा.ज.–3 पर टर्मिनल एवं एप्रोच रोड का निर्माण	1296.93
	योग– रा.ज.–3		**1296.93**
V	रा.ज.–5		
1	मैसर्स मेरोलिन इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा0 लि0	गैंगवे के साथ स्टील पोंटून के निर्माण डिजाइन	130.87
	योग– रा.ज.–5		**130.87**
	सकल योग		**12792.25**

2. वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, प्राधिकरण ने अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित खर्च किया है :–

वेतन	मकान किराया	छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	यात्रा खर्चे		योग
				विदेशीय	देशीय	
86,83,138	7,01,184	27,30,200	31,929	3,24,036	31,31,010	**1,56,01,497**
पिछला वर्ष (2015–16)						
58,20,430	6,95,872	5,69,412	1,40,073	9,09,717	14,77,372	**96,12,876**

वर्ष के दौरान अध्यक्ष तथा सदस्य (यातायात) ने 06 दिसम्बर से 07 दिसम्बर, 2016 तक पोत परिवहन सचिव स्तर की वार्ता सहित अंतर्देशीय प्रोटोकॉल जल पारगमन एवं व्यापार स्थायी समिति की 18वीं बैठक में संयुक्त तकनीकी समिति में भाग लेने के लिये बांग्लादेश गये थे।

(ii) भाअजप्रा बोर्ड के किसी सदस्य की ओर कर्ज/ऋण/अग्रिम बकाया नहीं है।

3. माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण, 2016–17 में निम्नानुसार घोषणा की, ''अवसंरचना वित्त पोषण को आगे बढ़ाने के लिये, सरकार एनएचएआई, पीएफसी, आरआईईडीए, नाबार्ड तथा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअजप्रा) द्वारा 2016–17 के दौरान बॉड्स जारी करने के जरिये रू0 31,300.00 करोड़ की सीमा तक अतिरिक्त धनराशि के संग्रहण की अनुमति प्रदान करेगी।

आर्थिक कार्य विभाग ने अपने तारीख 03.10.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं0 एफ.15(4)–बी(सीडीएन)/2015 के तहत भाअजप्रा को 2016–17 के दौरान रू0 1,000.00 करोड़ की सीमा तक ईबीआर के जारी करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया था।

तारीख 20.10.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं0 एफ.15(4)–बी(सीडीएन)/2015 के अनुसार, ''अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को पैदा करने के लिये बॉड जारी करने हेतु पृथक सरकारी गारंटी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बॉड सामान्य बजट के जरिये भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित (ब्याज का सिद्धांत) होंगे''।

पोत परिवहन मंत्रालय उपयुक्त तौर पर अर्धवार्षिक रूप से ब्याज के भुगतान हेतु बजटीय प्रावधान करता है तथा बॉड की अवधि के दौरान खर्चों तथा अन्य विविध खर्चे तथा परिपक्वता के समय मूलधन का पुनर्भुगतान प्रदान करता है।

2016–17 में बॉड के जारी करने के जरिये ईबीआर पैदा करना भाअजप्रा का मुख्य प्रयास रहा था। बॉड जारी करने से पूर्व, अनेक प्रकार की कार्रवाई को पूरा किया जाना था जैसे – लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार, बॉड ट्रस्टी की नियुक्ति, सीडीएसएल एवं एनएसडीएन के साथ प्रबंध, सूचना ज्ञापन की तैयारी, ई–बोली तथा सूची तैयार करने के लिये बीएसई के साथ करार, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से रेटिंग, सेबी के साथ समन्वय, ट्रस्ट विलेख, स्टाम्प शुल्क का भुगतान, ईबीआर आदि के उत्पन्न करने हेतु पोत परिवहन मंत्रालय तथा भाअजप्रा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना आदि।

उसके बाद, भाअजप्रा 01.03.2017 को प्राइवेट प्लेसमेंट मोड में ''भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉड'' के जरिये रू0 200.00 करोड़ के आकार के इश्यू सहित ईबीआर उत्पन्न करने के लिये इलैक्ट्रॉनिक बोली हेतु सफलतापूर्वक कार्य किया। इश्यू में अधिक अंशदान प्राप्त हुआ था तथा भाअजप्रा अंतर्देशीय जलमार्गों तथा पोत परिवहन अवसंरचना के विकास हेतु वित्त वर्ष 2016–17 हेतु ईबीआर की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के बाद 7.9 प्रतिशत (अर्धवार्शिक तौर पर) की कूपन दर पर 10 वर्षों की अवधि के लिये रू0 340.00 करोड़ जुटा सका था। सूचना ज्ञापन के अनुसार, भुगतान तिथि 03.03.2017 थी। प्राधिकरण के पदनामित बैंक खाते में उसी दिन रू0 340.00 करोड़ जमा हुए थे। रू0 60,71,173/– का इश्यू व्यय वित्त वर्ष 2016–17 में किया गया था तथा उसे वसूली योग्य के रूप में दिखाया गया था। 03.03.2017 से 31.03.2017 तक की अवधि हेतु बॉड्स पर ब्याज की देनदारी रू. 21340822/– वसूली योग्य दावा को घटाकर तथा देय ब्याज को जमा करके प्रदान किया गया है।

4. माननीय वित्त मंत्री द्वारा उनके जुलाई, 2014 के बजट भाषण में घोषित जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) में मूल रूप से रा.ज.–1 के समग्र प्रखंड (गंगा–भागीरथी–हुगली नदी प्रणाली–1620 कि.मी. के हल्दिया–इलाहाबाद प्रखंड) को विश्व बैंक के तकनीकी तथा निवेश समर्थन से रू0 4200/– करोड़ की अनुमानित लागत पर 06 वर्षों के भीतर कार्यान्वित किये जाने हेतु कवर करने के लिये विचार किया गया था। उसके बाद, विश्व बैंक की अनुशंसा पर, हल्दिया–वाराणसी प्रखंड पर परियोजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया था।

पोत परिवहन मंत्रालय ने तारीख 15.10.2014 की राजपत्र अधिसूचना के जरिये जेएमवीपी हेतु कार्यान्वयन करने की एजेंसी के रूप में, परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) सहित भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअजप्रा) को पदनामित किया था। परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिये निम्नलिखित संस्थागत व्यवस्थाएं की गई हैं :–

(i) भाअजप्रा मुख्यालय में पीएमयू की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा की गई जिन्हें प्रशासन, वित्त एवं लेखा, इंजीनियरिंग, प्रापण, विपणन एवं कारोबार विकास, पर्यावरण, सामाजिक विकास तथा संचार के क्षेत्र में प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा सहायता दी जाती है।

(ii) विवेचनात्मक परामर्श प्रदान करने तथा परियोजना का मूल्यांकन करने के लिये भाअजप्रा के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिकारीगण, पोत परिवहन मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल सरकारों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए प्रोजेक्ट ओवरसाइट कमेटी।

(iii) संबंधित निदेशकों के प्रभार के तहत पटना तथा कोलकाता में परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों को इंजीनियरिंग, भूमि अधिग्रहण, जीवनयापन प्रबंधन, सामाजिक विकास आदि के क्षेत्र में प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा सहायता दी गई।

पूर्व–निवेश गतिविधियों के भाग के रूप में, इंजीनियरिंग, फीड तथा सहायक कार्यों; ईएसआईए; तथा विपणन एवं कारोबार विकास के क्षेत्र में परामर्शदाताओं ने हल्दिया–वाराणसी प्रखंड पर अध्ययन किया। इन परामर्शदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर, परियोजना के हल्दिया–वाराणसी प्रखंड संबंधी जेएमवीपी की अनुमानित लागत को रू0 5369.00 करोड़ में संशोधित कर दिया गया है। अब प्रस्तावित हस्ताक्षेपों में 2.2

मी0 से 3 मी0 तथा प्रखंड को 45 एमओएन की सतह चैनल चौड़ाई प्रदान करने के लिये फेयरवे विकास; 05 मल्टीमॉडल टर्मिनलों का निर्माण; फरक्का में नये नौचालनात्मक लॉक का निर्माण; रो–रो टर्मिनलों के 05 जोड़ों का निर्माण; 02 एकीकृत जलयान मरम्मत एवं रखरखाव परिसरों आदि शामिल है।

परियोजना की लागत निम्नलिखित स्रोतों के जरिये वित्त पोषित किया जाना प्रस्तावित है :–

(i) रू0 2512.00 करोड़ का आईबीआरडी ऋण (यूएस डॉलर 375.00 मिलियन)।
(ii) बॉड्स इश्यू : रू0 2556.00 करोड़ (यूएस डॉलर 380.00 मिलियन) से भारत सरकार प्रतिरूप निधियां (बजटीय सवितरण) तथा प्राप्ति और
(iii) पीपीपी मोड : रू0 301.00 करोड़ (यूएस डॉलर 45.00 मिलियन) के तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी।

27.09.2016 को आर्थिक कार्य विभाग द्वारा आईबीआरडी ऋण घटक का मूल्यांकन किया गया था; विश्व बैंक तथा भारत सरकार के बीच 15.03.2017 को ऋण वार्ता आयोजित हुई थी; तथा आईबीआरडी के कार्यकारी निदेशकों के बोर्ड ने 12.04.2017 को यूएस डॉलर 375 मिलियन का ऋण अनुमोदित कर दिया था। उसी समय, विश्व बैंक ने पूर्व–निवेश गतिविधियों संबंधी लागत तथा पीएमयू और पीआईयू की स्थापना लागतों को पूरा करने के लिये 3.5 मिलियन का परियोजना तैयारी निधि अग्रिम (पीपीएफए) स्वीकृत कर दिया था। प्राधिकरण ने 03.06.2015 से 31.03.2017 तक की अवधि के लिये पीपीएफए के विरूद्ध सीएएए को दावा प्रस्तुत कर दिया है। रू0 23.62 करोड़ के दावे के विरूद्ध पीपीएफए की सीमा तक अनुमोदित कर दिया गया था तथा भारत सरकार के खाते में जमा करा दिया था ।

स्थायी वित्त समिति द्वारा किये गये मूल्यांकन तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये अनुमोदन के बाद चालू वित्त वर्ष के दौरान कार्य पूरा करने के लिये जेएमवीपी की 04 उप–परियोजनाओं को लिया गया है। ये हैं : वाराणसी में रू0 169.59 करोड़ की लागत पर मल्टीमॉडल टर्मिनल का चरण– I (क); साहिबगंज में रू0 280.90 करोड़ की लागत पर मल्टीमॉडल टर्मिनल का चरण– I; हल्दिया में रू0 517.00 करोड़ की लागत पर मल्टीमॉडल टर्मिनल का चरण– I; तथा फरक्का में रू0 359.19 करोड़ की लागत पर नया नौचालनात्मक लॉक। पब्लिक निवेश बोर्ड ने 06.03.2017 को परियोजना के शेष हस्तक्षेपों का मूल्यांकन किया है।
वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान परियोजना पर रू0 303.26 करोड़ का व्यय विभिन्न कार्यों पर किया गया है।

5. (i) आयकर अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली ने जुलाई, 2006 में निर्धारण वर्षों 1988–1989 से 1997–1998 (निर्धारण वर्ष 1990–91 को छोड़कर) के लिये निर्णय किया कि प्राधिकरण को मिलने वाले अनुदान स्वभाव से राजस्व नहीं है, इसलिए कर योग्य नहीं हैं। आईटीएटी के आदेश को अमल में लाते समय, एसीआईटी, नोएडा ने नवम्बर, 2010 में नया निर्धारण आदेश जारी किया जिसमें प्राधिकरण की विविध प्राप्तियों को आय के रूप में माना गया है तथा शास्ती लगाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। शास्ती के साथ–साथ देय कर वसूल कर लिया गया है। उसके बाद, प्राधिकरण लगातार मामले को आईटीएटी, नई दिल्ली में अपीलों तथा प्रति–अपीलों के जरिये उठाया; सीआईटी (अपील), गाजियाबाद ने प्राधिकरण द्वारा विविध प्राप्तियों को आय के रूप में समझे जाने संबंधी एसीआईटी, नोएडा के आदेश को यथावत मानते हुए अपीलों को खारिज कर दिया था।

प्राधिकरण ने सीआईटी (अपील) के आदेश के खिलाफ आईटीएटी, नई दिल्ली में एक अपील दाखिल की थी, जिस पर आईटीएटी, नई दिल्ली ने अपने 21.11.2014 के आदेश के तहत इस विचार के साथ आदेश

पारित किया था कि विविध प्राप्तियों को सरकार की ओर समायोजित/वापिस किया जाता है जब अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में अनुदान जारी किये जाते हैं। इसलिए, उसे प्राधिकरण हेतु आय के रूप में नहीं माना जा सकता। आईटीएटी, नई दिल्ली के आदेश को लागू करने के लिये मामला डीसीआईटी (छूट) के पास लम्बित है।

(ii) एसीआईटी, नोएडा ने नवम्बर, 2010 के नये निर्धारण आदेश में शास्ती लगाई तथा रू0 11.80 करोड़ की मांग पैदा की, उसकी वसूली भी आयकर विभाग द्वारा कर ली गई है। आयकर विभाग द्वारा वसूल की गई राशि को उस विशेष वित्त वर्ष में प्राप्त अनुदान से प्रभारित किया गया था।

इसके पश्चात एसीआईटी, नोएडा ने इस आशय के साथ आदेश जारी किया था कि आईटीएटी के निदेश को ध्यान में रखते हुए धारा–271 (1)(सी) के तहत नयी शास्ति के अधिनिर्णय की आवश्यकता नहीं है। एसीआईटी, नोएडा के कथित आदेश के खिलाफ प्राधिकरण ने धारा–154 के तहत आईटीएटी, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार मामले की समीक्षा करने के लिये एसीआईटी, नोएडा, गाजियाबाद के पास एक आवेदन दाखिल किया था। वर्तमान में मामला डीसीआईटी, गाजियाबाद के पास लंबित है।

(iii) आयकर विभाग ने निर्धारण वर्षों1988–89 से 1997–98 हेतु जुलाई, 2006 में आईटीएटी, नई दिल्ली के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में भी एक अपील दाखिल की है। वर्ष के दौरान, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने विभाग द्वारा दाखिल की गई सभी अपीलों को खारिज कर दिया है तथा प्राधिकरण के पक्ष में आदेश पारित किये हैं।

6. 11 टर्मिनलों के लिये भूमि तथा संकरी कैनाल को चौड़ा करने हेतु भूमि की लागत के रूप में रू0 5169.56 लाख (पूर्व वर्ष में रू0 5164.31 लाख) की राशि केरल सरकार को अग्रिम के रूप में प्रदान की गई है। उपर्युक्त में से, टर्मिनल हेतु 12.3809 हेक्टेयर भूमि को 31.03.2017 तक रू0 1953.75 लाख के लिये पूंजीकृत किया गया है। कैनाल को चौड़ा करने के लिये, रू0 1731.23 लाख की लागत पर 2153 हेक्टेयर भूमि प्राप्त की गई है। चूंकि मार्च, 2017 तक जलमार्गों को चौड़ा करने के बाद भूमि जल में जलमग्न हो जाती है, इसलिए रू0 1366.39 लाख की राशि राजस्व व्यय में डाली गई है। यदि केरल के विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के तहत ऐसा निर्देश मिलता है तो प्राधिकरण अधिग्रहीत भूमि पर ब्याज तथा लागत में वृद्धि को अदा करने के लिये जिम्मेदार हो सकता है। रू0 1478.36 लाख केरल के विभिन्न जिला कलेक्टरों के पास उपलब्ध था जिसमें माराडु टर्मिनल के लिये नई एप्रोच रोड हेतु भूमि अधिग्रहण के लिये जमा किये गये रू0 1390.00 लाख शामिल है।

7. सीपीडब्ल्यूडी को टर्मिलनों के निर्माण के लिये अग्रिम के रूप में रू0 3285.55 लाख (पूर्व वर्ष में रू0 3270.17 लाख) की राशि प्रदान की गई है। आज तक रू0 1715.69 लाख की राशि को पूंजीकृत (टर्मिनलों तथा भवनों) किया गया है। अलापुझा टर्मिनल (रू0 905.96 लाख) के निर्माण हेतु, कोट्टापुरम एप्रोच रोड (रू0 90.87 लाख) कायमकुलम टर्मिनल तथा एप्रोच रोड (रू0 86.88 लाख) तथा चावड़ा एप्रोच रोड तथा परिसर दीवार (रू0 213.22 लाख) हेतु आज तक किया गया व्यय रू0 1296.93 लाख पूंजीगत कार्य के तहत दर्शाया गया है जो प्रगति पर है।

8. बोलगट्टी तथा विलिंग्डन दीप समूह में जेट्टी के निर्माण के लिये कोचीन पोर्ट ट्रस्ट (सीपीटी) के पास धरोहर के रूप में रू0 1660.00 लाख (पूर्व वर्ष में रू0 1660.00 लाख) की राशि प्रदान की गई है। उसमें से, रू0 1575.02 लाख को आज तक पूंजीकृत किया गया है तथा शेष रू0 84.98 लाख सीपीटी के पास उपलब्ध है।

9. पांडु टर्मिनल (रू0 1641.66 लाख) में ब्रॉड गैज साइडिंग के निर्माण तथा गुवाहाटी में 28 यूनिट्स टाईप–II क्वार्टस पुनर्स्थापना के कार्य के संबंध में एनएफ रेलवे, गुवाहाटी को धरोहर के रूप में रू0 1865.66 लाख (पूर्व वर्ष में रू0 1254.00 लाख) की राशि का भुगतान किया गया है। रू0 1865.66 लाख की राशि को वित्तीय वर्ष 2015–16 में पूंजीकृत किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि एनएफ रेलवे द्वारा दावित रू0 611.66 लाख की अतिरिक्त लागत का भुगतान कर दिया गया है।

10. गायघाट, पटना में कार्यालय भवन, चाहरदीवारी, जेनेटर कक्ष, तथा कार्यालय स्थान के पाटिशन आदि के निर्माण के लिये सीपीडब्ल्यूडी, पटना के पास रू0 706.22 लाख (पूर्व वर्ष में रू0 706.22 लाख) की राशि जमा कर दी गई है। इसमें से, कार्य की वित्तीय प्रगति के अनुसार, रू0 668.64 लाख की राशि को पूंजीकृत कर दिया गया है तथा शेष रू0 37.58 लाख सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम के रूप में दिखाया गया है।

11. प्रशासनिक ब्लॉक, सड़के, विद्युत कनेक्शन आदि सहित रो–रो धुब्री के निर्माण हेतु सीपीडब्ल्यूडी, गुवाहाटी के पास रू0 4408.00 लाख (पूर्व वर्ष में रू0 4408.00 लाख) की राशि जमा कर दी गई है, इसमें से, रू0 4245.39 लाख (पूर्व वर्ष में रू0 3315.02 लाख) की राशि पूंजीगत कार्य में प्रभारित की गई है जो प्रगति पर है।

12. भाअजप्रा के स्टाफ के लिये लाइट हाउसिस एवं लाइट शिपस, महानिदेशक (डीजीएलएल), पोत परिवहन मंत्रालय से दिसम्बर, 2002 में सेक्टर–34, नोएडा में 53 फ्लैट कुल अंतरण मूल्य रू0 225.28 लाख प्लस अंतरण फीस, स्टाम्प शुल्क आदि पर लिये गये थे।

रू0 307.33 लाख (पूर्व वर्ष में रू0 307.33 लाख) की राशि पूंजीकृत की गई है। तथापि, भाअजप्रा के नाम में फ्लैटों का अंतरण पंजीकृत नहीं हो सका था क्योंकि उन फ्लैटों का पंजीकरण प्रथम स्वामी डीजीएलएल के नाम में नहीं हुआ है। नोएडा को भूमि किराया आदि के भुगतान करने के लिये डीजीएलएल के साथ बातचीत के बाद, नोएडा के साथ प्रारंभिक पंजीकरण किया जायेगा। पंजीकरण के समय पर फ्लैटों के पंजीकरण हेतु वास्तविक जिम्मेदारी पर ध्यान दिया जायेगा ।

13. अक्तूबर, 2006 में प्लवों तथा लाइटों की नुकसान के लिये रू0 34.47 लाख का एक दावा मैसर्स ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी में दाखिल किया गया था। इंश्योरेंस कंपनी कुछ औपचारिकताओं तथा प्रलेखन के पूरा होने पर मात्र रू0 23.93 लाख के भुगतान हेतु सहमत हो गई है। दावे के निपटारे के लिये इंश्योरेंस कंपनी के साथ मामले को उठाया जा रहा है। रू0 23.93 लाख की सहमत राशि को दावा वसूली के रूप में दर्शाया गया है। वर्ष के दौरान, उसके लिये व्यय प्रदान किया गया है।

14. 2002–03 के दौरान कोलकाता क्षेत्र में चेन, एंकर तथा एक्सेसिरीज तथा 7 डे मार्क्स सहित 47 प्लवों का नुकसान हुआ था । प्राधिकरण ने रू0 28.91 लाख का इंश्योरेंस दावा दाखिल किया था तथा बीमा कंपनी से रू0 5.92 लाख की राशि प्राप्त हुई थी। प्राधिकरण ने जून, 2013 में ठेकेदार से रू0 11.05 लाख की राशि वसूल की थी। शेष रू0 11.94 लाख वसूली योग्य दावे में दिखाये गये हैं। वर्ष के दौरान, उसके लिये व्यय प्रदान किया गया है।

15. करों तथा कलपूर्जों की लागत को छोड़कर रू0 873.00 लाख की लागत पर फ्लोटिंग ड्राई डॉक के निर्माण तथा सुपुर्दगी के लिये मार्च, 2005 में मैसर्स एचडीपीईएल के साथ प्राधिकरण ने एक करार पर हस्ताक्षर किये थे। चूंकि, मैसर्स एचडीपीईएल, कोलकाता फ्लोटिंग ड्राई डॉक की सुपुर्दगी देने में असमर्थ था, प्राधिकरण ने संविदा

को निरस्त कर दिया था तथा निर्धारित क्षति (एलडी), तेल टेंकर तथा कंटेनर जलयानों हेतु मरम्मत के लिये देय रू0 71.48 लाख की राशि को समायोजन करने के बाद एचडीपीईएल, कोलकाता की ओर दावा वसूली योग्य के रूप में रू0 190.42 लाख की राशि दर्शायी गई थी। वर्ष के दौरान, रू0 190.42 लाख की राशि 4 कार्य नावों के निर्माण तथा आपूर्ति के लिये देय राशि के खिलाफ वसूल की गयी है।

16. म्यांमार में सिटवे पोर्ट को भारत में मिजोरम राज्य के साथ जोड़ते हुये कलादान नदी पर मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन सुविधा के कार्यान्वयन के लिये विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार ने मार्च, 2009 में एक करार के जरिये प्राधिकरण को परियोजना विकास परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया था इसे ''कलादान परियोजना'' के नाम से जाना जाता है। पोर्ट एवं अजप घटक का प्रारंभिक तौर पर दिया गया कार्य मई, 2017 में पूरा हो गया है। चरण–। के तहत कार्य जैसे– स्टाफ क्वार्टस, ढलान संरक्षण कार्य, किनारा संरक्षण कार्य, ईंधन बंकरिंग स्टेशन, कार्यशाला आदि के तहत कुछ अतिरिक्त कार्य चल रहे हैं तथा अप्रैल, 2018 तक समय–सीमा के अनुसार पूरा होने की आशा है। इसके आगे, भविष्य में होने वाले कार्य जैसे– सिटवे तथा प्लेटवा में (सितम्बर, 2020 में समापन) कंटेनर टर्मिनल का निर्माण, सिटवे में (दिसम्बर, 2017 में समापन) दो रेकों का हटाना तथा चरण–। के कार्यों (5 वर्ष हेतु अनुरक्षण) के तहत पूर्ण परिसंपत्तियों का ओ एंड एम अथवा प्लेटवा से भारत–म्यांमार सीमा तक सड़क निर्माण का समापन, जो पहले ही पूर्ण हो चुका है। प्राधिकरण ने आज तक परियोजना हेतु रू0 2261.12 लाख की पीडीसी फीस प्राप्त कर ली है। उपर्युक्त में से रू0 2322.92 लाख का व्यय कर दिया गया है तथा परियोजना पर सृजित बैंक ब्याज सहित रू0 220.34 लाख की आंतरिक प्राप्तियां। वर्ष के दौरान रू0 306.26 लाख (पूर्व वर्ष में रू0 307.52 लाख) की राशि व्यय के रूप में खर्च की गई है तथा रू0 19.09 लाख (पूर्व वर्ष में रू0 16.87 लाख) की राशि परियोजना से आंतरिक प्राप्तियों के रूप में प्राप्त हुई है।

करार के अनुसार विदेश मंत्रालय से प्राप्त परामर्शी शुल्क के रूप में निधि में से परियोजना विकास परामर्श के तौर पर खर्च किया गया। उपर्युक्त परियोजना संबंधी आय तथा व्यय प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अनुदान का हिस्सा नहीं है। प्राधिकरण परियोजना संबंधी लेखा पुस्तकें पृथक रूप से रखता है तथा उस पर वार्षिक लेखों को विधिवत लेखा–परीक्षा का किया गया तथा स्वतंत्र चार्टरित लेखाकार फर्म द्वारा प्रमाणित किया गया। उपर्युक्त परियोजना के वार्षिक लेखों के घटक को वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु भाअजप्रा के वार्षिक लेखों में शामिल नहीं किया गया है।

17. प्राधिकरण ने भाअजप्रा के कर्मचारियों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से पेंशन, ग्रेज्युटी, छुट्टी नकदीकरण हेतु तीन पॉलिसियां ली हैं। एलआईसी ने सभी तीनों पॉलिसियों के लिए बीमात्मक मूल्यांकन प्रदान किया है। 31.03.2017 को बीमात्मक मूल्यांकन के अनुसार, पेंशन हेतु रू. 10705.00 लाख (पूर्व वर्ष में रू. 9039.00 लाख) ग्रेज्युटी हेतु रू. 1144.74 लाख (पूर्व वर्ष में रू. 884.92 लाख) तथा छुट्टी नकदीकरण हेतु रू. 942.39 लाख (पूर्व वर्ष में रू. 747.09 लाख) की राशि अपेक्षित है।

प्राधिकरण ने 25.03.2003 से प्राधिकरण के कार्मिकों के संबंध में पेंशन/ग्रेज्युटी निधि की व्यवस्था के लिए 'भाअजप्रा कर्मचारी पेंशन निधि' के नाम से 1 न्यास की स्थापना की है। भाअजप्रा कर्मचारी पेंशन निधि तथा छुट्टी नकदीकरण का प्रबंध भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। बीमात्मक मूल्यांकन पर विचार करने तथा भाअजप्रा कार्मिक पेंशन लेखा के अनुसार, क्रमशः रू. 8879.93 लाख तथा रू. 874.49 लाख की निधि पेंशन तथा ग्रेज्युटी के लिए न्यास के पास उपलब्ध है तथा रू. 744.87 लाख छुट्टी नकदीकरण निधि के लिए एलआईसी के पास उपलब्ध है। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान, भाअजप्रा कार्मिक पेंशन निधि न्यास के पास पेंशन, ग्रेज्युटी तथा एलआईसी के पास छुट्टी नकदीकरण के लिए उपलब्ध निधि के बाद क्रमशः पेंशन, ग्रेज्युटी

तथा छुट्टी नकदीकरण के लिए रू. 1825.07 लाख, रू. 270.26 लाख तथा 197.53 लाख का प्रावधान प्रदान किया गया है। 31.03.2016 तक प्रदत्त पेंशन, ग्रेज्युटी छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान को वित्त वर्ष 2016–17 में पूरा किया गया है।

बीमात्मक मूल्यांकन हेतु पूर्वानुमान हैं:–

मृत्यु दर	:	आईएएलएम (2006–08) आखिकार
आहरण दर	:	सभी आयु हेतु 1 प्रतिशत से 3 प्रतिशत
छूट दर	:	8 प्रतिशत प्रति वर्ष
वेतन में बढ़ोतरी	:	6 प्रतिशत प्रति वर्ष

18. प्राधिकरण ने, उन सेवानिवृत्त/दिवंगत कर्मचारियों को, जिन्होंने प्राधिकरण से चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने का विकल्प दिया था, को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ संबंधी मूल्यांकन प्रदान करने के लिए बीमात्मक मूल्यांकक नियुक्त किए हैं। मूल्यांकन प्रमाण–पत्र के अनुसार, वित्त वर्ष 2016–17 में रू. 1,13,24,695/– प्रदान किए गए हैं।

19. प्राधिकरण ने तीन कंपनियों जिनके नाम हैं (i) मैसर्स रॉयल लॉजिस्टिक (शिप) लि., कोलकाता (ii) मैसर्स एस.के.एस वाटरवेज लि., कोलकाता और (iii) विवादा लॉजिस्टिक प्राइवेट लि., कोलकाता के साथ 3 संयुक्त उद्यम परियोजनाओं में भागीदारों के करार में शामिल हुआ था। मैसर्स रॉयल लॉजिस्टिक (शिप) लि., कोलकाता तथा मैसर्स एस.के.एस वाटरवेज लि. कोलकाता, के साथ भागीदार करार के अनुसार, प्रत्येक कंपनी का प्रारंभिक अधिकृत भाग पूंजी रू. 5.00 लाख थी तथा संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा 70 प्रतिशत तथा भाअजप्रा द्वारा 30 प्रतिशत के अनुपात में अंशदान किए जाने हेतु वह आवश्यक था तदनुसार, प्राधिकरण ने मैसर्स रॉयल लॉजिस्टिक (शिप) लि., कोलकाता तथा मैसर्स एस.के.एस वाटरवेज लि., कोलकाता में प्रारंभिक अधिकृत भाग पूंजी के रूप में रू. 1.50 लाख प्रत्येक का अपना भाग का अंशदान कर दिया था।

मैसर्स रॉयल लॉजिस्टिक (शिप) लि., कोलकाता तथा मैसर्स एस.के.एस वाटरवेज लि., कोलकाता जैसी फर्मों से तारीख 22.8.2016 से 17.01.2017 की ई–मेल द्वारा तहत उनके पास रोकी गई इक्विटी राशि के लेखों के निपटारे के लिए शीघ्र कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया था तथा समापन का निर्णय लेना पड़ा था क्योंकि कोई प्रगति नहीं हुई थी।

प्रत्युत्तर में, मैसर्स शाही शिपिंग लि. (पूर्व एस.के.एस. लॉजिस्टिक्स लि.) ने अपने तारीख 16.06.2017 के पत्र द्वारा सूचित किया कि वे रॉयल लॉजिस्टिक्स तथा एस.के.एस. वाटरवेज जैसी संयुक्त उद्यम फर्मों को बंद करना चाहते हैं जिसके लिए उनकी ओर से आवश्यक औपचारिकताएं की जा रही हैं। तथापि, लेखों का निपटारा प्रतीक्षित है।

20. भाअजप्रा के ऊपर आकस्मिक देयता वाले तथा भाअजप्रा द्वारा दावा मध्यस्थों के समक्ष 3 मध्यस्था मामले लंबित हैं। दो मामले रा.ज.–3 में बड़े निकर्षण निर्माण से संबंधित हैं तथा एक मामला जलयान के निर्माण से संबंधित है। एलएआर/एलएए से संबंधित 31 मामले वर्तमान में उप न्यायालयों के पास हैं, केरल आकस्मिक देयता वाला लंबित है। देयता सहित लंबित न्यायालय मामले निम्नलिखित सारणी रूप में दर्शाए गए हैं:–

(रू0 करोड़ में)

न्यायालय	मामले की सं0	भाअजप्रा पर जिम्मेदारी	भाअजप्रा द्वारा दावा
माननीय उच्चतम न्यायालय	04	-	-
एनजीटी, दिल्ली	03	-	-
एनजीटी, दक्षिणी अंचल चैन्नई	01	-	-
माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली	04	-	-
माननीय उच्च न्यायालय, केरल	08	-	-
माननीय उच्च न्यायालय, पटना	04	-	-
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	07	-	-
माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता	07	-	-
माननीय उच्च न्यायालय, गोवाहाटी	05	-	-
माननीय उच्च न्यायालय, हैदराबाद	01	-	-
माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास	01	-	-
जिला न्यायालय, वाराणसी	01	-	-
निम्नतर न्यायालय, बालासोर	01	-	-
उप–न्यायालय, पटना	01	-	-
शहरी न्यायालय, कोलकाता	01	-	-
सीजीआईटी, सह–श्रम न्यायालय, गुवाहाटी	01	-	-
सीजीआईटी, सह–श्रम न्यायालय, कोलकाता	05	-	-
उप–न्यायालय, विशाखापट्टनम	01	-	-
उप–न्यायालय, केरल	03	-	-
मानव अधिकार आयोग, केरल	02	-	-
भाअजप्रा बनाम डीडीसीएल के बीच मध्यस्थता	01	-	12.67
भाअजप्रा बनाम क्राउन मेरीटाइम के बीच मध्यस्थता	01	13.290	33.48
भाअजप्रा बनाम नैप्चून मेरीटाइम के बीच मध्यस्थता	01	29.808	21.04
उप–कार्यालय, केरल (एलएआर/एलएए मामले)	31	2.37	0.00
योग		**45.468**	**67.19**

21. निनी, पटना में मेरीटाइम सिमुलेटर सेंटर की स्थापना के लिए मैसर्स एआरआई, दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन किया गया था। समझौता ज्ञापन के अनुसार, सिमुलेटर की पूंजीगत लागत को भाअजप्रा तथ एआरआई के बीच 50:50 के अनुपातः में साझा किया जाना है। सिमुलेटर यूनिट की लागत को पूंजीकृत किया गया है तथा मैसर्स एआरआई द्वारा खर्च किए गए रू. 116.58 लाख (पूर्व वर्ष में रू. 116.58 लाख) की लागत पूंजीगत रिजर्व के रूप में दिखाई गई तथा उस पर मूल्यह्रास की कटौती की गई है।

22. प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान योजना तथा गैर–योजना के भिन्न बजट शीर्षों के तहत अनुदान के रूप में रूपये 35841.00 लाख प्राप्त हुए। प्राधिकरण ने वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार रू. 340.00 करोड़ की निजी स्थापन के जरिए बाण्डों को जारी करके निधि भी पैदा की थी। वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा

वित्त वर्ष 2016–17 में रूपये 37335.13 लाख का पूंजीगत व्यय तथा रू. 22184.17 लाख का राजस्व व्यय किया गया था जिसमें क्रमशः पेंशन, ग्रेज्युटी तथा छुट्टी नकदीकरण अंशदान हेतु रू. 1825.07, रू. 270.26 लाख तथा रू. 197.53 लाख का प्रावधान शामिल था। वर्ष के दौरान, प्राधिकरण ने रू. 1647.75 लाख की आंतरिक प्राप्तियां सृजित की थी जिसमें रू. 42.62 लाख का प्रौद्भूत ब्याज शामिल है। उसे तब तक देयता के रूप में दर्शाया गया है जब तक पोत परिवहन मंत्रालय के तारीख 06.12.2013 के उनके पत्र संख्या जी–20017/7/2013–अजप के तहत निदेशों के अनुसार भारत सरकार को वह राशि देय होती है:–

वित्त वर्ष 2016–17 में प्राप्त निधि का उद्धरण तथा व्यय

(राशि लाख में)

विवरण		कुल
अनुदान/ईबीआर प्राप्त हुई		
(क) योजना	28240.00	
(ख) गैर–योजना	7601.00	
(ग) बॉड्स (ईबीआरएस)	34000.00	**69841.00**
घटाएं : किया गया खर्च		
(क) राजस्व व्यय	22184.17	
(ख) पूंजीगत व्यय	37335.13	**59519.30**

23. साहिबगंज में मल्टीमॉडल टर्मिनल के निर्माण के लिए 183.165 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी तथा उप आयुक्त, साहिबगंज को अग्रिम के रूप में रू. 9255.40 लाख तथा 31.03.2017 तक 427 परिवारों के पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन के लिए रू. 4738.72 लाख की राशि जारी कर दी गई है। उपर्युक्त में से, रू. 11719.36 लाख की राशि की 168.8338 एकड़ भूमि ली जा चुकी है तथा उसे पूंजीकृत कर दिया गया है। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार ली गई भूमि के खिलाफ शेष बकाया हेतु देयता के रूप में रू. 2463.96 लाख दिखाए गए हैं। पुर्नवास तथा पुर्नस्थापन के लिए अग्रिम के रूप में 4738.72 दिखाए गए हैं।

24. पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा रू. 113.45 करोड़ की लागत पर स्वीकृत योजना के भीतर रू. 29.016 करोड़ के संविदा मूल्य पर नवम्बर, 2007 में मैसर्स हुगली डॉग पोर्ट इंजीनियरिंग लि. (एचडीपीईएल) को 06 कार्य नावों के डिजाइन, निर्माण तथा आपूर्ति के लिए कार्य आदेश दिया गया था। एचडीपीईएल ने आंशिक रूप से कार्य नावों का निर्माण कर दिया है तथा मशीनरी के लिए आदेश दे दिया है। प्राधिकरण ने उसके लिए रू. 19.51 करोड़ रू. अदा कर दिए थे। 4 कार्य नावों संबंधी शेष कार्यों को पूरा करने के लिए, रू. 9.94 करोड़ प्लस करों पर अतिरिक्त कार्य का कार्य आदेश दे दिया गया था।

एचडीपीईएल ने वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान रू0 24.09 करोड़ की लागत वाली 4 नावों की सुपुर्दगी प्रदान की है जिसे पूंजीकृत कर दिया गया है। पहले दो स्तर के भुगतानों का बना होना रू0 2.79 करोड़ तथा डेक,

क्रेन एवं परिचालनीय पतवार नोदन इकाई सहित मशीनरियों के प्रापण हेतु शेष दो कार्य नावों के संबंध में अदा की गई रू0 3.71 करोड़ की राशि को एचडीपीईएल से वसूल की जानी है। प्राधिकरण मशीनरियों को भाअजप्रा को सौंपने तथा बकाया राशि वापिस लौटाने के लिये एचडीपीईएल के साथ संपर्क कर रहा है। एचडीपीईएल से बकाया रू0 6.50 करोड़ की राशि वसूली योग्य दावे के रूप में दर्शायी गई है।

25. भाअजप्रा कार्यालय सह–आर एंड डी परिसर के सीधे विस्तार के निर्माण के लिये प्राधिकरण की 151वीं बैठक में रू0 1450.00 लाख का अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था। भवन का निर्माण पूरा कर दिया गया था । भवन के सीधे विस्तार के निर्माण, विद्युत संस्थापन, एचवीएसी सिस्टम, यात्री लिफ्ट, ग्रांउड कार पार्किंग एवं डी.जी. सेट के ऊपर बहुस्तरीय मल्टी–ग्रिड पर रू0 1442.27 लाख का व्यय किया गया, उसे संबंधित वित्त वर्ष में पूंजीकृत कर दिया गया था। निर्माण हेतु किया गया व्यय वित्तीय वर्षों के संबंध में योजना अनुमान हेतु प्रभारित किया गया था। यह भी उल्लेख किया जाता है कि प्राधिकरण ने सरकारी पीएसयू/विभाग को भवन के 4 तल किराये पर दे दिये थे। वित्त वर्ष 2013–14, 2014–15 तथा 2015–16 हेतु क्रमशः रू0 64.65 लाख, रू0 200.06 लाख तथा रू0 258.16 लाख किराये के रूप में प्राप्त हुआ जिसे सरकारी खाते में जमा करा दिया गया। वित्त वर्ष 2016–17 से संबंधित रू0 290.94 लाख की राशि अभी जमा की जानी है।

26. वर्ष के दौरान, रू0 1647.75 लाख की आंतरिक प्राप्तियां सृजित की गई हैं। पोत परिवहन मंत्रालय के तारीख 06.12.2013 के पत्र सं0 जी–20017/7/2013–अजप के अनुसार उसे सरकारी खाते में जमा किया जाना है। आंतरिक प्राप्तियों की राशि को भारत सरकार की देयता के रूप में दर्शाया गया है। आंतरिक प्राप्तियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं	आंतरिक प्राप्तियां	राशि (रू0 में)
1	किराये की आमदनी (भवन)	29,094,265
2	लघु अवधि जमा पर ब्याज	83,655,178
3	स्टाफ अग्रिम पर ब्याज	348,142
4	मोबाइल अग्रिम पर ब्याज	74,910
5	प्रोटोकॉल फीस	2,053,003
6	जलमार्ग प्रयोग प्रभार	4,911,458
7	बर्थिंग प्रभार	4,460,500
8	भंडारण तथा सौंपने के प्रभार	800,335
9	टॉयेज प्रभार	3,809,580
10	पाइलटेज प्रभार	530,227
11	टर्मिनल प्रभार	500,227
12	शुष्क कार्गो	979,470
13	बड़े आकार के सामान की ढुलाई संबंधी प्रभार (ओडीसी)	2,454,656
14	क्रेन (पोंटून क्रेन सहित) भाड़ा प्रभार	14,086,030
15	वारफेस	619,098
16	निविदा प्रपत्र की बिक्री	1,063,103
17	नौचालन चार्ट की बिक्री	122,660
18	स्थायी परिसंपत्तियों की बिकी पर लाभ	318,168
19	विविध प्राप्तियां	7,041,609
20	ट्यूशन फीस	5,321,816
21	पाठ्यक्रम एवं हॉस्टल फीस	1,208,038
22	अन्य आय	1,322,645
	योग	164,775,141

27. नोएडा तथा हल्दिया में पट्टा आधारित भूमि को अग्रिम भुगतान के आधार पर प्राप्त किया गया है। पट्टा आधारित भूमि हेतु प्रदत्त राशि को स्थायी परिसंपत्तियों की अनुसूची में दिखाया गया है। विशेष वित्तीय वर्ष से संबंधित पट्टा किराये की राशि को संबंधित वित्तीय वर्ष में राजस्व व्यय के लिये प्रभारित किया गया।

28. भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग (आईबीपी)

(i) भारत तथा बांग्लादेश के बीच भारतीय जल पारगमन तथा ट्रेड प्रोटोकॉल नामक एक प्रोटोकॉल करार है जिसके तहत किसी भी देश के जलयान प्रत्येक देश के नदी मार्गों के विनिर्दिष्ट मार्गों के जरिये आवागमन कर सकते हैं। इस प्रोटोकॉल मार्ग के तहत प्रत्येक देश में 5 पोर्ट हैं। मार्च, 2020 तक करार वैध है।

(ii) बांग्लादेश तथा भारत के पोत परिवहन सचिवों की 6–7 दिसम्बर, 2016 को ढाका में आयोजित बैठक के दौरान, यह निर्णय किया गया था कि भारत तथा बांग्लादेश के बीच 80:20 के अनुपात में लागत को साझा करते हुए भदो प्रोटोकॉल मार्गों के प्रखंडों में अर्थात जकीगंज/करीमगंज से आशुगंज तथा सिराजगंज–दायिखवा के 470 कि.मी. में 2.5 मी0 गहराई को बनाये रखने हेतु निकर्षण किया जाना है। निविदा तथा ईएफसी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उपर्युक्त प्रोटोकॉल मार्ग के विकास से राष्ट्रीय जलमार्ग–2 के जरिये वाराणसी से सदिया (असम) तक तथा पटना (बिहार), साहिबगंज (झारखंड), हल्दिया (पश्चिम बंगाल) के रास्ते राष्ट्रीय जलमार्ग–16 के जरिये लखीपुर तक सीधी कनेक्टविटी हो जायेगी।

29. अनुसूचियों के साथ–साथ तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखों को रखते हुए पोत परिवहन मंत्रालय के तारीख 28.02.2005 के उनके पत्र सं. जी–25020/1/2004–अजप के तहत अनुमोदित प्रपत्र में प्राधिकरण वार्षिक लेखें तैयार कर रहा था। लेखों का प्रपत्र संशोधित हो गया है तथा उसे भाअजप्रा बोर्ड की 164वीं प्राधिकरण की बैठक में अपना लिया गया है। तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा, अनुसूचियों तथा लेखा नीति सहित प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा को रखते हुए लेखों के संशोधित प्रपत्र को तारीख 16.06.2017 के भाअजप्रा के पत्र सं0 भाअजप्रा/वित्त/3542/98 के तहत सी. एंड ए.जी. कार्यालय से परामर्श करके अनुमोदन हेतु पोत परिवहन मंत्रालय को भेजा गया है। भाअजप्रा बोर्ड द्वारा अपनाए जाने पर वित्त वर्ष 2016–1 हेतु वार्षिक लेखों को लेखों के संशोधित प्रपत्र पर तैयार किया गया है।

30. 31.03.2017 तक उनको प्रदान किये गये कार्यों/ठेकों के खिलाफ ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से सुरक्षा जमा, बयाना राशि तथा संघटन अग्रिम के लिये रू0 4427.76 लाख (पूर्व वर्ष में रू0 2616.35 लाख) पर मूल्यांकित बैंक प्रतिभूतियां प्राप्त हुई हैं।

31. 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण के कब्जे में स्थान–वार भूमि/पट्टा आधारित भूमि का विवरण **अनुबंध–क** पर संलग्न है।

32. 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित स्थायी परिसंपत्तियों एवं उन पर मूल्यह्रास का विवरण **अनुबंध–ख** पर संलग्न है।

33. यथासंभव वार्षिक लेखों को, भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार, तैयार किया गया है।

34. जहां कहीं आवश्यक समझा गया, वहां पुनर्समूहित तथा पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

35. सभी आंकड़ों को लगभग रूपये में गोल बनाया गया है तथा ( ) में आंकड़े नकारात्मक आंकड़े दिखाते हैं।

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(ए.के. गुप्ता)	**(आलोक रंजन)**	**(प्रवीर पाण्डेय)**	**(नूतन गुहा बिश्वास)**
मुख्य लेखा अधिकारी	सदस्य (वित्त)	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

अनुलग्नक–क

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार कार्यालय–वार भूमि का विवरण

क्र. सं.	भूमि स्थल	प्राप्त भूमि (प्रति वर्ग मी0)	कब्जे में भूमि (प्रति वर्ग मी0)	भाअजप्रा के नाम में किया गया शीर्ष विलेख	क्या परिवर्तन किया गया (हां/नहीं)	अतिक्रमण (यदि कोई है)	टिप्पणी
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
कोलकाता कार्यालय							
क	टर्मिनल का परिचालन एवं रखरखाव						
1	हल्दिया पूरबा मिदनापुर जिला	10319 वर्ग मी0	10319 वर्ग मी0		नहीं		04.03.1994 से हल्दिया डॉक परिसर, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से पट्टा आधार पर
2	बीआईएसएन/जीआरजे–1 कोलकाता जिला	30409.64 वर्ग मी0	30409.64 वर्ग मी0		नहीं		कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता से 30 वर्षों के पट्टे के आधार पर, भाअजप्रा द्वारा 20.02.2014 से 19.02.2044 तक 30 वर्षों के लिये भूमि ली गई
3	जीआर जेट्टी–11 कोलकाता जिला	14557 वर्ग मी0	14557 वर्ग मी0		नहीं		07.03.2008 से 30 वर्षों के लिये (06.03.2038 तक) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से 30 वर्ष की लम्बी अवधि के लिये पट्टा आधार पर
4	बोटेनिकल गार्डन जेट्टी कोलकाता जिला	996 वर्ग मी0	996 वर्ग मी0		नहीं		कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा दिसम्बर, 2004 से बिना लागत प्रदान की गई
5	शांतिपुर नादिया जिला	8000 वर्ग मी0	8000 वर्ग मी0		नहीं		जिलाधीश नादिया (प0ब0) द्वारा अगस्त, 2008 में बिना लागत भूमि प्रदान की गई
ख	जेएमवीपी के अधीन						
1	हल्दिया पूरबा मिदनापुर जिला	248858.15 5 (61 एकड़)	248858.15 5 (61 एकड़)		नहीं		02.11.2015 से 30 वर्षों हेतु पट्टे पर दिया गया
2	फरक्का (प0ब0)	12.86 हेक्टेयर	12.86 हेक्टेयर		नहीं		फरक्का बैरेज परियोजना फरक्का से भाअजप्रा (पोत परिवहन मंत्रालय) को अंतरित
ग	आरआईएस/डीजीपीएस स्टेशन						
1	स्वरूपगंज मंडार नादिया जिला	290.00 वर्ग मी0	290.00 वर्ग मी0		नहीं		18.08.2001 से पट्टा आधार पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से
2	स्वरूपगंज मंडार नादिया जिला	22.5 वर्ग मी0	22.5 वर्ग मी0		नहीं		18.08.2002 से पट्टा आधार पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से
3	स्वरूपगंज मंडार नादिया जिला	25.00 वर्ग मी0	25.00 वर्ग मी0		नहीं		01.01.2003 से पट्टा आधार पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से
4	स्वरूपगंज (डीजीपीएस) भंडार नादिया जिला	2000 वर्ग मी0	2000 वर्ग मी0		नहीं		11 महीने के पट्टे के आधार पर 28.02.2011 से कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से
5	पी–78 गार्डन रीच रोड, कोलकाता– 700043 कोलकाता जिला में कार्यालय भवन	941 वर्ग मी0	941 वर्ग मी0		नहीं		11 महीने के पट्टे के आधार पर 01.07.2005 से कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से
6	बलिया मुशिर्दाबाद जिला	539.98 वर्ग मी0	539.98 वर्ग मी0		नहीं		श्री तपस मंडल सुपुत्र श्री शशि गोपाल मंडल, ग्राम व डाकखाना काम्रपुर, थाना बेलदांगा, जिला मुशिर्दाबाद – 742189, मौजा कमरपुर से 30 वर्षों के पट्टे के आधार पर जे एल नं0 44, प्लॉट नं0 44, प्लॉट नं0 157 एवं 157/2560, 01.11.2013 से लिया गया।
7	कुमारपुर मुशिर्दाबाद जिला	919.00 वर्ग मी0	919.00 वर्ग मी0		नहीं		श्री तपस मंडल सुपुत्र श्री शशि गोपाल मंडल, ग्राम व डाकखाना काम्रपुर, थाना बेलदांगा, जिला मुशिर्दाबाद – 742189, मौजा कमरपुर से 30 वर्षों के पट्टे के आधार पर जे एल नं0 44, प्लॉट नं0 44, प्लॉट नं0 157 एवं 157/2560, 01.11.2013 से लिया गया।
8	त्रिवेणी (बंसबेरिया)	664.00 वर्ग मी0	664.00 वर्ग मी0		नहीं		श्री संजीव कुमार सिंह सुपंत्र स्व0 श्री प्रेम कुमार सिंह, महाकाली ताला लेन, बंसबेरिया, थाना मोगरा, जिला हुगली (प0बं0)– 712502, मौजा–बांसबेरिया, 30 वर्षों के पट्टे के आधार पर 01.01.2014 से आर.एस. दाग सं0 941 (पी), आर. एस. खसरा न0 1456, क्षेत्र 7150 वर्ग फीट (0.164 एकड़), 590.84 वर्ग ।, थाना मोगरा, जिला हुगली (प0बं0) ली गई।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार कार्यालय–वार भूमि का विवरण

क्र. सं.	भूमि स्थल	प्राप्त भूमि (प्रति वर्ग मी0)	कब्जे में भूमि (प्रति वर्ग मी0)	भाअजप्रा के नाम में किया गया शीर्ष विलेख	क्या परिवर्तन किया गया (हां/नहीं)	अतिक्रमण (यदि कोई है)	टिप्पणी
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
पटना कार्यालय							
1	गायघाट, पटना, जिला पटना	11868.23	11868.23	......	हां	नहीं	निम्न स्तर जेट्टी
2		4046.86	4046.86	......	हां	नहीं	उच्च स्तर जेट्टी
3		17401.50	17401.50	......	नहीं	नहीं	निनि
4		5539.34	5539.34	......	हां	नहीं	निनि विस्तार
5	बाड़ी खंजरपुर, भागलपुर, जिला भागलपुर	15620.87	15620.87	......	हां	नहीं	
6	खासमहल ग्रिड किला, मुंगेर, जिला मुंगेर	13759.31	13759.31	......	नहीं	50% अतिक्रमण	50 प्रतिशत भूमि पर आरआईएस स्टेशन का निर्माण चल रहा है
7	रल्लुपुर, रामनगर, वाराणसी जिला	55860	55860	......	हां	नहीं	
8		96170	96170		नहीं	नहीं	
9	लावेन खुर्द, इलाहाबाद, जिला इलाहाबाद	87590	87590	......	हां	नहीं	
10	साहिबगंज, जिला साहिबगंज	686905.32	242811.36	......	कार्य चल रहा है	70 प्रतिशत अतिक्रमण /प्राप्त भूमि से परियोजना से प्रभावी परिवारों को शिफ्ट नहीं किया गया	परियोजना के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के कारण प्रभावित परिवारों के लिये शेष (भूमि का 70 प्रतिशत) हेतु कार्य चल रहा है।
गुवाहाटी कार्यालय							
1	पांडु कामरूप मेट्रो जिला	77870	77870	भारत सरकार भूमि	नहीं	नहीं	सीआईडब्ल्यूटीसी से सरकारी भूमि ली गई
2	जोगीघोपा (टर्मिनल), बांगायीगांव जिला	164700	164700	भारत सरकार भूमि	नहीं	नहीं	सीआईडब्ल्यूटीसी से भूमि ली गई
3	निमाती, जोरहट जिला	20000	20000	असम सरकार के माध्यम से प्राप्त	नहीं	हां	आंशिक रूप से भूमि क्षय हो गई इसलिए परिवर्तन नहीं किया जा सका
4	हथसिंहीमारी, धुब्री जिला	17240	17240	असम सरकार के माध्यम से प्राप्त	नहीं	हां	आंशिक रूप से भूमि क्षय हो गई इसलिए परिवर्तन नहीं किया जा सका
5	डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ जिला	40190	40190	हां	हां	नहीं	
6	सिलघाट, नागांव जिला	20070	20070	हां	हां	नहीं	
7	बिश्वनाथ घाट, सोनितपुर जिला	6300	6300	हां	हां	नहीं	
8	धुब्री, धुब्री जिला	32500	32500	हां	हां	नहीं	
9	ओरियम घाट, धेमाजी जिला	26000	26000	असम सरकार के माध्यम से प्राप्त	नहीं	नहीं	भूमि का परिवर्तन नहीं किया जा सका क्योंकि असम सरकार ने भू–स्वामियों को केवल 80 प्रतिशत धनराशि वितरित की है। इस मामले को डीसी धेमाजी के साथ उठाया गया है। उत्तर की प्रतीक्षा है।
10	पुराना जोगीघोपा पोर्ट	605300	शून्य	भारत सरकार भूमि	टिप्पणी देखें	प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह से अतिक्रमित	26.04.2017 को सीआईडब्ल्यूटीसी से सरकारी भूमि ली गई
11	डिब्रूगढ़ में एजेंसी बंगाला	6314	6314	हां	नहीं	नहीं	
12	करीमगंज, स्टीमर घाट	7237	7237	हां	नहीं	नहीं	सीआईडब्ल्यूटीसी से सरकारी भूमि ली गई। परिवर्तन अभी किया जाना है।
13	बदरपुर, स्टीमर घाट	4361	4361	हां	नहीं	नहीं	सीआईडब्ल्यूटीसी से सरकारी भूमि ली गई। परिवर्तन अभी किया जाना है।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार कार्यालय–वार भूमि का विवरण

क्र. सं.	भूमि स्थल	प्राप्त भूमि (प्रति वर्ग मी0)	कब्जे में भूमि (प्रति वर्ग मी0)	भाअजप्रा के नाम में किया गया शीर्ष विलेख	क्या परिवर्तन किया गया (हां/नहीं)	अतिक्रमण (यदि कोई है)	टिप्पणी
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
कोची कार्यालय							
1	कोट्टापुरम टर्मिनल, त्रिसुर जिला	5823	5823	कब्जा पत्र प्राप्त हुआ	नहीं	नहीं	
2	आलुवा टर्मिनल, एर्नाकुल्लम जिला	13310	13310	प्रक्रिया चल रही है	नहीं	नहीं	
3	माराडु टर्मिनल, एर्नाकुल्लम जिला	20085	20085	प्रक्रिया चल रही है	हां	नहीं	
4	काकानाड़ टर्मिनल, एर्नाकुल्लम जिला	12205	12205	प्रक्रिया चल रही है	नहीं	नहीं	
5	वैयकम टर्मिनल, कोट्टयम जिला	5184	5184	प्रक्रिया चल रही है	हां	नहीं	
6	श्रीपुन्नापुझा टर्मिनल, अलाप्पुझा जिला	5057	5057	प्रक्रिया चल रही है	नहीं	नहीं	
7	थानीरमुक्कम टर्मिनल, अलाप्पुझा जिला	9170	9170	प्रक्रिया चल रही है	हां	नहीं	
8	अलाप्पुझा टर्मिनल, अलाप्पुझा जिला	22550	22550	प्रक्रिया चल रही है	नहीं	नहीं	
9	कायमकुल्लम टर्मिनल, अलाप्पुझा जिला	16332	16332	प्रक्रिया चल रही है	नहीं	नहीं	
10	चावड़ा टर्मिनल, कोल्लम जिला	8061	8061	प्रक्रिया चल रही है	नहीं	नहीं	
11	कोल्लम टर्मिनल, कोल्लम जिला	5812	5812	प्रक्रिया चल रही है	नहीं	नहीं	
12	अलाप्पुझा तथा कोल्लम जिला – कैनाल को चौड़ा कराने के लिये	215305	48822	-	-	-	166483 वर्ग मी0 भूमि कैनाल में मिला दी गई है तथा लागत राजस्व व्यय में दिखायी गई है।
वाराणसी कार्यालय							
1	राल्हुपुर, रामनगर, वाराणसी	5.586	5.586	अधिग्रहण नियमों के जरिये भूमि प्राप्त की गई है	हां	नहीं	इस भूमि पर टर्मिनल का निर्माण चल रहा है।
2		9.617	9.617	हां	नहीं	नहीं	परिवर्तन की कार्रवाई चल रही है।

भारतीय अंतर्देशीय

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

	विवरण	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धियां	समायोजन/कटौतियां	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार सकल ब्लॉक
					(3+4+5)
1	2	3	4	5	6
नोएडा	सर्वेक्षण उपकरण	2,503,166	58,094	-	2,561,260
	वाहन	1,424,601	834,019		2,258,620
	फर्नीचर एवं फिक्सर	5,238,770	1,094,762	-	6,333,532
	कार्यालय उपकरण	5,125,250	105,325	-	5,230,575
	विद्युत संस्थापन	10,404,034	1,293,600		11,697,634
	एयर कंडीशनर	21,010,589	-		21,010,589
	वाटर कूलर एवं फ्रीज	182,751	-		182,751
	पंखे एवं एयर कूलर	1,187,013	-		1,187,013
	जेनेरटर सेट	7,047,195	-		7,047,195
	साइकिल	27,711	-		27,711
	अस्थायी संरचना	539,260	170,854		710,114
	पुस्तकालय पुस्तकें	1,171,771	98,530		1,270,301
	कंप्यूटर	17,016,105	2,805,830	-	19,821,935
	संचार उपकरण	1,523,420	-		1,523,420
	भवन	110,176,899	20,981		110,197,880
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,515,011	31,750		1,546,761
	आवासीय क्वाटर	30,732,753	124,250		30,857,003
	कार पार्किंग	23,392,491	-		23,392,491
	पट्टा आधारित भूमि	24,448,916		(6,519,717)	17,929,199
	यात्री लिफ्ट	4,612,400	-		4,612,400
	योग (क)	269,280,106	6,637,995	(6,519,717)	269,398,384
कोलकाता	टर्मिनल	430,678,160	-	-	430,678,160
	वाहन	1,184,049	-	-	1,184,049
	फर्नीचर एवं फिक्सर	1,449,466	12,105		1,461,571
	कार्यालय उपकरण	680,567	-	-	680,567
	विद्युत संस्थापन	67,889	-	-	67,889
	सर्वेक्षण औजार	25,446,600	576,245		26,022,845
	पुस्तकालय पुस्तकें	130,200	2,245		132,445
	गतिवान नौकाएं	4,232,684	-	-	4,232,684
	सामान्य जलयान	219,742,133	-	-	219,742,133
	पंखे एवं एयर कूलर	91,073	-		91,073
	संचार नेटवर्क	517,313	-		517,313
	बार्जेज	120,666,602	-		120,666,602
	साइकिल	5,975	-		5,975
	जलयान निकर्षण इकाई	439,526,949	-		439,526,949
	कंप्यूटर	2,644,982	147,840		2,792,822
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,679,784	-		1,679,784
	रात्रि नौचालन उपकरण	50,955,498	-	(701,595)	50,253,903
	एयर कंडीशनर	728,854	-	-	728,854
	जेनेरटर सेट	1,185,869	-		1,185,869
	आरआईएस स्टेशन संरचना	19,869,240			19,869,240
	आरआईएस उपकरण	140,498,872	169,018		140,667,890
	डीजीपी स्टेशन	14,215,359	-		14,215,359
	योग (ख)	1,476,198,118	907,453	(701,595)	1,476,403,976

अनुबंध–ख

जलमार्ग प्राधिकरण

स्थायी परिसंपत्तियों की अनुसूची

मूल्यह्रास		बेची/अंतरित परिसंपत्तियों के लेखों से संबंधित समायोजन	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार कुल मूल्यह्रास	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार निवल ब्लॉक
			(7 + 8 + 9)	(6 - 10)
31.03.2016 की स्थिति के अनुसार	वर्ष हेतु			
7	8	9	10	11
2,378,008	2,570	-	2,380,578	180,682
639,070	310,485	-	949,555	1,309,065
3,773,616	262,943	-	4,036,559	2,296,973
3,395,319	610,847	-	4,006,166	1,224,409
2,808,009	884,824	-	3,692,833	8,004,801
5,322,250	1,837,757	-	7,160,007	13,850,582
		-		
153,898	16,135	-	170,033	12,718
1,104,287	6,010	-	1,110,297	76,716
1,897,790	468,841	-	2,366,631	4,680,564
24,380	589	-	24,969	2,742
539,260	170,854	-	710,114	-
1,171,771	98,530	-	1,270,301	-
15,297,928	955,901	-	16,253,829	3,568,106
881,088	141,540	-	1,022,628	500,792
28,927,265	1,900,078	-	30,827,343	79,370,537
1,376,096	63,453	-	1,439,549	107,212
6,984,906	473,106	-	7,458,012	23,398,991
2,561,263	344,974	-	2,906,237	20,486,254
			-	17,929,199
505,016	68,020	-	573,036	4,039,364
79,741,220	**8,617,457**	**-**	**88,358,677**	**181,039,707**
46,737,702	12,883,236	-	59,620,938	371,057,222
272,954	94,852	-	367,806	816,243
867,868	118,409		986,277	475,294
538,524	35,254		573,778	106,789
36,655	11,861	-	48,516	19,373
15,475,510	1,259,853	-	16,735,363	9,287,482
130,200	2,245		132,445	-
3,767,838	51,157	-	3,818,995	413,689
83,636,958	6,285,299	-	89,922,257	129,819,876
52,313	10,233		62,546	28,527
434,227	4,288		438,515	78,798
31,720,464	2,427,482	-	34,147,946	86,518,656
4,028	230		4,258	1,717
123,617,956	11,109,435	-	134,727,391	304,799,558
2,436,913	60,903		2,497,816	295,006
1,590,919	4,876		1,595,795	83,989
19,068,123	3,005,841	(466,835)	21,607,129	28,646,774
208,938	70,669	-	279,607	449,247
300,814	77,893	-	378,707	807,162
314,596	73,450		388,046	19,481,194
8,898,262	2,085,385		10,983,647	129,684,243
3,630,793	705,271		4,336,064	9,879,295
343,742,555	**40,378,122**	**(466,835)**	**383,653,842**	**1,092,750,134**

भारतीय अंतर्देशीय

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

	विवरण	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धियां	समायोजन/कटौतियां	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार सकल ब्लॉक
					(3+4+5)
1	2	3	4	5	6
पटना	भूमि	35,051,542	-		35,051,542
	वाहन	1,982,617	-	-	1,982,617
	फर्नीचर एवं फिक्सर	2,061,235	74,800	-	2,136,035
	कार्यालय उपकरण	195,863	47,150	-	243,013
	विद्युत संस्थापन	6,885	-	-	6,885
	एयर कंडीशनर	1,210,025	-	-	1,210,025
	वाटर कूलर एवं	-			-
	फ्रीज	70,950	-	-	70,950
	जेनेटर सेट	-		-	-
	सर्वेक्षण औजार	16,519,165	12,906,925	-	29,426,090
	जलयान : निकर्षण इकाई	747,027,542	-	-	747,027,542
	सामान्य जलयान	108,819,402	-	-	108,819,402
	गतिवान नौका	2,383,309	-	-	2,383,309
	बार्जेज	84,062,200	-		84,062,200
	अस्थायी संरचना	-	-	-	-
	कंप्यूटर	3,959,579	358,300	-	4,317,879
	पुस्तकालय पुस्तकें	89,666	17,855		107,521
	सर्वेक्षण उपकरण (कंप्यूटर)	4,837,917	-	-	4,837,917
	सर्वेक्षण स्तंभ	649,995			649,995
	संचार उपकरण	1,118,858	-	-	1,118,858
	भवन	49,719,000	17,145,000	-	66,864,000
	टर्मिनल एवं भवन	602,909,758	-	-	602,909,758
	रात्रि नौचालन प्लव	9,277,200			9,277,200
	डीजीपीएस स्टेशन	32,245,501	-	-	32,245,501
	बैकोन टावर	15,895,321	-		15,895,321
	सोल विश्लेषण	3,335,236	682,720	208,360	4,226,316
	आईआरएस स्टेशन		35,374,286		35,374,286
	क्रेन	46,326,824	-		46,326,824
	योग (ग)	**1,769,755,590**	**66,607,036**	**208,360**	**1,836,570,986**
गुवाहाटी	संचार उपकरण	1,673,126	-	(605,290)	1,067,836
	वाहन	590,523	-		590,523
	फर्नीचर एवं फिक्सर	919,772	96,203		1,015,975
	कार्यालय उपकरण	495,972	105,183	(83,200)	517,955
	विद्युत संस्थापन	46,979	-		46,979
	पंखे एवं एयर कूलर	39,580	-		39,580
	सर्वेक्षण औजार	16,425,912	-	(1,697,673)	14,728,239
	साइकिल	680	-		680
	पुस्तकालय पुस्तकें	40,885	-		40,885
	जलयान गतिवान नौका	4,021,123			4,021,123
	जेनेटर सेट	36,100	27,460		63,560
	कंप्यूटर	4,423,629	169,500	-	4,593,129
	टर्मिनल–पांडु	1,275,460,968	8,904,263	-	1,284,365,231
	रात्रि नौचालन उपकरण	12,460,554	-	-	12,460,554
	बार्जेज	133,745,241	-		133,745,241
	जलयान–सामान्य	184,159,998	101,863,352	-	286,023,350
	पांडु टर्मिनल	39,519,829	77,968,470		117,488,299
	जलयान निकर्षण इकाई	1,281,599,620	1,088,960	-	1,282,688,580
	क्रेन	44,969,796			44,969,796
	एयर कंडीशनर	246,350	323,000		569,350
	आरआईएस उपकरण		4,207,723		4,207,723
	भवन	-		-	-
	योग (घ)	**3,000,876,637**	**194,754,114**	**(2,386,163)**	**3,193,244,588**

अनुबंध–ख

जलमार्ग प्राधिकरण

स्थायी परिसंपत्तियों की अनुसूची

मूल्यह्रास		बेची/अंतरित परिसंपत्तियों के लेखों से संबंधित समायोजन	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार कुल मूल्यह्रास	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार निवल ब्लॉक
			(7 + 8 + 9)	(6 - 10)
31.03.2016 की स्थिति के अनुसार	वर्ष हेतु			
7	8	9	10	11
-			-	35,051,542
1,043,326	97,414	-	1,140,740	841,877
666,556	144,983		811,539	1,324,496
88,041	49,879		137,920	105,093
3,665	674		4,339	2,546
240,981	106,283	-	347,264	862,761
-			-	-
16,389	13,677	-	30,066	40,884
-	-	-	-	-
10,615,552	1,381,224	-	11,996,776	17,429,314
403,188,167	11,943,461	-	415,131,628	331,895,914
39,029,094	3,149,191	-	42,178,285	66,641,117
1,399,012	72,473	-	1,471,485	911,824
36,115,884	1,521,416		37,637,300	46,424,900
-	-	-	-	-
3,547,428	156,708	-	3,704,136	613,743
89,666	17,855		107,521	-
4,518,494	89,499	-	4,607,993	229,924
371,647	22,355		394,002	255,993
1,043,966	6,316	-	1,050,282	68,576
675,797	1,056,451	-	1,732,248	65,131,752
171,872,639	16,296,607	-	188,169,246	414,740,512
3,579,221	494,680		4,073,901	5,203,299
9,111,161	1,640,687	-	10,751,848	21,493,653
4,804,720	1,029,866		5,834,586	10,060,735
1,056,269	1,355,778	(208,360)	2,203,687	2,022,629
	1,099,714		1,099,714	34,274,572
21,848,301	4,966,478		26,814,779	19,512,045
714,925,976	**46,713,669**	**(208,360)**	**761,431,285**	**1,075,139,701**
1,499,727	78,120	(579,458)	998,389	69,447
560,997	-	-	560,997	29,526
641,132	49,151	-	690,283	325,692
420,768	46,556	(79,040)	388,284	129,671
32,456	1,861	-	34,317	12,662
23,648	3,048	-	26,696	12,884
9,614,289	780,907	(1,605,610)	8,789,586	5,938,653
646	-	-	646	34
40,885	-		40,885	-
2,441,382	186,969	-	2,628,351	1,392,772
34,296	38	-	34,334	29,226
3,740,632	151,374	-	3,892,006	701,123
218,137,036	36,153,175	-	254,290,211	1,030,075,020
6,995,029	1,391,779	-	8,386,808	4,073,746
46,205,293	3,917,057	-	50,122,350	83,622,891
69,300,815	5,343,971	-	74,644,786	211,378,564
-			-	117,488,299
318,639,105	32,768,634	-	351,407,739	931,280,841
19,638,918	4,621,542	-	24,260,460	20,709,336
77,248	50,819	-	128,067	441,283
	8,761		8,761	4,198,962
-	-	-	-	-
698,044,302	**85,553,762**	**(2,264,108)**	**781,333,956**	**2,411,910,632**

भारतीय अंतर्देशीय
31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

	विवरण	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धियां	समायोजन/कटौतियां	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार सकल ब्लॉक
					(3+4+5)
1	2	3	4	5	6
भागलपुर	प्लव	54,467			54,467
	वाहन	152,658			152,658
	फर्नीचर एवं फिक्सर	251,412	-	-	251,412
	कार्यालय उपकरण	127,590			127,590
	विद्युत संस्थापन	3,227			3,227
	पंखे एवं एयर कूलर	25,819			25,819
	सर्वेक्षण औजार	2,585,423	-		2,585,423
	बार्जेज	561,255			561,255
	साइकिल	701			701
	पुस्तकालय पुस्तकें	25,805	-		25,805
	संचार उपकरण	157,026			157,026
	भूमि	36,734			36,734
	कंप्यूटर	237,197	-		237,197
	डीजीपीएस स्टेशन	18,320,308	-	-	18,320,308
	टर्मिनल	2,856,463	-	-	2,856,463
	एयर कंडीशनर	20,000	-		20,000
	योग (ङ)	25,416,085	-	-	25,416,085
कोच्चि	फर्नीचर एवं फिक्सर	1,016,793	182,027		1,198,820
	कार्यालय उपकरण	416,268	8,300	(215,338)	209,230
	पंखे एवं एयर कूलर	56,885	-	(12,275)	44,610
	एयर कंडीशनर	67,595	-	(27,395)	40,200
	सर्वेक्षण औजार	6,922,627	814,158	-	7,736,785
	संचार उपकरण	734,727	-		734,727
	जेनेटर सेट	354,969	-		354,969
	कंप्यूटर	2,067,046	48,300	(535,169)	1,580,177
	सर्वेक्षण प्रारंभ	5,464,584	-		5,464,584
	गतिवान नौकाएं	1,120,418	-	-	1,120,418
	भूमि (टर्मिनल)	192,334,530	3,040,593	-	195,375,123
	भूमि को चौड़ा करना	45,767,583	-	(9,284,593)	36,482,990
	पुस्तकालय पुस्तकें	19,847	-		19,847
	भवन	8,390,016	-		8,390,016
	टर्मिनल एवं भवन	339,961,010	6,963,345	(372,040)	346,552,315
	निकर्षक	185,525,953	-	-	185,525,953
	रात्रि नौचालन	36,624,825	3,964,853	(115,625)	40,474,053
	फुट ओवर ब्रिज थोटापल्ली	2,188,615	-		2,188,615
	फोरक लिफ्ट	6,370,925	-		6,370,925
	जलीय केन	68,945,177			68,945,177
	विद्युत संस्थापन		1,367,056		1,367,056
	अस्थायी टर्मिनल	1,196,370	-		1,196,370
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,967,611			1,967,611
	योग (च)	907,514,374	16,388,632	(10,562,435)	913,340,571
इलाहाबाद	कंप्यूटर	475,291	-	-	475,291
	फर्नीचर एवं फिक्सर	154,339		-	154,339
	कार्यालय उपकरण	63,554			63,554
	पंखे एवं एयर कूलर	12,155			12,155
	पुस्तकालय पुस्तकें	39,310	5,536		44,846
	विद्युत संस्थापन	1,074,339	-		1,074,339
	भूमि	2,405,763			2,405,763
	टर्मिनल	5,882,942	-		5,882,942
	सर्वेक्षण औजार	2,284,447	-	-	2,284,447
	योग (छ)	12,392,140	5,536	-	12,397,676
वाराणसी	फर्नीचर एवं फिक्सर	176,607			176,607
	कंप्यूटर	364,695			364,695
	कार्यालय उपकरण	68,287			68,287
	पंखे एवं एयर कूलर	7,225			7,225
	वाहन	243,069			243,069
	संचार उपकरण	-	-	-	-
	पुस्तकालय पुस्तकें	5,520	-		5,520
	डीजीपीएस स्टेशन		9,536,935		9,536,935
	सर्वेक्षण औजार	2,971,849	-	-	2,971,849
	योग (ज)	3,837,252	9,536,935	-	13,374,187

अनुबंध–ख

जलमार्ग प्राधिकरण

स्थायी परिसंपत्तियों की अनुसूची

मूल्यह्रास		बेची/अंतरित परिसंपत्तियों के लेखों से संबंधित समायोजन	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार कुल मूल्यह्रास	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार निवल ब्लॉक
			(7 + 8 + 9)	(6 - 10)
31.03.2016 की स्थिति के अनुसार	वर्ष हेतु			
7	8	9	10	11
52,612	-	(868)	51,744	2,723
151,776		(6,751)	145,025	7,633
167,539	8,904	(6,790)	169,653	81,759
54,693	15,590	(2,615)	67,668	59,922
2,564	-	502	3,066	161
8,209	1,827	(100)	9,936	15,883
2,020,993	65,570	(45,446)	2,041,117	544,306
554,410	-	(21,218)	533,192	28,063
682	-	(16)	666	35
25,805	-	(1,290)	24,515	1,290
157,026	-	(7,851)	149,175	7,851
			-	36,734
227,861	8,835	(10,560)	226,136	11,061
6,104,716	1,028,259	-	7,132,975	11,187,333
512,200	81,863	-	594,063	2,262,400
3,800	1,920		5,720	14,280
10,044,886	**1,212,768**	**(103,003)**	**11,154,651**	**14,261,434**
658,377	47,663		706,040	492,780
320,999	22,427	(204,571)	138,855	70,375
44,269	2,230	(11,661)	34,838	9,772
64,215	-	(26,025)	38,190	2,010
3,351,078	541,903		3,892,981	3,843,804
697,991	-		697,991	36,736
181,463	30,784		212,247	142,722
1,749,443	189,968	(508,409)	1,431,002	149,175
3,108,417	307,672		3,416,089	2,048,495
846,592	54,451		901,043	219,375
-	-		-	195,375,123
-	-		-	36,482,990
19,847	-		19,847	-
1,029,650	138,817		1,168,467	7,221,549
104,083,232	7,265,422	1,895,579	113,244,233	233,308,082
61,516,052	4,630,444	-	66,146,496	119,379,457
16,602,020	3,168,496	354,786	20,125,302	20,348,751
975,250	54,743		1,029,993	1,158,622
3,953,251	349,855		4,303,106	2,067,819
41,606,903	3,819,798		45,426,701	23,518,476
	26,330		26,330	1,340,726
1,196,370	-		1,196,370	-
1,935,350	-		1,935,350	32,261
243,940,769	**20,651,003**	**1,499,699**	**266,091,471**	**647,249,100**
365,456	56,844	-	422,300	52,991
146,622	-	-	146,622	7,717
60,376	-		60,376	3,178
11,547	-		11,547	608
39,310	5,536		44,846	-
119,845	103,798		223,643	850,696
-			-	2,405,763
1,014,264	182,730		1,196,994	4,685,948
1,384,334	216,438	-	1,600,772	683,675
3,141,754	**565,346**	**-**	**3,707,100**	**8,690,576**
127,687	4,009	-	131,696	44,911
310,873	11,851	-	322,724	41,971
53,480	2,278		55,758	12,529
5,709	124		5,833	1,392
230,916	-	-	230,916	12,153
-	-	-	-	-
5,520	-		5,520	-
			-	9,536,935
1,343,840	242,263	-	1,586,103	1,385,746
2,078,025	**260,525**	**-**	**2,338,550**	**11,035,637**

भारतीय अंतर्देशीय

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

	विवरण	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धियां	समायोजन/कटौतियां	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार सकल ब्लॉक
					(3+4+5)
1	2	3	4	5	6
निनी	फर्नीचर एवं फिक्सर	5,031,121	-	-	5,031,121
	जेनेटर सेट	657,371	-	-	657,371
	कंप्यूटर	1,477,002	-	-	1,477,002
	कार्यालय उपकरण	1,252,179	76,765	-	1,328,944
	एयर कंडीशनर	1,237,281	-	-	1,237,281
	भवन/कार्यशाला	101,631,075	12,108,000	-	113,739,075
	हॉस्टल एवं रसोई	606,957	-		606,957
	कार्यशाला उपकरण	402,778	-		402,778
	अग्नि मोकअप उपकरण	5,237,144	-		5,237,144
	ओबीएम सहित एफआरपी नौका	528,962	-		528,962
	वाटर कूलर एवं फ्रिज	367,573	-	-	367,573
	अस्थायी संरचना	1,661,542	-		1,661,542
	पाठ्यक्रम सामग्री एवं उपकरण	529,999	-		529,999
	सिमुलेटर	31,731,375	-	-	31,731,375
	पुस्तकालय पुस्तकें	1,256,603	343,320		1,599,923
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	6,002,388	-		6,002,388
	विद्युत संस्थापन	494,676	-		494,676
	पंखे एवं एयर कूलर	90,545	-		90,545
	सर्वेक्षण औजार	2,953,202	-	2,302,963	5,256,165
	जलयान (बक्सर, घोगरा)	41,450	-	-	41,450
	भूमि	152,450,100	-		152,450,100
	योग (ञ)	315,641,323	12,528,085	2,302,963	330,472,371
जेएमवीपी	फर्नीचर एवं फिक्सर	6,072,172	57,523		6,129,695
	कंप्यूटर	2,057,072	222,800		2,279,872
	कार्यालय उपकरण	1,794,973	76,739		1,871,712
	पुस्तकालय पुस्तकें	3,065	4,970		8,035
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	147,315	173,996		321,311
	अस्थायी संरचना	9,037,112	-		9,037,112
	विद्युत संस्थापन	2,549,577	-		2,549,577
	रसोई उपकरण		8,720		8,720
	पंखे एवं एयर कूलर		11,225		11,225
	फर्नीचर एवं फिक्सर– कोलकाता	208,049			208,049
	पट्टा आधारित भूमि – कोलकाता	401,779,993	-	(18,972,944)	382,807,049
	भूमि – फरक्का–कोलकाता	23,580,160			23,580,160
	कंप्यूटर– कोलकाता		130,894		130,894
	भूमि – वाराणसी	52,102,406	757,890,115		809,992,521
	भूमि– साहिबगंज		1,171,935,919		1,171,935,919
	योग (ञ)	499,331,894	1,930,512,901	(18,972,944)	2,410,871,851
रा.ज–4	कंप्यूटर	231,913			231,913
	फर्नीचर एवं फिक्सर	339,866			339,866
	एयर कंडीशनर	116,000			116,000
	योग (ट)	687,779	-	-	687,779
रा.ज–5	कंप्यूटर	52,000	133,100		185,100
	फर्नीचर एवं फिक्सर	154,862	139,033		293,895
	वाटर कूलर एवं फ्रिज	34,000			34,000
	कार्यालय उपकरण		81,345		81,345
	एयर कंडीशनर	53,000	50,300		103,300
	योग (ठ)	293,862	403,778	-	697,640
	सकल योग (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ+ट+ठ)	8,281,225,160	2,238,282,465	(36,631,531)	10,482,876,094
	पूर्व वर्ष	6,784,036,815	1,200,438,217	(129,116,631)	7,855,358,401

(ए.के. गुप्ता)
मुख्य लेखा अधिकारी

(आलोक रंजन)
सदस्य (वित्त)

अनुबंध–ख

जलमार्ग प्राधिकरण

स्थायी परिसंपत्तियों की अनुसूची

मूल्यह्रास		बेची/अंतरित परिसंपत्तियों के लेखों से संबंधित समायोजन	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार कुल मूल्यह्रास	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार निवल ब्लॉक
			(7 + 8 + 9)	(6 - 10)
31.03.2016 की स्थिति के अनुसार	वर्ष हेतु			
7	8	9	10	11
3,601,731	143,754	-	3,745,485	1,285,636
413,732	70,321	-	484,053	173,318
1,370,768	32,385	-	1,403,153	73,849
992,389	136,105	-	1,128,494	200,450
784,815	79,205	(2)	864,018	373,263
13,025,465	1,781,620	-	14,807,085	98,931,990
472,983	100,816		573,799	33,158
124,286	26,579		150,865	251,913
3,698,066	546,502		4,244,568	992,576
142,307	30,120		172,427	356,535
342,075	1,110	-	343,185	24,388
1,661,542	-		1,661,542	-
529,999	-		529,999	-
19,326,426	8,624,880	-	27,951,306	3,780,069
1,256,603	343,320		1,599,923	-
2,968,045	911,408		3,879,453	2,122,935
88,002	50,033		138,035	356,641
13,496	8,928		22,424	68,121
2,805,539		2,185,068	4,990,607	265,558
				41,450
			-	152,450,100
53,618,269	**12,887,086**	**2,185,066**	**68,690,421**	**261,781,950**
582,063	576,932	-	1,158,995	4,970,700
721,809	672,852	-	1,394,661	885,211
341,044	345,172		686,216	1,185,496
3,065	4,970		8,035	-
46,650	97,673		144,323	176,988
9,037,112	-		9,037,112	-
242,210	242,210		484,420	2,065,157
-	1,593		1,593	7,127
-	2,033		2,033	9,192
19,765	19,765		39,530	168,519
-		-	-	382,807,049
			-	23,580,160
	13,893		13,893	117,001
			-	809,992,521
				1,171,935,919
10,993,718	**1,977,093**	**-**	**12,970,811**	**2,397,901,040**
85,492	72,260	-	157,752	74,161
32,287	32,287		64,574	275,292
12,224	10,992		23,216	92,784
130,003	**115,539**	**-**	**245,542**	**442,237**
16,468	18,314		34,782	150,318
14,712	18,148		32,860	261,035
6,460	6,460		12,920	21,080
	4,227		4,227	77,118
5,035	6,920		11,955	91,345
42,675	**54,069**	**-**	**96,744**	**600,886**
2,160,444,152	**218,986,439**	**642,459**	**2,380,073,050**	**8,102,803,044**
1,941,219,177	**221,984,444**	**(2,475,726)**	**2,160,727,895**	**5,694,552,098**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(प्रवीर पाण्डेय)
उपाध्यक्ष

(नूतन गुहा बिश्वास)
अध्यक्ष

अनुसूची–18

महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियां

1. वित्तीय विवरणियों की तैयारी का आधार :

वित्तीय विवरणियों को अन्यथा रिपोर्ट करने के अलावा ऐतिहासिक लागत प्रौद्धभूत आधारित परम्परा के तहत भारतीय सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया जाता है।

2. धारा 19 के तहत भाअजप्रा निधि :

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण निधि अधिनियम की धारा–19 के तहत गठित की गई। इसमें निम्नलिखित जमा किये जायेंगे :–

क. परिसंपत्तियों को प्राप्त करने, विकास करने तथा अवसंरचना सुविधा के रखरखाव के लिये कोई अनुदान।

ख. प्राधिकरण द्वारा भाअजप्रा अधिनियम के तहत प्राप्त सभी फीस तथा प्रभार (सभी आंतरिक प्राप्तियां)।

ग. सरकार से आवधिक तौर पर प्राधिकरण को प्राप्त सभी राशियां।

घ. प्राप्त कोई अन्य अनुदान

ड. 'आय तथा व्यय लेखों' का कोई अधिशेष।

इनमें से निम्नलिखित घटाएं जायंगे :–

क. भारत सरकार (जीओआई) को उनके अनुदेशों के अनुसार देय कोई राशि।

ख. अनुदानों से खरीदी गई स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के बराबर राशि।

ग. स्थायी परिसंपत्तियों की डब्ल्यूडीवी जो वर्ष के दौरान बेची जाती हैं तथा पूंजीगत अनुदान से पहले परिसंपत्तियां खरीदी गई थी।

घ. 'आय तथा व्यय' लेखा का कोई घाटा।

3. सरकारी अनुदान :

राजस्व अनुदान : राजस्व से संबंधित सरकारी अनुदान अर्थात कर्मचारी लागत तथा सामान्य प्रशासन को 'आय तथा व्यय लेखा' में राजस्व अनुदान के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी।

परिसंपत्तियों को प्राप्त करने, विकास करने तथा अवसंरचना सुविधा के रखरखाव के लिये अनुदान : सरकारी अनुदानों को, जो परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, विकास तथा अवसंरचना के रखरखाव तथा इनसे संबंधित गतिविधियों से संबंधित है, को भाअजप्रा निधि में जमा किया जाएगा।

4. स्थायी परिसंपत्तियां :

क. स्थायी परिसंपत्ति को प्रारंभिक तौर पर अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर मापा जाता है जिसमें स्थान पर परिसंपत्तियों को लाने में कोई प्रत्यक्ष लागत लगती है तथा प्रबंधन द्वारा इच्छित ढंग से प्रचालन

करने के योग्य बनाने के लिये आवश्यक स्थिति शामिल है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद स्थायी परिसंपत्ति को न्यून संचयी मूल्यह्रास/परिशोधन तथा संचयी हानियों, यदि कोई है, की लागत पर ले जाया जाता है।

ख. स्थायी परिसंपत्तियों को स्वामित्व के अंतरण की तारीख में अथवा उपयोग में लाने की तारीख में, जो भी पहले हो, से पूंजीकृत किया गया है।

ग. पूंजीगत कार्य– प्रगति पर है (सीडब्ल्यूआईपी) :
स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण सामग्री की लागत, निर्माण/स्थापना पर खर्चे तथा अन्य खर्चे तब तक निर्माण/स्थापना की प्रगति पर आधारित सीडब्ल्यूआईपी के रूप में दर्शाये जाते हैं जब तक पूंजीकरण की तिथि नहीं आ जाती है।

घ. मूल्यह्रास/परिशोधन :

- मूल्यह्रास को मूल्यह्रास की सीधी रेखा प्रणाली के अनुसार प्रभारित किया गया है।
- मूल्यह्रास कंपनीज अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट दरों पर तथा तरीके से प्रदान किया गया है। इसमें लाभदायक जीवनों तथा अवशेष मूल्यों के आधार को उपयोग में लाया गया है जिसमें बोर्ड द्वारा परिभाषित परिसंपत्ति के लाभदायक जीवन को छोड़ा गया है।
- वर्ष के दौरान अधिग्रहित अथवा निपटान की गई नयी परिसंपत्तियों के मामले में मूल्यह्रास अनुपातिक समय समानुपात आधार पर प्रदान किया जाता है।
- अमूर्त परिसंपत्तियों का सीधी रेखा प्रणाली पर उनसे संबंधित वैयक्तिक अनुमानित लाभदायक जीवनों के ऊपर परिशोधित किया जाता है, यह प्राधिकरण को उसके उपयोग हेतु उपलब्ध परिसंपत्ति की तारीख से प्रारंभ होता है, परंतु 10 वर्षों की अवधि से अधिक के लिये नहीं।

5. सामान सूची मूल्यांकन :

भंडारों, कलपूर्जों तथा औजारों (मशीनरी कलपूर्जों सहित) का लागत पर मूल्यांकन किया जाता है।

6. राजस्व मान्यता :

सभी राजस्व को प्रौद्धभूत आधार पर मान्यता दी गई है।

7. निवेश :

'दीर्घावधि निवेशों' के रूप में वर्गीकृत निवेशों को लागत पर लाया जाता है। अस्थायी के अलावा कमी के प्रावधान को ऐसे निवेशों की लागत पर लाया जाता है।

8. पट्टा :

पट्टा आधारित किराया पट्टा आधारित शर्तों के संदर्भ में खर्च किया जाता है।

9. सेवानिवृत्ति लाभ :

आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार सभी कार्मिकों के लाभों हेतु प्रावधान सृजित किया जाता है।

10. पूर्व अवधि समायोजन :

पूर्व वर्ष/वर्षों से संबंधित वस्तुओं के लिये रू0 25,000/– से अधिक प्रत्येक पर आय अथवा व्यय इसके खाते में 'जैसा भी मामला हो' जोड़ा अथवा कम किया जाता है।

11. व्यय निरूपण :

जलीय सर्वेक्षण, अध्ययनों (अर्थात व्यवहार्यता अध्ययन, डीपीआर, ईआईए, एसआईए आदि), बंडालिंग, सतह–पैनलिंग, निकर्षण, प्रचालन तथा टर्मिनलों का अनुरक्षण, चैनल मार्किंग में अस्थायी संरचना तथा जलयानों का अनुरक्षण आदि पर व्यय को राजस्व व्यय के रूप में समझा जाता है, जबकि चैनल मार्किंग, टर्मिनल निर्माण तथा भूमि, जलयानों की लागत, सर्वेक्षण अभियानों, टुग्स, बार्जेज, निकर्षकों आदि में स्थायी संरचनाओं के सृजन पर व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाता है।

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(ए.के. गुप्ता)	**(आलोक रंजन)**	**(प्रवीर पाण्डेय)**	**(नूतन गुहा बिश्वास)**
मुख्य लेखा अधिकारी	**सदस्य (वित्त)**	**उपाध्यक्ष**	**अध्यक्ष**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमनें भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (प्राधिकरण) की 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, प्राधिकरण के संलग्न तुलन पत्र तथा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (भाअजप्रा अधिनियम, 1985) की धारा 23 तथा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली, 1986 (भाअजप्रा नियमावली, 1986) के नियम 28 (3) के तहत उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिये आय एवं व्यय लेखे का लेखा परीक्षा किया है। इन वित्तीय विवरिणों में प्राधिकरण की इकाइयों/शाखाओं के लेखे शामिल हैं। ये वित्तीय विवरिणां प्राधिकरण के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरिणों में हमारे लेखा परीक्षा पर आधारित राय व्यक्त करने की है।

हमने भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार हमारा लेखा परीक्षा आयोजित किया है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिये, क्या वित्तीय विवरिणां भारी गलत विवरिणों से मुक्त हैं, इस बारे में योजना बनाते हैं तथा लेखा परीक्षा निष्पादित करते हैं। एक लेखा परीक्षा में टेस्ट के आधार पर परीक्षण करना, वित्तीय विवरिणों में राशियों तथा प्रकटों के समर्थन में साक्ष्य शामिल हैं। लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाये गये लेखा संबंधी सिद्धांतों तथा बनाये गये महत्वपूर्ण अनुमानों के निर्धारण करने के साथ–साथ वित्तीय विवरिणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारा लेखा परीक्षा हमारी राय के लिये उचित आधार प्रदान करता है।

हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि :

i. हमने सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जो हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।

ii. इस रिपोर्ट द्वारा संबंधित तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा को लेखों के संशोधित प्रपत्र में तैयार किया गया है जिसे भाअजप्रा ने पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन हेतु भेजा है तथा वह भाअजप्रा अधिनियम, 1985 की धारा 34 (2)(जी) तथा भाअजप्रा नियमावली, 1986 के नियम 28 (2) के तहत भारत सरकार के अनुमोदन की प्रक्रिया में था।

iii. हमारी राय में तथा भारत सरकार द्वारा संशोधित प्रपत्र के अनुमोदन के अधीन, प्राधिकरण द्वारा भाअजप्रा अधिनियम, 1985 की धारा 34 (2)(जी) के तहत अपेक्षानुसार अनुरक्षित उचित लेखा बहियों तथा अन्य संबंधित अभिलेखों का जहां तक ऐसी बहियों के हमारे परीक्षण से निम्न के अलावा प्रतीत होता है :

सामान्य

विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार ने करार (मार्च, 2009) के जरिये भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअजप्रा) को भारत में मिजोरम राज्य के साथ म्यांमार में सिटवे पोर्ट को जोड़ने वाली कलादान नदी पर रू0 535.91 करोड़ की अनुमोदित लागत पर मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन सुविधा के कार्यान्वयन हेतु लगायी जा रही कलादान परियोजना हेतु परियोजना विकास परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया। परियोजना के सुपुर्दयोग्य/विशिष्ट मील के पत्थरों के अनुसार, विदेश मंत्रालय द्वारा भाअजप्रा को करार के अनुसार

परियोजना विकास परामर्शी/प्रबंधन फीस (पीडीसी फीस) किस्तों में देय थी। भाअजप्रा ने वर्ष 2016–17 हेतु कलादान परियोजना के लेखों की बहियां पृथक रूप से तैयार की है जिसे भाअजप्रा की लेखा बहियों के बाहर रखा गया है।

वर्ष 2016–17 हेतु भाअजप्रा के लेखों के लिये टिप्पणियों की टिप्पणी 16 में प्रकट किये अनुसार, भाअजप्रा ने 31.03.3017 तक परियोजना हेतु रू0 22.61 करोड़ की पीडीसी फीस प्राप्त की थी। टिप्पणी 16 में आगे प्रकट किया गया था कि रू0 22.61 करोड़ प्लस आंतरिक प्राप्तियों (रू0 2.20 करोड़ के बैंक ब्याज सहित) में से रू0 23.23 करोड़ का व्यय किया गया था। ये तथ्य तथा आंकड़े, तथापि, वर्ष 2016–17 हेतु पृथक रूप से रखी जा रही 'कलादान परियोजना' तथा भाअजप्रा के लेखों से बाहर रखे गये तुलन पत्र से सत्यापित करने योग्य नहीं हैं। इसके आगे, विदेश मंत्रालय से प्राप्त रू0 22.61 करोड़ की राशि में वर्ष 2016–17 के दौरान सेवा कर तथा जलीय सर्वेक्षण के लिये विदेश मंत्रालय द्वारा प्रतिपूर्ति किये गये रू0 3.10 करोड़ की राशि शामिल थी। भाअजप्रा को पीडीसी फीस के अलावा सेवा कर तथा जलीय सर्वेक्षण प्रभार देय थे। इस प्रकार, भाअजप्रा के लेखों से संबंधित टिप्पणियों की टिप्पणी सं0 16 में किया गया प्रकटीकरण उस सीमा तक कम था कि 31.03.2017 तक भाअजप्रा द्वारा प्राप्त पीडीसी फीस रू0 3.10 करोड़ की सीमा तक अधिक कहा गया था। चूंकि, वर्ष 2016–17 हेतु भाअजप्रा के लेखों से बाहर रखे गये कलादान परियोजना के लेखों को लेखा परीक्षा करने के लिये लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था, लेखा परीक्षा वर्ष 2016–17 हेतु भाअजप्रा के लेखों पर इसके प्रभाव संबंधी टिप्पणी करने में असमर्थ था।

iv. पूर्ववर्ती पैराओं में हमारे प्रेक्षणों के अधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा बहियों से सहमति रखते हैं।

v. हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखा नीतियों एवं लेखा संबंधी टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरिणों तथा उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों के अधीन तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामले भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा संबंधी सिद्धांतों की पुष्टि में सही तथा उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं :

क) जहां तक 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण के कार्यों से संबंधित तुलन पत्र से इसका संबंध है, और

ख) जहां तक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा से संबंधित घाटे का संबंध है।

कृते एवं भारत के
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निमित्त

Asah

(नीलेश कुमार साह)
प्रधान वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–1,
नई दिल्ली।

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 09 फरवरी, 2018

अनुबंध
(वर्ष 2016–17 हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के वार्षिक लेखों से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट)

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली

प्राधिकरण की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को आगे सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता थी।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

चूंकि विभिन्न पक्षों को दिये गये अग्रिम 03 वर्षों से अधिक समय से निपटाराविहीन पड़े हुए थे, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को आगे सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता थी।

3. स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

स्थायी परिसंपत्तियों के अभिलेखों में निम्नलिखित कमियां देखने को मिली थी :

- 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण के कार्पोरेट कार्यालय में उपलब्ध स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।
- स्थायी परिसंपत्तियों का रजिस्टर उपयुक्त ढंग से नहीं रखा जा रहा था।

4. सामान सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण के कार्पोरेट कार्यालय में उपलब्ध सामान सूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

5. सांविधिक बकायों के भुगतान में नियमितता

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, सांविधिक बकायों के भुगतान में अनियमितता का कोई उदाहरण देखने में नहीं आया था।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के लिये प्रबंधन के उत्तर

सामान्य

वर्ष 2016–17 हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअजप्रा) के लेखों के भाग को बनाने वाली टिप्पणियों (अनुसूची–17) की टिप्पणी–16 में बताये अनुसार, कलादान परियोजना पर परियोजना विकास परामर्शदाता के रूप में रू0 23.23 करोड़ का व्यय किया गया है जिसमें विदेश मंत्रालय (एमईए) से प्राप्त रू0 22.61 करोड़ तथा मार्च, 2017 को समाप्त परियोजना पर सृजित बैंक ब्याज सहित रू0 2.20 करोड़ की आंतरिक प्राप्ति शामिल है। तथापि, इस रू0 22.61 करोड़ में से, रू0 3.10 करोड़ की राशि सेवा कर तथा जलीय सर्वेक्षण के लिये प्रतिपूर्ति के रूप में वर्ष 2016–17 के दौरान विदेश मंत्रालय से प्राप्त हुई है जिसे लेखापरीक्षा द्वारा सीधे तौर पर सूचित किया गया है, कि इस टिप्पणी–16 में रू0 3.10 करोड़ परियोजना विकास परामर्शी/प्रबंधन शुल्क (पीडीसी फीस) में अधिक बताये गये हैं। तद्नुसार, इसलिए विदेश मंत्रालय से प्राप्त पीडीसी फीस तथा अन्य प्रतिपूर्तियों आदि की स्थिति को आगामी वर्षों हेतु भाअजप्रा के लेखों से संबंधित टिप्पणी में पृथक रूप से प्रकट किया जायेगा।

इसके आगे, उपर्युक्त परियोजना के वार्षिक लेखों के घटकों को विदेश मंत्रालय से इस परियोजना पर खर्च के तौर पर प्राप्त राशियों से इस परियोजना पर खर्च करने के लिये भाअजप्रा को समर्थ बनाने के लिये भाअजप्रा के लेखों (जैसा वही टिप्पणी–16 में दिया गया है) में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि इस परियोजना संबंधी खर्च को राष्ट्रीय जलमार्गों हेतु भाअजप्रा द्वारा प्राप्त अनुदान से पूरा नहीं किया जा सकता है। परंतु, भाअजप्रा ने इस परियोजना हेतु लेखों के लिये पृथक बहियां तथा इस परियोजना हेतु 2009 से स्वतंत्र चार्टरित लेखाकार फर्म द्वारा तैयार किये गये एवं विधिवत रूप से प्रमाणित पृथक वार्षिक लेखों का रख–रखाव किया है। तथापि, कलादान परियोजना के इन पृथक वार्षिक लेखों को भाअजप्रा के 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक लेखों को अनुबंध के रूप में संलग्न किया जायेगा जिससे उन्हें उनकी संमीक्षा के लिये भी उपलब्ध रहे।

अनुबंध

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

भाअजप्रा आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को आगे और सुदृढ़ करने के लिये अपने प्रयास जारी रखेगा।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

03 वर्षों से अधिक समय से बिना निपटारे के पड़े हुए अग्रिमों को निपटाने के लिये प्रयास किये जायेंगे तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को आगे सुदृढ़ किया जाएगा ।

3. स्थायी परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन प्रणाली

- कॉर्पोरेट कार्यालय, नोएडा में उपलब्ध स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन को आयोजित करने के लिये, प्रशासन विंग द्वारा एक समिति को पुनर्गठित किया गया है तथा कार्य अतिशीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।
- स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर के रख–रखाव में लेखापरीक्षा द्वारा पायी गई कमियों पर ध्यान दिया जायेगा ताकि इसके उचित रखरखाव को सुनिश्चित किया जा सके।

4. सामान्य सूची की भौतिक सत्यापन प्रणाली

क्रमांक संख्या–3 के तहत प्रथम प्रमुख बिंदु के संबंध में वही उत्तर, जैसा ऊपर दिया गया है।

5. सांविधिक बकायों के भुगतान में नियमितता

कोई टिप्पणी नहीं।

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

ए-13, सेक्टर-1, नौएडा-201 301, जिला-गौतमबुद्धनगर (उ०प्र०)

www.iwai.nic.in